लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

22 नवम्बर, 1996 के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
83	नीचे से 6	भ्रत्तोम	हस्तक्षेप
70	7	वित्त मंत्री	विधि और न्याय मंत्री

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 3, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1996/1 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 60	1—37
अतारांकित प्रश्न संख्या	387 से 553	37—215
सभा पटल पर रखे गए पत्र		215—218
कार्य मंत्रणा समिति		
छठा प्रतिवदेन—प्रस्तुत		219
सभा का कार्य		219—220
समितियों के लिए निर्वाचन		220—222
(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट		220—221
(दो) रबड़ बोर्ड		221
(तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		222
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		222—223
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित		223—231
(एक) गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत और राजकोट में स्थायी न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक		
श्री काशीराम राणा		223
(दो) गौ-वध पर पाबंदी विधेयक		
श्री काशीराम राणा		223—227
(तीन) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)		
श्री बसुदेव आचार्य		227—228
(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक		
श्री बसुदेव आचार्य		228
(पांच) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (निवारक उपाय) विधेयक		
श्री बसुदेव आचार्य		228
(छह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, (धारा 11 और 23 में संशोधन)		
श्री काशीराम राणा		229
(सात) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, (धारा 2 आदि में संशोधन)		
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय		229
(आठ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (भोपाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक		
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय		230
(नौ) बालक श्रम (प्रतिषेध एवं कल्याण) विधेयक		
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		230
(दस) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (रायपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक		
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय		230

विषय	कालम
(ग्यारह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री संतोष कुमार गंगवार	231
अनिवार्य शिक्षा विधेयक—जारी	232—265
प्रा. रासा सिंह रावत	232—237
श्री चित्त बसु	237—244
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	244—250
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	250—251
श्री नीतीश कुमार	252—259
श्री गंगा चरण राजपूत	259—265

लोक सभा

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1996/1, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41-प्रो. पी.जे. कुरियन जी।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : प्रश्न संख्या 41...**(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री मोहन रावले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय श्री बी.एल. शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर जाईए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा स्थगित नहीं कर रहा हूं। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। आपको शर्मिन्दा होना चाहिए। यह ससंद के लिए शर्मनाक बात है। यदि संसद सदस्य इस तरह का बर्ताव करते हैं तो यह शर्मनाक बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोल नहीं सकते। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

औद्योगिक तथा निर्यात वृद्धि दर में कमी

***41. प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-जुलाई, 1996 के दौरान औद्योगिक तथा निर्यात में वृद्धि की दर में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा वृद्धि दर को पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या चालू वर्ष में संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी तुलनात्मक कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 1996-97 में कुल औद्योगिक उत्पादन में 9.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई 12.3 प्रतिशत की विकास दर से कम है। तथापि विनिर्माण क्षेत्र जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 77.1 प्रतिशत भार है, में विकास दर 11.7 प्रतिशत रही है जो पिछले वर्ष में दर्ज की गई 11.9 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में कुछ ही कम है। औद्योगिक विकास में यह गिरावट कुछ ही क्षेत्रों विशेषकर कच्चे पैट्रोलियम, उर्वरक और विद्युत उत्पादन इत्यादि तक ही सीमित है।

कम निष्पादन वाले क्षेत्रों में बाधाओं को हटाने के लिए क्षेत्र विशेष संबंधी नीतियां शुरू की गई हैं। हाल में घोषित व्यस्त अवधि ऋण नीति के जरिये उद्योगों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण देना सुनिश्चित किए जाने के विकास को और गति मिल रही है।

अमेरिकी डालर के रूप में समग्र निर्यात विकास दर जो अप्रैल-जुलाई 1995-96 में 29.6 प्रतिशत थी अप्रैल-जुलाई, 1996-97 में घटकर 11.8 प्रतिशत हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने संबंधित कठिनाइयों का पता लगाया है और इस दिशा में समुचित कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में चालू वर्ष के दौरान कोई तुलनात्मक कमी आई हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ के पौधों पर अनुसंधान

***42. श्री पी.सी. थामस :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड द्वारा किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप अधिक उत्पादन करने वाले रबड़ के पौधों का विकास किया गया है जिससे उत्पादन में और वृद्धि हो सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान पर और अधिक धन खर्च किए जाने की योजना है;

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या रबड़ बोर्ड तथा अन्य वस्तुओं से संबंधित बोर्डों के वैज्ञानिकों के लिए उदार प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग काफी समय से लम्बित है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना को अविलम्ब लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। रबड़ बोर्ड द्वारा विकसित क्लोन आर.आर. आई.आई. 105 अधिक उपज देने वाले अन्य उपलब्ध क्लोन की तुलना में औसतन 300 से 500 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर/प्रति वर्ष अधिक उपज देता हैं। आर.आर.आई.आई. 105 से 20 प्रतिशत अधिक उपज क्षमता वाले क्लोन को आर.आर.आई.आई. द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे पहले ही कुछ क्षेत्रों में आजमाइशी क्लोन के रूप में शुरू किया जा चुका है।

(ग) और (घ). जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना में आर.आर. आई.आई. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल में कन्नूर अनुसंधान केन्द्रों को तथा बायो-तकनालाजी तथा टिश्यू कल्चर में अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ करने के लिए योजना बना रहा है। इस योजना में अनुसंधान के लिए वर्द्धित परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान पर किए गए वार्षिक व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

1993-94	=	606.04 लाख रु.
1994-95	=	501.79 लाख रु.
1995-96	=	662.01 लाख रु.

(ङ) और (च). आई.सी.एआर./सी.एफ.आई.आर. के वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही मौजूदा लचीली पूरक स्कीम की पाचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है। वस्तु बोर्डों के वैज्ञानिकों पर एफ सी एस लागू करने के प्रस्ताव पर वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही विचार किया जाएगा।

निर्यात वृद्धि

×43. **श्री भक्त चरण दास :**

श्री विजय गोयल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि संतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वृद्धि हासिल न कर पाने के क्या कारण है और वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें चालू वर्ष के दौरान गत दो वर्षों की तुलना में वृद्धि का रूझान नकारात्मक रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात में आई गिरावट को देखते हुए निर्यात बाजार का विविधीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय निर्यात को इसके अपेक्षित स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त व्यापार आंकड़ों के समग्र स्तर के अनुसार, अप्रैल-सितम्बर, 1996-97 के दौरान भारत का निर्यात 16.14 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ जिससे अप्रैल-सितम्बर, 1995-96 के दौरान प्राप्त 14.68 बिलियन अमरीकी डालर स्तर की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

अप्रैल-अगस्त 1996 के आंकड़ों के अनुसार (क्षेत्रीय निष्पादन के सम्बन्ध में उपलब्ध) जिन क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है उनमें शामिल हैं - चर्म एवं विनिर्मितियां, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प एवं कालीन। प्रश्न के भाग (ख) के लिए अपेक्षित इन क्षेत्रों के बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। निर्यात में आई धीमी वृद्धि/नकारात्मक वृद्धि निमनलिखित तथ्यों के कारण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधी दशाओं में अपेक्षाकृत कम समृद्धि होना, बुनियादी सुविधाओं की कठिनाइयां, निर्यात ऋण की अधिक लागत आना, इत्यादि।

(ग) और (घ). एग्जिम नीति ढांचे के तहत निर्यात की निषेधात्मक सूची में शामिल कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं स्वतंत्र रूप से निर्यात की जा सकती है।

(ङ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है; निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई में शामिल हैं - निर्यात आयात नीति एवं प्रक्रिया का सरलीकरण, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और निर्यात संबंधी बुनियादी कठिनाइयों को दूर करना, निर्यातकों की समस्याओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए निर्यातक समुदाय से विचार-विमर्श करना, संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करना और अन्य देशों के साथ द्वितीय व्यापार को बढ़ावा देना।

विवरण

मिलियन अमरीकी डालर
(परिवर्तन %)

वस्तुएं	1994-95	1995-96	अप्रैल-अगस्त 1995-96	अप्रैल-अगस्त 1996-97
1	2	3	4	5
चर्म विनिर्मितियां	1610.63 (23.9)	1722.75 (7.0)	722.44	649.61 (-10.1)
रत्न एवं आभूषण	4500.37 (12.6)	5275.44 (17.2)	1974.70	1830.16 (-7.3)

1	2	3	4	5
हस्तशिल्प	386.32	431.44	198.61	193.63
	(21.3)	(11.7)		(-2.5)
कालीन	559.96	558.19	240.97	227.77
	(-1.5)	(-0.3)		(-5.5)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर प्रदर्शित करते है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

***44. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुल कितनी मिलें हैं और इनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन मिलों में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है तथा मार्च 1996 तक इन्हें कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा पहले स्वीकृत की गई पुनरूद्वार पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रूग्ण इकाईयों को पुनः चालू करने के संबंध में एक अंतरिम योजना बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिलों का पुनरूद्वार तथा आधुनिकीकरण करने हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल जालप्पा) : (क) एन टी सी के नियंत्रण अधीन 120 मिलें हैं जिनकी कुल क्षमता 97,709 कामगारों सहित 110661 कर्मचारी हैं।

(ख) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार सरकार ने एन टी सी में शेयर पूंजी के रूप में 512.10 करोड़ रुपए की राशि निवेश की है। सरकार ने अब तक कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं अंतरिम लिक्विडिटी, मजदूरी तथा वेतन आदि के लिए 2560.23 करोड़ रु. की धनराशि ऋण के रूप में भी दी है।

(ग) सरकार द्वारा 9-5-95 को अनुमोदित एन टी सी की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सर्वांगीण सुधार नीति बी आई एफ आर के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। पैकेज बी आई एफ आर के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं। इस समय एन टी सी मिलों के पुनरूद्धार करने की कोई अंतरिम योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत किए गए पुनर्वासन पैकेज में 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जिसे बेशी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूरा किया जाएगा। चूंकि बी आई एफ आर द्वारा पैकेज को अभी अनुमोदित किया जाना है इसलिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी मिलों के पुनरूद्वार तथा आधुनिकीकरण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

***45. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीमा क्षेत्र विशेषकर जीवन बीमा के निजीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने इस संबंध में सरकार को कुछ पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). विद्यमान कानून के अन्तर्गत जीवन बीमा और साधारण बीमा, दोनों ही व्यवसाय पर क्रमशः भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चारों अनुषंगी कम्पनियों का निरपेक्ष विशेषाधिकार है।

2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित है कि :

"सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को सह-अस्तित्व में और वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुंजाइश है। हमने बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-प्रणाली से पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। उक्त अनुभव को बीमा क्षेत्र की पुनर्सरचना के लिए प्रयुक्त किया जाएगा लेकिन इसके साथ-साथ बीमा निगम, साधारण बीमा निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।"

3. जुलाई, 1996 में बजट भाषण के दौरान उल्लेख किया गया था कि :

"जनवरी, 1996 में एक अंतरिम गैर-सांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब मैं एक विधेयक लागू करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इसे

सांविधिक निकाय बनाते हुए उपयुक्त रूप से समर्थ बनाया जा सके। जब मैं अगले बजट में बीमा विषय पर चर्चा करूंगा तो बीमा उद्योग के पुनर्गठन के लिए उपायों की श्रृंखला सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उद्धृत नीतिगत पैरामीटरों में से कुछ पर वक्तव्य दूंगा।

4. सरकार, वर्तमान में बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक आधार देने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही हैं। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए अन्य उपायों की बीमा विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से जांच की जा रही है।

बैंकों में वित्तीय गबन

***46. श्री मंगल राम प्रेमी :**

श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ :

क्या **वित्त मंत्री** बैंकों में वित्तीय गबन के बारे में 19 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह जानकारी सदन के सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र कर ली गई है। वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च, 1996 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की बैंक-वार स्थिति से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

धोखाधड़ियां करने के लिए प्रयोग की गई विधियां इस प्रकार हैं :- जाली लिखतों के माध्यम से जमा खातों से निकासी, फर्जी नामों से खाते खोलकर परक्राम्य लिखतों का धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण, लेखा-बहियों में हेरफेर के माध्यम से दुर्विनियोजन, लेनदेनों के समाशोधन में धोखाधड़ियां, उधार देने की शक्तियों/विवेकाधीन शक्तियों का दुरूपयोग/अतिक्रमण और फर्जी निर्यात बिल आदि उपलब्ध कराकर विदेशी मुद्रा में धोखाधड़ियां आदि।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भ्रष्टाचार रोकने और धोखाधड़ियों के निवारण के लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :- बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देशों का जारी किया जाना, धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा, असाधारण मामलों में बैंकों को धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों सहित कार्यप्रणाली के बारे में परामर्श देना, परिचालन कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण और सूचित की गई बड़ी धोखाधड़ियों के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच और संवीक्षा तथा आकस्मिक निरीक्षण, जिनमें प्रणालियां और प्रक्रियाएं तथा धोखाधड़ी बाहुल्य वाले क्षेत्रों में नियंत्रण व्यवस्था शामिल है, आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान पता लगाए गए धोखाधड़ी के बैंक-वार मामलों और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	धोखाधड़ी की संख्या				अन्तर्ग्रस्त राशि			
		1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)	1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सरकारी क्षेत्र के बैंक								
1.	भारतीय स्टेट बैंक	597 02*	616	554	101 02*	773.44 25.08	2010.97	789.99	1274.79 54.38
2.	स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर	36	21	18	03	536.63	11.06	194.45	9.09
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	28	23	40	01	97.11	63.55	157.59	0.20
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	20	26	09	02	161.63	1169.39	19.63	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	28	37	38	04	7.51	252.95	22.87	2.79
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	26	30	33	02	222.61	100.05	610.11	4.42
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	07	12	09	02	16.17	17.98	106.26	12.90
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	20	25	22	08	32.49	70.22	126.21	57.75
9.	इलाहाबाद बैंक	33	39	48	14	45.14	2343.58	105.32	121.19
10.	आंध्रा बैंक	66	25	41	07	2130.92	131.00	523.80	4.80
11.	बैंक आफ बड़ौदा	139	159	114	23	568.46	2905.71	1151.74	120.49
		12*	15*	10*		35.54	528.63 +यू.शि. 9844000	52.85	
12.	बैंक आफ इण्डिया	168	215	156	48	•725.19	496.62	496.82	122.30
		16*	11*	04*	01*	4249.29	988.51	8.84	4.65
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	22	50	31	08	404.65	465.11	1891.65	43.73
14.	केनरा बैंक	259	217	167	49	801.13	1402.21	1953.01	43.11
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	85	130	73	38	3234.72	347.46	188.64	19.50
16.	कारपोरेशन बैंक	31	38	23	07	42.24	38.28	86.13	4.16
17.	देना बैंक	20	22	14	06	159.65	1049.62	140.04	18.42
18.	इंडियन बैंक	41	60	37	14	638.24	286.26	83.08	34.23
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75	71	43	10	143.54	356.97	326.92	5.39
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	29	–	–	–	69.72	–	–	–
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	22	14	12	04	102.97	230.88	630.80	1.94
22.	पंजाब नैशनल बैंक	88	118	56	27	3224.29	2003.36	212.70	191.05
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21	17	17	04	654.21	163.26	74.38	14.11
24.	सिंडिकेट बैंक	139	103	109	22	174.10	1371.80	782.43	22.68
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	61	39	59	18	756.54	336.54	251.71	131.53
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	50	43	40	09	11459.66	171.09	41.21	23.80
27.	यूको बैंक	35	58	74	08	183.46	416.89	374.17	26.84
		4*				163.27			
28.	विजया बैंक	33	32	39	12	190.83	45.93	147.77	2.19
	जोड़	2213	2266	1890	454	32032.43	20007.88 9844000	11551.12	2372.67

* भारत से बाहर यू.शि. = युगांडन शिलिंग। (आंकड़े अनंतिम)

विवरण

1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान धोखाधड़ियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई बैंक-वार कार्रवाई

बैंक का नाम	दोषसिद्ध				बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया				(3) में से, बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए			
1	2				3				4			
	1993	1994	1995	*1996	1993	1994	1995	*1996	1993	1994	1995	*1996
भारतीय स्टेट बैंक	24	28	16	03	164	219	199	48	58	68	49	07
स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	-	-	01	-	20	18	33	01	05	03	-	-
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	15	04	-	-	33	25	18	03	09	04	04	01
स्टेट बैंक आफ इंदौर	-	-	-	-	-	12	01	02	-	01	-	01
स्टेट बैंक आफ मैसूर	-	-	01	01	16	13	10	03	05	04	04	-
स्टेट बैंक आफ पटियाला	-	-	-	-	09	12	06	04	03	06	04	02
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	-	-	-	-	01	08	09	04	01	02	-	-
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	-	-	-	-	06	32	16	02	01	07	04	-
इलाहाबाद बैंक	-	-	-	-	29	32	35	02	06	08	03	-
आंध्रा बैंक	02	07	05	-	20	28	27	12	03	05	08	05
बैंक आफ बड़ौदा	-	-	-	-	13	15	23	08	06	02	03	02
बैंक आफ इंडिया	-	01	-	-	11	38	37	06	07	18	21	05
बैंक आफ महाराष्ट्र	-	-	-	-	13	13	30	01	08	07	12	-
केनरा बैंक	05	-	-	-	88	85	96	26	26	27	30	08
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	-	01	-	-	67	81	58	27	42	44	23	09
कारपोरेशन बैंक	05	-	03	-	05	04	17	05	04	04	06	03
देना बैंक	-	-	-	-	27	30	27	09	07	07	05	03
इंडियन बैंक	01	-	-	01	64	121	71	28	08	08	04	-
इंडियन ओवरसीज बैंक	03	02	02	-	47	73	82	09	13	23	13	05
ओरियटल बैंक आफ कामर्स	-	-	-	-	01	08	04	-	03	04	02	-
पंजाब नेशनल बैंक	01	03	01	-	91	221	169	64	22	54	29	10
पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	03	-	10	37	26	09	05	09	05	04
सिंडिकेट बैंक	-	-	01	-	55	29	50	20	42	19	36	10
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	-	-	-	26	36	28	02	14	11	10	-
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	-	-	-	-	16	32	02	-	02	10	-
यूको बैंक	01	02	-	-	30	28	39	08	11	11	12	03
विजय बैंक	-	02	-	-	28	14	17	02	03	02	04	-
जोड़	57	50	33	05	874	1248	1160	307	312	360	301	78

* मार्च, 1996 तक

(आंकड़े अनन्तिम)

रेशम का उत्पादन

***47. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी चारों प्रकार के रेशम के उत्पाद में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एरी, मूंगा और टसर रेशम के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो सभी राज्यों, विशेषकर परंपरागत रूप से रेशम का उत्पादन न करने वाले बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में सभी प्रकार के रेशम के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड सभी 4 प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इनमें अनुसंधान व विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, आधारी संरचना संबंधी योजनाएं तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क के माध्यम से इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करना तथा स्तर की रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विकासात्मक/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विश्व बैंक सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (जिसके अंतर्गत 17 राज्यों को शामिल किया गया है), राज्यों के सहयोग/सहचर्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के लिए कार्य योजना जैसी आदि जैसी रेशम उत्पादन परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

(ख) जबकि एरी और मूगा रेशम का उत्पादन स्थिर रहा है फिर भी तसर के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) तसर के उत्पादन में गिरावट को रोकने तथा ऐरी और मूगा जैसी अन्य गैर-शहतूती किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विदेशों से वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके उनके सहायोग से गैर-शहतूती रेशम संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-शहतूती अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम शुरू किया हैं। मूल बीज की आपूर्ति करने के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने तसर मूंगा तथा ऐरी खाद्य पादपों को बढ़ाने के लिए योजनाएं भी शुरू की हैं।

12 गैर परंपरागत शहतूती राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को इन राज्यों के चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक रेशम उत्पादन परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए विश्व बैंक/स्विस सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन राज्यों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पहले क्रियान्वित अंतर्राज्यीय तथा परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में तसर कोसों के विकास की परियोजना तथा उड़ीसा में गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, ये राज्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनुमोदित सतत योजनाओं के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

विदेशी निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध शेयरों का विनिवेश

***48. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने असूचीबद्ध अथवा कम कारोवार वाले शेयरों को विदेशी निवेशकों द्वारा विनिवेश किए जाने हेतु मूल्यांकन नियमों को संशोधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित मूल्यांकन नियमों के कारण अनिवासी भारतीयों को क्या लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा गठित एक अनौपचारिक विशेषज्ञ दल, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, पेशेवर लेखाकार आदि शामिल थे, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने असूचीबद्ध/कम कारोवार वाले शेयरों को विदेशी निवेशकों द्वारा विनिवेश किए जाने के संबंध में 18 सितम्बर, 1996 को संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

(ग) अधिक युक्तिसंगत होने और पूंजी बाजार की मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुरूप होने के अलावा, संशोधित दिशानिर्देश मूल्यांकन विधि में पारदर्शिता और स्पष्टता का तत्व लाए हैं जिससे अनिवासी भारतीयों और अन्य विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के माहौल में सुधार हुआ है।

पांचवां वेतन आयोग

***49. श्री वीर सिंह महतो :**
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों ने रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है;

(च) रिपोर्ट के किस तिथि से प्रभावी होने की संभावना है;

(छ) क्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए वेतन आयोग का विचार सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे के संबंध में एक और अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (झ). पांचवां वेतन आयोग अप्रैल, 1994 में गठित हुआ था। पिछले आयोगों द्वारा लिये गये समय को देखते हुए, पांचवें वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की तीन किस्तें पहले ही दी जा चुकी हैं। सरकार ने हाल ही में उत्पादकता से जुड़े बोनस के निर्धारण के लिए एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण के संबंध में सिफारिशें देने के लिए आयोग से कहा है। चूंकि अंतरिम राहत की तीन किस्तें पहले ही दी जा चुकी हैं और आयोग की रिपोर्ट निकट भविष्य में अपेक्षित हैं, इसलिए एक और अंतरिम रिपोर्ट के लिए आयोग से अनुरोध करना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

पी.एम.आर.वाई. की पुनरीक्षा

***50. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पी.एम.आर.वाई. योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए चलाये जा रहे स्वरोजगार कार्यक्रम की गत दो वर्षों के दौरान तथा अक्तूबर, 1996 तक पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उक्त अवधि में बेरोजगार युवकों से राज्यवार कितने ऋण संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, कितने मामलों में ऋण स्वीकृत किया गया तथा कितने मामलों में वास्तव में भुगतान किया गया;

(घ) क्या ऋण स्वीकृति संबंधी कोई मामले अभी तक लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) क्या बैंकों को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) अंतिम समीक्षा अगस्त, 1996 में की गई थी। प्रगति की मानीटनी की गई और शीघ्रता से स्वीकृतियां प्रदान करने और वितरण करने, बैंकों को समर्थक गारण्टी न लेने के लिए पुनः आदेश देने, लाभग्राहियों को शीघ्र प्रशिक्षण देने आदि के बारे में कार्रवाई की गई है।

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (सितम्बर, 1996 तक) के दौरान ऋण के लिए बेरोजगार युवाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिला उद्योग केन्द्रों/उद्योग निदेशालय द्वारा बैंकों को संस्तुत आवेदनों की संख्या, स्वीकृत तथा वितरित किए गए मामलों की संख्या संबंधी राज्यवार विवरण I, II और III संलग्न हैं।

(घ) प्राप्त आवेदनों की जांच जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय द्वारा की जाती है और उसके बाद बैंकों की संस्तुति की जाती है। 1996-97 में प्राप्त आवेदनों में से 2,97,538 मामले बैंकों को संस्तुत किए गए। राज्य/केन्द्रशसित क्षेत्र की रिपोटों के अनुसार बैंकों द्वारा सितम्बर, 1996 के अंत तक 46,583 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि बैंक 25,000 रुपये तक के ऋण संबंधी आवेदनों को 15 दिन के भीतर और प्र.स.रो. योजना के अधीन अन्य ऋण संबंधी आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटायेंगे। तथापि जनवरी, 1996 में किये गए एक सर्वेक्षण के दौरान लम्बित आवेदनों के लिए पता लगाये गये मुख्य कारणों में से आवेदकों द्वारा बैंकिंग औपचारिकताओं का अनुपालन न करना, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बैंकों को अधिक मात्रा में आवेदन भेजा जाना और बैंक जांच में विलम्ब होना शामिल थे।

(च) और (छ). सरकार को समय-समय प्राप्त होने वाली शिकायतों को समाधान के लिए उपर्युक्त प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है।

विवरण I

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (1994-95) के तहत राज्यवार प्रगति का सारांश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)	आवेदनों की संख्या			
			प्राप्त की गई	सिफारिश की गई	स्वीकृत की गई	वितरित की गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	25000	111317	37874	19851	14769
2.	असम	6600	29384	8778	6404	1253

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	22150	71145	35818	11705	8459
4.	दिल्ली	4540	27237	6945	1763	301
5.	गोवा	520	622	488	285	223
6.	गुजरात	8500	20848	12835	5707	4301
7.	हरियाणा	4100	14345	8802	4600	3774
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	7000	4726	2306	1717
9.	जम्मू और कश्मीर	2000	8988	4777	1995	1184
10.	कर्नाटक	15000	67564	30993	13759	11133
11.	केरल	15000	76236	30194	11123	7238
12.	मध्य प्रदेश	20000	58943	45124	21840	14894
13.	महाराष्ट्र	20500	53578	51955	26551	22450
14.	मणिपुर	2000	6118	2253	2026	2025
15.	मिजोरम	250	1899	305	226	214
16.	उड़ीसा	6570	17563	12882	5551	4153
17.	पंजाब	4900	16145	11504	5357	3010
18.	राजस्थान	8300	49577	16760	7666	5001
19.	तमिलनाडु	17400	54138	33865	14519	11206
20.	त्रिपुरा	1000	2535	1264	796	567
21.	उत्तर प्रदेश	27400	84504	56069	23060	18549
22.	पश्चिम बंगाल	22900	51048	35376	9441	3782
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	250	479	247	54	50
24.	अरुणाचल प्रदेश	250	799	311	183	132
25.	चंडीगढ़	150	858	400	165	118
26.	दादर व नगर हवेली	250	एन आर	231	112	164
27.	दमन व दीव	250	319	204	79	52
28.	नागालैंड	250	एन आर	250	216	216
29.	लक्षद्वीप	75	66	56	19	15
30.	मेघालय	300	1336	428	314	286
31.	पांडिचेरी	460	1811	904	476	233
32.	सिक्किम	250	246	182	75	52
	योग		836644	453498	198224	141521

विवरण II

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (1995-96) के तहत राज्यवार प्रगति का सारांश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)	आवेदनों की संख्या			
			प्राप्त की गई	सिफारिश की गई	स्वीकृत की गई	वितरित की गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	31900	112229	47482	32556	21918
2.	असम	9900	38602	12576	9852	3566
3.	बिहार	22150	59158	42160	17744	9219
4.	दिल्ली	4550	32590	12779	4145	1373
5.	गोवा	550	851	685	499	319
6.	गुजरात	8500	29135	18796	10190	8215
7.	हरियाणा	7200	23551	16880	9353	5265
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	6379	4999	2578	2315
9.	जम्मू और कश्मीर	3100	8283	5588	2586	630
10.	कर्नाटक	17700	70966	34294	17000	12738
11.	केरल	15000	64337	32170	14135	9503
12.	मध्य प्रदेश	27050	84782	69588	31566	11302
13.	महाराष्ट्र	35900	74916	74075	40392	25485
14.	मणिपुर	4000	14048	1889	1753	825
15.	मिजोरम	250	2163	452	240	72
16.	उड़ीसा	8250	42057	21635	8267	5146
17.	पंजाब	15000	35356	31784	15531	7490
18.	राजस्थान	10400	38214	20247	10273	5616
19.	तमिलनाडु	21800	53106	40612	19339	11699
20.	त्रिपुरा	1300	3261	1893	1238	751
21.	उत्तर प्रदेश	35813	130820	84647	37324	30228
22.	पश्चिम बंगाल	22900	30547	34454	10184	3492
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	161	179	101	74
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	756	331	287	125
25.	चंडीगढ़	150	618	303	174	146
26.	दादर व नगर हवेली	150	232	208	156	150
27.	दमन व दीव	100	198	150	116	116
28.	नागालैंड	300	1446	345	267	189
29.	लक्षद्वीप	50	62	55	26	एन आर
30.	मेघालय	550	1675	630	566	102
31.	पांडिचेरी	500	1630	560	513	99
32.	सिक्किम	200	323	258	169	92
	योग		962452	612702	299118	178260

टिप्पणी : कुछ राज्यों के मामले में वर्ष 1995-96 के लम्बित मामलों में से आवेदनों पर सिफारिश की गई/स्वीकृति दी गई।

विवरण II

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (1996-97) (सितंबर 96 तक) के तहत राज्यवार प्रगति का सारांश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)	आवेदनों की संख्या			
			प्राप्त की गई	सिफारिश की गई	स्वीकृत की गई	वितरित की गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	31900	75741	21357	5867	200
2.	असम	15000	53762	4286	644	246
3.	बिहार	22150	6043	2540	39	एन.आर.
4.	दिल्ली	4550	1169	344	330	183
5.	गोवा	550	354	333	148	62
6.	गुजरात	8500	13755	9047	3338	
7.	हरियाणा	7200	12214	7021	2030	316
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	3546	2928	775	592
9.	जम्मू और कश्मीर	3500	2002	1103	119	एन.आर.
10.	कर्नाटक	17700	52232	27097	3894	30
11.	केरल	15000	51516	21324	3075	1184
12.	मध्य प्रदेश	27050	50799	32593	1632	99
13.	महाराष्ट्र	35900	36209	35866	7670	2650
14.	मणिपुर	3000	शून्य	2176	216	-
15.	मिजोरम	375	638	58	-	-
16.	उड़ीसा	8250	46290	5978	42	3
17.	पंजाब	8600	13415	11735	1626	177
18.	राजस्थान	10400	22273	16785	2173	42
19.	तमिलनाडु	21800	22921	16437	3653	382
20.	त्रिपुरा	1950	2932	1443	166	4
21.	उत्तर प्रदेश	35813	75658	54637	7640	2072
22.	पश्चिम बंगाल	22900	22445	21302	1240	101
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	83	41	23	15
24.	अरुणाचल प्रदेश	450	729	274	-	-
25.	चंडीगढ़	150				
26.	दादर व नगर हवेली	150	88	41	10	-
27.	दमन व दीव	100	122	100	38	19
28.	नागालैंड	450				-
29.	लक्षद्वीप	50				-
30.	मेघालय	825				-
31.	पांडिचेरी	500	414	502	117	शून्य
32.	सिक्किम	200	213	190	78	65
	जोड़		567563	297538	46583	8442

टिप्पणी : कुछ राज्यों के मामले में वर्ष 1995-96 के लम्बित मामलों में से आवेदनों पर सिफारिश की गई/स्वीकृति दी गई।

न्यायालयों में लंबित मामले

***51. श्री कचरु भाऊ राउत :**

श्री नारायण अठावले :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालय वार और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में कितने मामलों का न्यायालयवार निपटान किया गया;

(ग) क्या लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) से (ङ). विधि आयोग और विभिन्न समितियों ने न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रश्न का अध्ययन किया है। बकाया मामला समिति ने, जो मलिमथ समिति के नाम से भी जानी जाती है, वर्ष 1990 में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मलेन दिसम्बर, 1993 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मलेन द्वारा अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। इस संबंध में कार्यान्वयन की प्रगति का विधि मंत्रियों के सम्मेलन में, प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन नवम्बर, 1995 के दौरान हैदराबाद में किया गया था। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम आरंभ की गई है। यह मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए बहुप्रचलित प्रक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 50 नए पद सृजित किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

विवरण I

1.7.96 को भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

ग्रहण किए जाने वाले मामले	9,932
नियमित मामले	18,639
योग	28,571

भारत के उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	30.6.96 को लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद	788,448 *
2.	आंध्र प्रदेश	150,293
3.	मुम्बई	226,948
4.	कलकत्ता	256,858
5.	दिल्ली	145,206**
6.	गुवाहाटी	32,673
7.	गुजरात	111,636
8.	हिमाचल प्रदेश	21,179
9.	जम्मू और कश्मीर	96,202
10.	कर्नाटक	163,984
11.	केरल	206,661
12.	मध्य प्रदेश	73,495
13.	मद्रास	301,818
14.	उड़ीसा	56,462
15.	पटना	90,715
16.	पंजाब और हरियाणा	160,076
17.	राजस्थान	97,628
18.	सिक्किम	82
	योग	2,980,364

निम्नलिखित तारीख को लंबित :

* 30.6.95

** सिक्किम

विवरण II

उच्चतम न्यायालय में निपटाए गए मामलों की संख्या

वर्ष	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले
1993	17,166	3,718
1994	35,053	12,037
1995 (1.12.95 को)	49,058	16,084

वर्ष 1993, 1994 और 1995 के अंत के दौरान उच्च न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	75705	92745	47676 *
2.	आंध्र प्रदेश	80056	90295	108100
3.	मुम्बई	96722	88000	79054
4.	कलकत्ता	45426	44870	उ.न.
5.	दिल्ली	66979	45850	22848 *
6.	गुवाहाटी	12074	12665	16615
7.	गुजरात	36860	40815	14178 *
8.	हिमाचल प्रदेश	30431	19826	14197
9.	जम्मू और कश्मीर	16726	12542	18507
10.	कर्नाटक	42502	51335	62659
11.	केरल	59852	58839	62973
12.	मध्य प्रदेश	52705	67693	उ.न.
13.	मद्रास	100991	86702	159295
14.	उड़ीसा	35189	26222	29375
15.	पटना	51213	58395	70892
16.	पंजाब और हरियाणा	64083	76609	92313
17.	राजस्थान	43562	44198	45833
18.	सिक्किम	145	127	145
	योग	911,221	917,688	844,660

*30.6.96 को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में जानकारी।

[अनुवाद]

जनता कपड़ा

***52. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटे/जनता कपड़े की मांग में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसकी मांग तथा पूर्ति में राज्यवार कितने प्रतिशत का अंतर रहा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सन्यवार ऐसे कितने कपड़े का उत्पादन हुआ?

वस्त्र मंत्री (श्री आ.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). जनता कपड़े की माँग की जानकारी नहीं है लेकिन गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में निरंतर कमी आई है। गत तीन वर्षों का जनता कपड़े का वास्तविक उत्पादन और उसकी आपूर्ति का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
		आपूर्ति	वास्तविक उत्पादन	आपूर्ति	वास्तविक उत्पादन	आपूर्ति	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37.16	32.07	23.46	30.81	6.92	10.11
2.	असम	25.90	26.87	25.62	25.09	21.33	20.93
3.	बिहार	7.74	7.02	4.31	1.08	0.42	0.43
4.	गुजरात	3.92	3.98	1.86	1.08	0.42	0.43
5.	जम्मू और कश्मीर	0.40	0.11	0.52	0.45	0.40	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	22.86	23.67	16.72	18.57	23.04	20.26
7.	मध्य प्रदेश	14.83	12.83	8.79	10.57	6.30	6.00
8.	महाराष्ट्र	20.24	21.24	16.97	17.89	16.39	16.69
9.	उड़ीसा	10.09	11.25	8.13	9.09	12.24	13.20
10.	पंजाब	1.80	1.76	0.50	0.43	0.74	1.01
11.	राजस्थान	5.35	5.21	3.56	4.90	2.02	2.48
12.	तमिलनाडु	39.89	38.88	30.52	31.67	29.40	27.84
13.	त्रिपुरा	1.18	1.79	0.57	0.73	1.61	1.22
14.	उत्तर प्रदेश	42.65	43.45	18.74	15.22	12.92	14.39
15.	पश्चिम बंगाल	16.28	16.34	8.74	10.63	7.75	8.78
		250.29	246.47	169.01	180.81	145.06	147.17

आई.बी.आर.डी. ऋण

***53. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वित्तीय वष, 1996 के दौरान आई.बी.आर.डी. से कितनी राशि प्राप्त की गई तथा उक्त अवधि के दौरान कितना ऋण तथा कितना ब्याज चुकाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित नहीं की जा सकी तथा यह राशि किन-किन क्षेत्रों को दी जानी थी;

(ग) क्या जून, 1996 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र सरकार को अपने आर्थिक सुधारों को तेज करने के लिए सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंक राजकोषीय वर्ष 1996 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से भारत को प्राप्त राशि क्रमशः 567.2 मिलियन अमरीकी डालर और 742.2 मिलियन अमरीकी डालर थी। ऋण परिशोधन की राशि क्रमशः 741.3 मिलियन अमरीकी डालर और 228.8 मिलियन अमरीकी डालर थी। इसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए ब्याज और अन्य प्रभारों की अदायगी क्रमशः 128.6 मिलियन अमरीकी डालर तथा 757.6 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) दिनांक 30.6.96 की स्थिति के अनुसार असंवितरित ऋण (क्षेत्र-वार) की राशि निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम (सरकारी लेखा)	राशि मिलियन अमरीकी डालर आईबीआरडी	आईडीए
1	2	3	4
1.	कृषि और ग्रामीण विकास	104.152	663.514
2.	पर्यावरण और वानिकी	-	385.350
3.	ऊर्जा, कोयला	-	9.925
4.	ऊर्जा, विद्युत	1263.145	-
5.	ऊर्जा, गैर परम्परागत	-	118.462
6.	उद्योग और वित्त	349.495	141.446
7.	आधारभूत संरचना, सड़क	183.102	125.371
8.	जल संसाधन प्रबंध	85.296	1419.210
9.	सामाजिक क्षेत्र	-	1699.969
10.	शहरी विकास क्षेत्र	436.006	307.411

1	2	3	4
	(गैर-सरकारी लेखा)		
11.	ऊर्जा विद्युत	641.640	-
12.	ऊर्जा तेल	21.494	-
13.	उद्योग और वित्त	563.550	-
14.	आधारभूत-संरचना-रेलवे	82.787	-

(ग) और (घ). विश्व बैंक ने अगस्त, 1996 में प्रकाशित "कन्ट्री इकोनामिक मैमोरण्डम ऑन इंडिया" में पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते समय साथ में यह भी सुझाव दिया है कि भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए वह आर्थिक सुधारों की गति तेज करे। आर्थिक सुधारों के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण यूनाइटेड फ्रंट के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में निहित है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भावी चुनौतियों अर्थात् देश के पिछले उच्च राजकोषीय घाटों को कम करने, अर्थव्यवस्था विशेषरूप से कृषि को और अधिक उदार बनाने, आधारभूत चुनौती का सामना करने और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की पहचान की गई है। पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों का उल्लेख वर्ष 1996-97 के केन्द्र सरकार के बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वेतन ढांचा

***54. श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वेतन ढांचे से संबंधित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसे स्वीकृत तथा कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त वित्तीय खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो समयबद्ध तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता के अध्यधीन उक्त पंचाट के कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) का गठन किया था। अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका (सिविल) 1982 के संख्या 7149-50 और 1984 के संख्या 132 में पार्टियों द्वारा पेश की गई दलीलों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन, तनख्वाह, अन्य भत्तों और उन्हें देय अन्य लाभों से संबंधित विवादों का निर्णय करें।

अधिकरण के अवार्ड के अनुसरण में, सरकार ने 22.2.1991 को एक आदेश जारी किया जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को निर्धारित किया गया था और उन्हें 1.9.1987 से लागू किया गया था।

वाणिज्यिक बैंकों के लिए छठे द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने यह कहा था कि यह समझौता उन पर भी लागू किया जाना चाहिए। कुछ कर्मचारियों द्वारा यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था। सरकार का यह मानना था कि राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पंचाट (अवार्ड) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा प्रायोजक बैंकों के कर्मचारियों के बीच निरंतर समानता के लिए प्राधिकार नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने मांगी गई राहत मंजूर नहीं की है और इसके बजाय, यह टिप्पणी की है कि कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उन्हें उपलब्ध राहत की मांग कर सकते हैं।

कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकों के हितों का समाधान करने हेतु एक पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

मुद्रास्फीति दर

***55. श्री के.एच. मुनियप्पा :**

डॉ. कृपासिन्धु भोई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तथा मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपी.आई.आई.डब्ल्यू.), में जो सामान्यतः उपभोक्त वस्तुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अप्रैल और सितम्बर, 1996 के बीच 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वार्षिक मुद्रास्फीति दर (सितम्बर, 1995 की तुलना में सितम्बर, 1996) पिछले वर्ष की 10.1 प्रतिशत की तुलना में 8.5 प्रतिशत थी।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। वार्षिक मुद्रास्फीति की दर सहित पिछले चार महीनों के लिए सूचकांक में घटबढ़ नीचे दी गई हैं :-

1996	सूचकांक में मासिक परिवर्तन (प्रतिशत)	मार्च की तुलना में संचयी वृद्धि (प्रतिशत)	वार्षिक मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)
अप्रैल	1.6	1.6	9.8
मई	1.2	2.8	9.3
जून	1.5	4.4	8.8
जुलाई	1.8	6.3	8.3
अगस्त	1.2	7.5	8.9
सितम्बर	0.3	7.8	8.5

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना।

(2) चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, खाद्य तेल, दालें तथा कम वसा वाले दूध के लिए शून्य या घटे शुल्क पर ओ.जी.एल. आयात नीति को जारी रखना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के जरिए आपूर्ति के लिए सरकारी खाते पर खाद्य तेलों का आयात।

(4) 1996-97 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत पर नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना।

(5) मौद्रिक वृद्धि को विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतियों के जरिए 1996-97 में 15.5 से 16.0 प्रतिशत पर नियंत्रित रखना।

(6) अधिकतर वस्तुओं के लिए आयात शुल्कों में कमी से युक्त उदार आयात नीति को बनाए रखना।

समेकित निक्षेप की स्थापना

*56. **श्री राम नाईक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अदायगियों से नये सरकारी उधारों को अलग करने के लिए एक समेकित निक्षेप निधि स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सार्वजनिक ऋण के प्रतिदान के लिए निक्षेप निधि की स्थापना की व्यवहार्यता से संबंधित मामले की जांच करती रही है। इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत-रूस व्यापार संबंध

*57. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-रूस व्यापार संबंधों को बढावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों सरकारों द्वारा इस संबंध में किए गए समझौतों यदि कोई हों, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत में किन-किन क्षेत्रों में व्यापार होता रहा है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में विस्तार के लिए अब किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). दोनों देशों की सरकारें द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर विचार-विमर्श कर रही हैं। सन् 1992 में व्यापार और आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय अंतर सरकारी आयोग के गठन के पश्चात् दोनों देशों के बीच हुए अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कई संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। हस्ताक्षर किए गए करारों में शामिल हैं - ऋण चुकौती प्रक्रिया के तहत निर्यात को नियंत्रित करने वाली विदेशी आर्थिक कार्य बैंक (बी एफ ई ए) और रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर बी आई) के बीच व्यवस्था। इसके अलावा, दोनों देशों ने ऋण चुकौती निधि और द्विपक्षीय निवेश संरक्षण से रूसी एजेंसियों के द्वारा कुछ वस्तुओं की दीर्घकालिक खरीद के बारे में समझौता किया है। भारत-रूस व्यापार

को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ऋण चुकौती प्रक्रिया के तहत खेप निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय गोदामों की स्थापना करने का प्रयास करते हुए रूस में अपेक्षाकृत अधिक भारतीय बैंक सुनिश्चित कर रही है। इसी प्रकार, विश्वास पात्र रूसी आयातकों को रुपए का पर्याप्त आबंटन करने के लिए रूसी पक्ष से भी आग्रह किया जा रहा है ताकि भारतीय माल की रूसी बाजारों में अधिक खपत हो सके। गुणवत्ता भेषजीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भेषज सामग्री के संबंध में एक भारत-रूसी कार्य दल का गठन किया गया है।

(ग) और (घ). भूतपूर्व यू एस एस आर के विघटन से पहले इसके साथ आयात और निर्यात संतुलित वार्षिक रुपया व्यापार योजना के तहत किया जाता था। विघटन के पश्चात् भारत-रूसी व्यापार ऋण चुकौती प्रक्रिया के जरिए तथा कुछ मात्रा में दुर्लभ मुद्रा में चल रहा है।

भारत और रूस की व्यापार विनिमय और आर्थिक सहयोग में परम्परागत भागीदारिता रही है जिनमें अनेक क्षेत्र शामिल हैं। यू एस एस आर के विघटन के पश्चात् वर्ष 1992 और 1993 के दौरान व्यापार की जो मात्रा घट गई थी, वह वर्ष 1995 में 2 बिलियन यू एस डालर से अधिक मात्रा तक पहुंच गया है। आर्थिक सहयोग के विविधिकरण से द्विपक्षीय व्यापार में आगे और वृद्धि होने की संभावना है। हमारे यहां से जिन प्रमुख मदों का निर्यात होता है, उनमें शामिल हैं - चाय, काफी, सोयामील, भेषजीय सामग्री, वस्त्र, रसायन, काजू गिरी, फ्रूट जूस इत्यादि और रूस से होने वाले प्रमुख आयातों में शामिल हैं उर्वरक, अखबारी कागज, लौह एवं अलोह धातुएं।

बैंक ऋण की स्वीकृति में अनियमितताएं

***58. श्री विजय पटेल :**
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंक ऋण प्रदान करने में वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अभी तक सरकार के ध्यान में आए अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें वर्ष 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों की मंजूरी में बरती गई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। ये अनियमितताएं मुख्य रूप से बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष की गारंटी की मांग किए जाने, सावधि जमा के लिए आग्रह किए जाने, बैंक कर्मचारियों के असहयोग, ऋणों की मंजूरी में अनुचित देरी तथा अवैध परितोषण की मांग किए जाने से संबंधित हैं। इन शिकायतों की संबंधित बैंकों के परामर्श से जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंकों को यह सुनिश्चित करने की हिदायतें जारी की गई हैं कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदानों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए, बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष की गारंटी मांग नहीं करनी चाहिए और बैंकों तथा जिला केन्द्रों को मंजूरी-पूर्व/संवितरण-पूर्व औपचारिकताएं पूरी करने में उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की प्रत्येक राज्य में राज्य और जिला स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की बेठकों में समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के नियंत्रणाधीन एक निगरानी कक्ष का गठन भी किया गया है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना की केन्द्रीय स्तर पर उद्योग मंत्रालय में सचिव (लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा भी निगरानी की जाती है।

निर्यात संबंधी हेराफेरी

***59. श्री संतोष मोहन देव :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात से संबंधित हेराफेरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). निर्यात संबंधी धोखाधड़ी कई किस्म की होती है जिनमें शामिल है- विदेशी मुद्रा स्वदेश न भेजना, अधिक राशि का बीजक बनाना, निर्यात की मात्रा अधिक दर्शाने के उद्देश्य से दस्तावेज तैयार करने में हेरा फेरी करना, अस्तित्व विहीन कम्पनियों/सहायक विनिर्माताओं से निर्यात सामानों की खरीद, सामानों का गलत ब्यौरा, निर्यात होने वाले सामानों के वजन बढ़ा देना, जाली निर्यात, इत्यादि। निर्यात से संबंधित धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जाती है जा किए गए अपराध के स्वरूप पर निर्भर करेगा। धोखाधड़ी के इन मामलों में देश के विभिन्न अधिनियमों और अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है जैसे- जो अधिनियम देश

से कुछ विशिष्ट सामानों के निर्यात को निषेध करते हैं उनके प्रशासन के अलावा वाणिज्य मंत्रालय/डी.जी.एफ.टी. द्वारा आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत जिसका स्थान अब विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ने ले लिया है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, कोफेपोसा के तहत, वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत, सो.बी.आई. द्वारा आई.पी.सी./सी. आर.पी.सी. के तहत, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात संबंधी धोखाधड़ी में आम तौर पर वृद्धि हुई है अथवा नहीं। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है, मूल्य आधारित लाइसेंसिंग योजना (वबाल) से संबंधित उल्लंघन के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसका उल्लंघन मुख्यतः निर्यात सामानों के लिए अपेक्षित शुल्क मुक्त आयात की अधिक पात्रता का दावा करने के उद्देश्य से निर्यातों का अधिक बीजक बनाकर किया गया।

वी.बी.ए.एल. के दुरूपयोग को रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं - (1) सिर्फ मानक निवेश-उत्पादन के मानदण्डो पर आधारित वी.बी.ए.एल. योजना के प्रचालन को दुरूस्त करना, (2) वी.बी.ए.एल. में मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में निर्यात दायित्व अनिवार्य रूप से लागू करना, (3) संवेदनशील मदों की सूची में आयात मदों की संख्या में वृद्धि करना जो कि मूल्य आधारित लाइसेंसों के तहत मात्रा, या मात्रा और मूल्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन है, (4) रेशम जैसे कुछ क्षेत्रों में योजना को लागू नहीं करने योग्य बनाना, (5) वी.बी.ए.एल. के विशेषीकृत संवर्गों के प्रचालनों को रोकना, (6) वी.बी.ए.एल. के तहत निर्यातों के ज्यादा मूल्यांकन को रोकने के लिए 6.3.1995 को व्यापक निर्देश जारी करना, तथा (7) योजना के अंतर्गत निर्यात के पहले मोडवैट का उत्क्रमण नहीं करने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए निर्यातकों से 1.4.1995 से आयात के समय अतिरिक्त सीमा-शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, जिसका समायोजन बाद में किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि डी. जी.एफ.टी. और सीमा शुल्क प्राधिकारी वी.बी.ए.एल. के अंतर्गत निर्यात के मूल्य से ज्यादा बीजक बनाने/गलत घोषणा करने के पहले के मामलों की पहचान के लिए, जहां आयात अधिकारों को कम करने या दण्ड संबंधी कार्रवाई करनी अपेक्षित हो, संयुक्त कार्रवाई करेंगे।

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन वित्तीय दंड लगाने के लिए डी.जी.एफ.टी. मुख्यालय द्वारा 65 वी.बी.ए.एल. माम्लों में कार्रवाई शुरू की गई है या कार्रवाई की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऐसे 361 मामलों में न्याय-निर्णय पूरे कर लिए हैं जिनमें 101 करोड़ रु. के सीमा-शुल्क की चोरी करने का प्रयास किया गया था, वसूली कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों द्वारा दावा किए गए 32.88 करोड़ रु. की अधिक शुल्क की प्रति अदायगी (ड्रा बैंक) अस्वीकार कर दी गई है। 8.69 करोड़ रु. के जुर्माने लगाए गए हैं। निर्यातकों, क्लीयरिंग एजेंटों, निर्यातकर्ता फर्मों से संबंधित व्यक्तियों सहित 59 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 14 व्यक्तियों को कोफेपोसा के अंतर्गत बन्द किया गया था। दो सोमाशुल्क अधिकारियों को भी सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था इसके अतिरिक्त छः अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

नई ऋण नीति

***60. श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नई ऋण नीति की हाल ही में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे किस तारीख को घोषित किया गया तथा इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अक्तूबर, 1996 को वर्ष 1996-97 की दूसरी छमाही के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) नकदी निधि अनुपात को 0.5 प्रतिशतता बिन्दु के 4 समान चरणों में अक्तूबर, 1996 और जनवरी, 1997 के बीच 2 प्रतिशतता बिन्दु तक कम करना। ये क्रमशः 26 अक्तूबर, 1996, 9 नवम्बर, 1996, 4 जनवरी, 1997 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होंगे।

(2) बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं को 9 नवम्बर, 1996 से प्रारम्भ हो रहे पखवाड़े से कम करना।

(3) निर्यात ऋण के लिए लक्ष्यों को मार्च, 1997 के अंत तक प्राप्त किए जाने हेतु 2 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ाकर निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत करना।

(4) 30 दिन से एक वर्ष तक की सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 1 प्रतिशतता बिन्दु तक कमी करके 21 अक्तूबर, 1996 से "10.0 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक" करना।

(5) 21 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी लदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दर निर्धारणों को युक्तियुक्त बनाना जिससे निर्यात ऋण का एक बड़ा हिस्सा निम्न ब्याज दर पर दिए जाने की अपेक्षा होगी।

(6) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उच्चतर ब्याज दर (पीएलआर) के अधिकतक प्रसार की घोषणा करें जो वे

उस श्रेणी (2 लाख रु. से अधिक की ऋण सीमा वाली) के उधारकर्ताओं से लेंगे जिन पर उच्चतर ब्याज दर निर्धारण लागू होते हैं। (पीएलआर 2 लाख रु. की ऋण सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं पर लागू न्यूनतम दर हैं।)

(7) सुरक्षित स्टाक और चीनी मिलों को जारी न किए गए चीनी के स्टाक को छोड़कर 21.10.96 से उन वस्तुओं के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट दी गई है जो इन नियंत्रणों के अध्यधीन थे। चीनी के जारी न किए गए भंडार पर न्यूनतम मार्जिनों को 5 प्रतिशत तक कम कर दया गया जो 21 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी है। चीनी के सुरक्षित भंडार के मामले में, शून्य प्रतिशत मार्जिन का निर्धारण जारी रहेगा।

(8) बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी) जमा योजना के अन्तर्गत अपने संसाधनों से अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग में ऋण देने की अनुमति दी गई है।

(9) बैंकों को परिसंघीय ऋण व्यवस्थाओं के लिए अपने आधारभूत नियम बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(10) ऋण के वितरण के लिए ऋण प्रणाली के कवरेज को बढ़ाना और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए योजना में संशोधन।

(11) बैंकों को पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत तक की विद्यमान अधिकतम सीमा के भीतर म्युचुअल निधियों से हामीदारी तथा निवेशों के जरिए अतंरण और प्राथमिक बाजार से शेयरों और डिबेंचरों की खरीद सहित गौण (अनुषंगी) बाजार में शेयरों और डिबेंचरों के खरीद की अनुमति प्रदान करना।

(घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के उधार दर निर्धारणों से 2 लाख रु. तक के छोटे ऋणों के लिए निम्न ब्याज दरें प्राप्त होती हैं। 25,000 रु. तक के ऋणों पर 12.0 प्रतिशत की दर से और 25,000 से अधिक और 2 लाख रु. तक के ऋण पर 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करने की अपेक्षा की जाती है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण

387. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दिये जाने में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान तथा 1996-97 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दिए जाने का अनुमनित लक्ष्य तथा तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). मार्च, 1994, मार्च, 1995 और मार्च, 1996 के अंतिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की बकाया राशि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत का उधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की तुलना में, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपलब्धियां मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार निवल बैंक ऋण का क्रमशः 38.82 प्रतिशत, 37.37 प्रतिशत और 39.14 प्रतिशत हैं।

विवरण

मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

(करोड़ रुपए)

बैंक	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996
इलाहाबाद बैंक	1615.50	1574.80	1596.00
आंध्रा बैंक	787.47	856.53	961.32
बैंक आफ बड़ौदा	4029.42	4860.80	5257.54
बैंक आफ इंडिया	2952.00	3433.76	3987.62
बैंक आफ महाराष्ट्र	891.00	1082.78	1244.53
केनरा बैंक	3289.54	4005.23	4802.96
सेंट्रल बैंक	2730.66	3067.74	3470.60
कारपोरेशन बैंक	542.00	695.00	862.00
देना बैंक	912.20	1171.62	1389.25
इंडियन बैंक	2239.00	2530.00	2795.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	1466.30	1805.58	2191.99
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1125.32	1445.00	1821.56
पंजाब नैशनल बैंक	4301.00	4571.30	4869.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	835.01	1056.18	1266.10
सिंडिकेट बैंक	1385.00	1579.00	1745.00
यूनियन बैंक	2063.54	2682.89	3157.86
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1305.00	1456.00	1524.00
यूको बैंक	1380.72	1396.35	1468.89
विजया बैंक	710.42	860.98	994.85

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डकैती के मामले

388. श्री असीम बाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डकैती के मामलों का ब्यौरा क्या है और इन डकैतियों में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ख) क्या इन बैंकों के किसी कर्मचारी को डाकुओं का सामना करने में बहादुरी दिखाने के लिए कोई लाभ/पुरस्कार प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय निर्यात परिषद की स्थापना

389. श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मार्को को लोकप्रिय बनाने हेतु "इण्डियन ब्राण्ड इक्विटी फण्ड" के लिए विशेष आयात लाइसेंस देने के संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय निर्यात परिषद की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। दिनांक 2.9.96 की सार्वजनिक सूचना संख्या 374 के द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को वापस किए गए विशेष आयात लाइसेंसो को फिर से जारी करने की व्यवस्था लोक हित से सम्बद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए की गई है जिनको सरकार द्वारा ठीक माना जाए।

1995-96 के दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय को वापस किए गए 167 करोड़ रु. के सी.आई.एफ. मूल्य के समान मूल्य के विशेष आयात लाइसेंसों को, एम.एम.टी.सी. तथा एस.टी.सी. को, ऐसे विशेष आयात लाइसेंसों की बिक्री पर प्रीमियम के बदले में जिसे *इंडिया ब्रांड* इक्विटी फंड के खाते में जमा किया जाएगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनः जारी करने के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय निर्यात परिषद् का गठन करने के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ से एक प्रस्ताव हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

देश की निर्यात कार्य-नीति को समेकित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है ताकि निर्यात वृद्धि में तीव्रता लायी जा सके तथा प्रथम बार में ही इन्हें 2000 ई. तक 100 बिलि. अमरीकी डालर तक बढ़ाया जा सके।

बी.सी.सी.एल. संचयी जमा योजना

390. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भांति संचयी जमा योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि जुटाए जाने की संभावना है और किस प्रकार इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी का भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भांति किसी संचयी जमा योजना को चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम

391. श्री एन.जे. राठवा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात से अमरीका के साथ जनजातीय क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). गुजरात में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की कंपनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 19120.30 लाख रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 8 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव 1.1.96 से 30.9.96 तक की अवधि के दौरान अनुमोदित किए गए हैं।

इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

गुजरात के लिए जनवरी, 1996 से सितम्बर, 1996 तक सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहयोग मामलों की सूची।

क्र. सं.	अनुमो.सं./अनुमो. तारीख(टाइप/एजेन्सी)	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	राशि (इक्यूटी %) (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
		भारत – संयुक्त राष्ट्र अमरिका		
1.	26 2.1.96 (एफ.आई.पी.बी. (ई.सी.)	आई.बी.आई.एल. एनर्जी सिस्टम्स लि. 47 फर्स्ट रोड गांधी नगर, अदयार, मद्रास-600020	मैसर्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फन्ड, 1201, न्यूयार्क एवेन्यु, वाशिंगटन डी.सी.20.005	3983.00 (59.45%)
	मद विवरण :	60 मेघावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए	स्थान : कच्छ (गुजरात)	
2.	69 2.2.96 एफ.आई.पी.बी.(ई.सी))	ग्रीन स्प्राइट एग्रोनोमी लि. 11, नेहा, 97, सम्पतराव, रेसकोर्स रोड, बड़ौदा-390007, गुजरात	स्विफ्ट ट्रेडिंग इन्क. संयुक्त राष्ट्र अमरीका	156.43 (30.00%)
	मद विवरण :	केले की प्यूरी (24 डीईजी.बीएक्स तक)	स्थानः खेड़ा (गुजरात)	
3.	3353 1.5.96 (आर.बी.आई)	इन्टर कोन्टिनेन्टलपोलीमेर प्रा.लि., 120-ए, बी टी, कोम्प मालाड मुम्बई	डा. सौरभ हर्षदराय नायक 13501, नैरोलीफ, ड्राइव कलार्कस्वेली, एम.डी.21029 संयुक्त राष्ट्र अमरीका	200.00 (67.00%)
	मद विवरण :	रसायन	स्थान : बलसाड (गुजरात)	
4.	339 21.3.96 (एफ.आई.पी.बी.)	कीस्टोन बाल्व्स (इं.) प्रा.लि., 302/ए; आईवरी टेरिस आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा - 390007	कीस्टोन इन्टरनेशनल इन्क. यू.एस.ए.	10.00 (100.00%)
	मद विवरण :	प्रवाह तथा दबाव नियंत्रण उपकरण तथा वाल्ब का विनिर्माण तथा विपणन	स्थान : पंचमहल (गुजरात)	
5.	378 29.3.96 (एफ.आई.पी.बी.)	भारत स्टार्च इण्ड.लि., एन-75, कनाट सर्कस, पो.बा.नं.253, नई दिल्ली - 100001	ए.ई.स्टेले मन्यु. कम्प. संयुक्त राष्ट्र अमरीका	473.90 (38.23%)
	मद का विवरण :	सिट्रिक एसिड, स्टार्च तथा इसके उत्पाद का विनिर्माण	स्थान : बड़ौदा (गुजरात)	
6.	215 27.2.96 (एफ.आई.पी.बी.)	एपेक्स इलैक्ट्रिकल्स लि., पडारा रोड़, समियाला, बड़ौदा - 391410	मै. एच.पी. टैक्स कन्सल्ट. संयुक्त राष्ट्र अमरीका	300.00 (24.80%)
	मद विवरण :	इलैक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स	स्थान : बड़ौदा (गुजरात)	
7.	298 12.3.96 (एफ.आई.पी.बी.)	फिलटेक फर्मालेच प्रा.लि., स्टार मैटल कम्पाउंड, एल.बी.एस. मार्ग बिक्रोली, बम्बई-400083	मै. पाल कार. इन्क. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	357.00 (51.00%)
	मद विवरण :	फिलटर्स, फिलट्रेशन तथा सेपरेशन पद्धतियों का विनिर्माण, वितरण तथा एजेन्ट के रूप में कार्य करना।	स्थान : मेहसाना (गुजरात)	

1	2	3	4	5
8.	998 30.9.95 (एफ.आई.पी.) (सीसीएफआई.)		कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इन, पो.ओ. दरावर 1734, एटलांटा, जीए 30301 संयुक्त राष्ट्र अमरीका	13640.00 (100.00%)

मद विवरण : बोटलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करना जो कि बेवरीज तैयार करने, पैक करने, स्थानः गुजरात बिक्री तथा वितरण का कार्य करेगो।

विदेशी सहयोग की कुल संख्या : 8, समूह के लिए कुल विदेशी इकिवटो (लाख रुपये में): 19120.30

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा असम में निवेश

392. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा असम में पालिसी धारकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितना प्रीमियम वसूल किया गया; और

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने उक्त अवधि के दौरान असम में विकास कार्यों में कितनी राशि का निवेश किया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसीधारकों से एकत्र की गई प्रीमियम की कुल राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

1993-94	1994-95	1995-1996
173.43	205.85	239.10

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान असम में जीवन बीमा निगम द्वारा विकास कार्यों में किया गया सकल निवेश निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

		1993-94	1994-95	1995-96
1.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	20.74	17.51	30.00
2.	वित्तीय निगम बांड और शेयर		1.00	-
3.	आवास निर्माण के लिए राज्य सरकार	-	2.27	
4.	बिजली बोर्ड	-		8.79
5.	कंपनियों को आवधिक ऋण	3.39	0.62	-
6.	कंपनियों को अंल्पावधि ऋण	-	-	2.00
7.	ऋणपत्र	2.18	-	0.75
8.	अधिमान्य शेयर	-	1.00	-
9.	इक्विटी शेयर	4.44	75.48	16.24
	कुल	30.75	97.88	57.78

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हानि/लाभ का लेखा

393. श्री अनिल बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल हानि/लाभ कितना था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण वसूली का पृथक पृथक प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 314 करोड़ रु., 367 करोड़ रु. और 394 करोड़ रु. (अद्यतन उपलब्ध) का कुल शुद्ध घाटा रहा।

(ख) नाबार्ड से उपलब्ध 30 जून, 1992, 30 जून, 1993 और 30 जून, 1994 को क्रमशः 40.89 प्रतिशत, 41.20 प्रतिशत और 46.23 प्रतिशत था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अतिदेय खातों में 31 मार्च, 1993 और 31 मार्च, 1994 को बकाया अग्रिमों के प्रतिशत क्रमशः 17.88 प्रतिशत और 18.24 प्रतिशत थे।

पीवीसी और बिसफिनोल-ए संबंधी क्षेपणरोधी कर

394. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीवीसी और बिसफिनोल-ए के आयात पर क्षेपणरोधी कर लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ है; और

(ग) इस कर को लगाने के कारण उपभोक्ता बाजार पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत प्राधिकारी ने पाया कि ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और यू.एस.ए. से निर्यात किए गए पी.वी.सी. रेजिन और जापान, रूस तथा ब्राजील से निर्यात किए गए बिसफेनोल-ए का भारत में पाटन किया जा रहा था और उससे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा।

(ग) जांच के समय क्षति के पहलू से संबंधित विभिन्न आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और जांच परिणामों में उक्त विश्लेषण पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है। शुल्क लगाए जाने के बाद आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण समीक्षा के समय किया जा सकता है।

कोयले पर रायल्टी

395. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले की रायल्टी के संबंध में पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण केन्द्र सरकार से कड़ा विरोध जताया है और राज्य को तत्काल 1040 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रायल्टी में संशोधन किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोयले पर रायल्टी की दर को कोयला के अन्य उत्पादक राज्यों के लिए निर्धारित अनुमोदित दर के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि कोयले पर बढ़ाई गई रायल्टी, जिसे 1.8.1991 तथा 11.10.1994 को संशोधित किया गया था, उनके मामले में लागू न किए जाने के कारण उन्हें वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।

रायल्टी की बढ़ाई गई दरें, जोकि 1.8.1991 तथा 11.10.1994 को संशोधित की गई थीं, को पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं किया गया है, चूंकि कोयला के अन्य उत्पादक राज्यों से भिन्न, पश्चिम बंगाल द्वारा कोयले पर उपकर के संग्रह तथा वसूली की अधिप्राप्ति कोयले की पिटहैड कीमत के लगभग 40 प्रतिशत है, और इसकी प्रभावकारिता के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). कोयले पर रायल्टी की दर में अंतिम बार संशोधन दिनांक 11.10.1994 को किया गया था। खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के परन्तुक के अंतर्गत कोयले पर रायल्टी की दर तीन वर्ष की समयावधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। अतः आगामी संशोधन 10.10.1997 के बाद देय है। कोयले पर रायल्टी की दर में आगामी संशोधन संबंधी मामले का विस्तृत रूप में अध्ययन किए जाने हेतु एक अध्ययन दल के गठन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

साधारण बीमा निगम में उच्च-स्तरीय पदों की भर्ती

396. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त मंत्री** साधारण बीमा निगम में उच्चस्तरीय पदों की भर्ती के बारे में 12 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर के संबंध में यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन एवम् प्रबन्ध निदेशक के पंद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों को पहले की भरा जा चुका है। सरकार द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को भरने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

जूट का निर्यात

397. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि की जूट वस्तुएं निर्यात की गई है: और

(ग) 1996-97 के लिए लगाए गए अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन तथा पटसन के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, आयातक तथा अन्त प्रयोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करना, उपभोक्ताओं की अभिरूचियों के अनुरूप नई श्रृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास कार्यकलापों का वित्त पोषण करना, बाह्य बाजार सहायता योजना, राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की स्थापना, विविधीकृत पटसन उत्पादों के बाजार संवर्द्धन के प्रति ध्यान संकेन्द्रित करने के लिए यू एन डी पी सहायित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम शुरू करना।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए पटसन के सामान की मूल्य की राशि निम्नानुसार थी :—

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1993-94	380.00
1994-95	480.00
1995-96	634.00

(ग) सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 630 करोड़ रुपये) के मूल्य के पटसन के सामान का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विश्व बैंक सहायता

398. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1996 के "नवभारत टाईम्स" में, "भ्रष्टाचार खत्म कराने में विश्व बैंक मदद करेगा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विश्व बैंक किस प्रकार भारत की सहायता करेगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे को विश्व बैंक के अध्यक्ष अथवा अन्य किसी बैंक अधिकारी द्वारा श्री वोल्फेनशॉन की अक्तूबर, 1996 में की गई भारत यात्रा के दौरान अथवा उसके बाद भारत सरकार के साथ नहीं उठाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा

399. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यापार, चिकित्सा, धार्मिक तथा व्यापार मेले से संबंधित विदेशी दौरे के लिए अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से पूछे गए प्रयोजनार्थ जितने परिमाण में विदेशी मुद्रा जारी की है उस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप प्राधिकृत डीलरों को व्यवसाय, विदेशी दौरों, चिकित्सा, धार्मिक और व्यापार मेलों के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। ऐस 103 बैंक और अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा को कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन बैंकों और संस्थाओं की समस्त भारत में फैली हुई विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली 27,806 शाखाएं हैं। सूचना एकत्र करने में अत्यधिक मेहनत और समय लगेगा और उससे जिस प्रयोजन की सिद्धि होगी वह किए गए प्रयासों के अनुरूप नहीं होगी।

एम एम टी सी द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

400. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. ने लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा साथ ही एमएम टीसी ने लौह अयस्क का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(घ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनको आजकल लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा हैं; और

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ लौह अयस्क का निर्यात करने के समझौते हुए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एम एम टी सी द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

मात्राः लाख मी. टन
मूल्यः करोड़ रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1985-86	163.96	335.69
1986-87	180.20	362.98
1987-88	145.85	294.42
1988-89	176.45	381.29
1989-90	175.20	496.77
जोड़	841.66	1871.15

(ख) और (ग). सरकारी नीति के अनुसार घरेलू आवश्यकताओं से बेशी लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। एम एम टी सी ने आठवीं योजना के दौरान लौह अयस्क का अधिकतम निर्यात करने के प्रयास किए हैं। आठवीं योजना के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के वर्षवार लक्ष्य तथा किए निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	निष्पादन
1992-93	738.00	658.94
1993-94	667.89	633.60
1994-95	584.75	660.80
1995-96	988.28	988.90
1996-97 (अप्रैल-अक्तूबर, 1996)	724.20	396.39

(घ) इस समय एम एम टी सी.द्वारा लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब अमीरात को किया जा रहा है।

(ङ) इस वर्ष के दौरान एम एम टी सी ने विभिन्न ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के लिए जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ पांच वर्ष के दीर्घावधि करार किए हैं। एक अन्य दीर्घावधि करार पाकिस्तान के साथ किया गया है जो अगस्त, 1997 तक वैध है। एम एम टी सी को थाइलैंड, चीन, तथा सउदी अरब के साथ दीर्घावधि करार करने के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी नीति पत्र

401. श्री एस.बी. थोरात : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी नीति पत्र प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कोई अलग नीतिगत दस्तावेज जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि नीति से सम्बन्धित मुख्य मापदण्डों का उल्लेख सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है। प्रारंभ में उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में व्यापक पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अलौह धातु अपशिष्ट का आयात

402. श्री तारीक अनवर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं का आयात अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान लाइसेंस प्रणाली आयात की मांग को पूरा करने में विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). मौजूदा निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत आई एस आर आई (इन्स्टीट्यूट आफ स्कैप रीसाइक्लिंग इण्डस्ट्रीज) कोर्ड वर्ड द्वारा अभिज्ञात कुछ विनिर्दिष्ट अलौह धातु कतरनों का आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा मुक्त रूप से किया जा सकता है। ऐसे आयातों का उपयोग मूलतः रीसाइक्लिंग के लिए किया जाएगा किन्तु, अन्य सभी अलौह धातु अपशिष्ट और कितरन का आयात लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत किया जाता रहेगा।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

403. श्री हाराधन राय: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हानि को रोकने के लिए कोई अल्पावधि और दीर्घावधि योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तारीख तक हिन्दुस्तान केबल्स लि. के पास कितने क्रयादेश हैं; और

(च) नये क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को वर्ष 1995-96 से हानि हो रही है।

(ख) कार्यशील पूंजी की भारी कमी तथा अधिक फुटकर देनदारों के कारण कम उत्पादन के साथ-साथ अत्यधिक जनशक्ति लागत तथा अधिक ब्याज प्रभार हानि के मुख्य कारण हैं।

(ग) और (घ).

(1) सरकार ने रोकड़ ऋण खाते के प्रति हिन्दुस्तान लि. को अधिक रकम निकालने हेतु गारन्टी दी है।

(2) दूरसंचार विभाग ने बकाया राशि में से एक भाग दे दिया है।

(3) आई.एफ.सी.आई. ने हिन्दुस्तान केबल्स लि. को दिए जाने वाले अपने ऋण के लिए मार्जिन धन की आवश्यकता को 30% से घटाकर 10% कर दिया है।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन तथा स्थिर लागत में कमी के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 21 अक्तूबर, 1996 तक हिन्दुस्तान केबल्स लि. की क्रयादेश स्थिति निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक)
प्रारम्भिक क्रयादेश	244	66	110	255
वर्ष के दौरान प्राप्त क्रया देश	308	609	477	119
वर्ष के दौरान कार्यान्वित क्रयादेश	486	565	332	208
आगे ले जाए गए क्रयादेश	66	110	255	166

(च) नये क्रयादेशों में वृद्धि के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे दूरसंचार केबलों की अपनी वार्षिक आवश्यकता का 30 प्रतिशत हिन्दुस्तान केबल्स लि. से खरीद के लिए निर्धारित करें तथा क्रयादेश देते समय एच.सी.एल. को 50 प्रतिशत अग्रिम भी दें।

अनियमितताओं के कारण धातु और खनिज व्यापार निगम को हानि

404. श्री टी. गोपाल कृष्ण :

श्री के.एस. रायुडू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम इंडिया लिमिटेड को हाल ही में अनियमितताओं के कारण हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धातु और खनिज व्यापार निगम के कार्यचालन को सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सभी आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना

405. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के प्रति भारत की वचनबद्धता ने उपभोग की वस्तुओं के उद्योग स्थापित करने पर उद्योग के विचारों को जानने तथा अपने आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वचनबद्धता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी संगठनों तथा उद्योगपतियों के साथ इस संबंध में चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद 11 में अपेक्षित है कि विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा शुल्क, कर तथा अन्य प्रभारों को छोड़ कर कोई भी निषेध अथवा प्रतिबंध, चाहे वे कोटा आयात या निर्यात लाइसेंस या अन्य उपायों के माध्यम से कारगर हो, नहीं लगाए जाएंगे और न ही अन्य उपाय किए जाएंगे। तथापि, भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति को देखते हुए भारत अनुच्छेद XII के अंतर्गत 1948 से तथा अनुच्छेद XVIII के अंतर्गत 1950 से आयात प्रतिबंध लगाए हुए है।

दिसंबर, 1995 में भारत के साथ हुए विचार-विमर्शों के दौरान भुगतान संतुलन प्रतिबंधों संबंधी विश्व व्यापार संगठन समिति के अनेक सदस्यों ने बताया कि भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक है और भारत के सामने अनुच्छेद XVIII में निर्धारित विदेशी मुद्रा संसाधनों में किसी गम्भीर कमी का फिलहाल कोई संकट नहीं है। और इसलिए भारत द्वारा भुगतान संतुलन की वजह से प्रतिबंध लगाने का निरंतर सहारा लेने को तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। कई सदस्यों ने भारत से चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधों को हटाने के लिए समय-सारणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। अन्त में समिति ने अक्टूबर, 1996 में विचार-विमर्शों को जारी रखने तथा विश्व व्यापार संगठन को निर्यात-आयात नीति, 1996-97 की घोषणा के तुरन्त बाद भुगतान संतुलन के प्रयोजनों के लिए लगाए गए सभी शेष प्रतिबंधों के बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने के लिए भारत की तत्परता का स्वागत किया। तदनुसार, जुलाई, 1996 में मात्रात्मक प्रतिबंधों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन को सूचना दी गई।

उपभोक्ता वस्तुओं सहित उत्पादों के आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की समयसारणी भुगतान संतुलन-प्रतिबंध संबंधी विश्व व्यापार संगठन समिति ने भारत के साथ दोबारा विचार-विमर्शों के बाद ही पता चलेगा जो कि अब जनवरी, 1997 के लिए स्थगित हो गया है।

मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में उद्योग से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रमुख व्यापार नीति मामलों पर उद्योग के विचारों के बारे में व्यापार बोर्ड की बैठकों सहित समय-समय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई बैठकों में परस्पर विचार-विनिमय करने के बाद ही अवगत कराया जाएगा और इनको नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

कंपनियों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

406. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निजी कंपनियों के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन सहित वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने के साक्ष्य मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए तथा इन कंपनियों के शेयर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

407. श्री अशोक प्रधान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर के आसपास कोई उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) इस समय खुर्जा नगर के आस पास केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

408. श्री दत्ता मेघे :
श्री हरिन पाठक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कोयले के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में कोयले की मांग तथा खपत सहित इसके वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की मांग तथा उपलब्धता के बीच अंतर चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि किस हद तक होगी; और

(ङ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) धातुकर्मीय प्रयोग के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोककर कोयल का घरेलू उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मिश्रित किए जाने के लिए उच्च ग्रेड के कोककर कोयले का कुछ आयात भी किया जाना आवश्यक है। उच्च ग्रेड के अ-कोककर कोयले का घेरलू उत्पादन भी सीमित मात्रा में किया जाता है। परिवहन संबंधी कठिनाइयों तथा मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भी अकोककर कोयले की मांग और उपलब्धता के बीच कुछ असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है।

(ख) कोयले के घरेलू उत्पादन तथा खपत में वार्षिक वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	पूर्व वर्ष की तुलना में कोयले के उत्पादन में आर्थिक वृद्धि (प्रतिशतता के रूप में)	पूर्व वर्ष की तुलना में कोयले की खपत में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशतता के रूप में)
92-93	3.85	5.3
93-94	3.33	5.1
94-95	3.11	2.3
95-96	6.47	7.5
96-97 (लक्षित)	6.85	-

योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित मांग में हुई वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	पूर्व वर्ष को तुलना प्रतिशतता में
1992-93	4.47
1993-94	4.71
1994-95	(-)0.20
1995-96	7.26
1996-97	12.84

(ग) जी, हां।

(घ) योजना आयोग ने यह निर्दिष्ट किया है कि 1996-97 की अवधि के दौरान देश में कोयले की मांग तथा घरेलू उपलब्धता के बीच 36.35 मि. टन का अन्तराल रहेगा।

(ङ) कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाए जाने के कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(1) नई खानों को खोला जाना और आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की उत्पादकता तथा क्षमता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाना तथा आगतों और नई ढांचागत सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।

(2) कोयले की कीमतों में आंशिक रूप से विनियंत्रित किए जाने से कोयला कंपनियों के आंतरिक संसाधनों में सुधार आएगा, जिससे यें नई परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम होगी। इससे नयी खनन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार आएगा।

(3) कोल इंडिया लि. के पूंजीगत आधार को पुनर्गठित किया गया है ताकि ये पूंजी बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकें, जोकि नयी कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

(4) ऐस कोयला क्षेत्रों में, जहां कि वृद्धि उत्पादन के लिए क्षमता है, परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे के सहयोग से कदम उठाए जा रहे हैं।

(5) भूमि अधिग्रहण तथा वन भूमि संबंधी अनुमोदन की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(6) लौहा और इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन में लगी निजी क्षेत्र की कंपनियों को ग्रहीत उपभोग के लिए कोयला खनन को अनुमति दे दी गई है। इससे घरेलू कोयले के उत्पादन के वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वाहनों के लम्बित पड़े बीमा दावे

409. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच और पांच वर्ष से अधिक वर्षों से लम्बित पड़े वाहनों के बीमा दावों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दावों के कुशलतापूर्वक और शीघ्र निपटाने तथा दावों के निपटान में अनियमितता को समाप्त करने के लिए उक्त प्रणाली में सुधार हेतु किए गए नए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान कितने झूठे दावों का पता लगाया गया तथा इनमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्ण निर्यात घोटाले में खनिज और धातु व्यापार निगम को हुआ घाटा

410. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलधन, सीमा शुल्क और ब्याज सहित स्वर्ण निर्यात घोटाले में खनिज और धातु व्यापार निगम को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) झण्डेवालान ज्वैलरी कम्पलैक्स और नौएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र में धोखाधड़ी के पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन धोखधड़ी के मामलों की जानकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) धोखाधड़ी के इन मामलों का पता लगाने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(च) खनिज और धातु व्यापार निगम के उन दण्डित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आयात-निर्यात नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी बैंक गारन्टी के सोना उधार दे दिया और उन्हें किस तरह की सजा दी गई; और

(छ) घोटाले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) एम.एम.टी.सी. ने बताया है कि 1993-94 से 1995-96 के दौरान निर्यातकों को जारी कुल 36,487 कि.ग्रा. सोने में से निर्यात-आयात नीति के पैरा 88 में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में कुछ नियातकों की ओर 6.88 करोड़ रुपए मूल्य का 172 कि.ग्रा. सोना बकाया है।

(ख) जैसा कि एम.एम.टी.सी. ने बताया है उस योजना के अंतर्गत झण्डेवालां गोल्ड ज्वेलरी काम्पलैक्स में पांच तथा नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र के पन्द्रह निर्यातकों ने भुगतान नहीं किया है।

(ग) और (घ). भुगतान (अदायगी) न होने के छः मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया है।

(ङ) से (छ). स्वर्ण आभूषणों के उन निर्यातकों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने अदायगी नहीं की है, सीमा-शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशक, सीमा-शुल्क विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर एम.एम.टी.सी. के कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही, यदि कोई हो, उसका पता लगाने के लिए भी एम.एम.टी.सी. द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

सीमा शुल्क चूककर्त्ता

411. श्री भीमराव विष्णु जी बढाडे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक निजी कम्पनियां तथा बहुत से सरकारी उपक्रम सीमा शुल्क लेन-देन में चूककर्त्ता हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनियों के नामों का ब्यौरा तभी दिया जा सकता है यदि वह समय अवधि बताई जाए जिसके लिए सूचना मांगी गई हैं। तथापि, सरकार ने आयातकों द्वारा सीमाशुल्क की अदायगी में विलम्ब करने की प्रवत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बना कर विधिक कदम उठाए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-28 (क) (क), जिसे वित्त अधिनियम, 1995 में अधिनियमित किया गया है, में ऐसी राशि पर 20% की दर से ब्याज लगाने के लिए व्यवस्था है जिसकी अदायगी में आयातक द्वारा विलम्ब किया गया हो। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा धारा 142(1) (ग) (ii) जोड़ी गई है ताकि उक्त आयातक की किसी भी चल और अचल सम्पत्ति को आसेधित करने और ऐसी सम्पत्ति को बेचने और बिक्री से प्राप्त राशि को सरकार की देय बकाया राशि के प्रति विनियोजित करने हेतु विभाग के अधिकारी समर्थ हो सकें।

रबड़ और काफी खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत

412. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति के अंतर्गत रबड़ और काफी को खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). यथासंशोधित चालू निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध जारी है। तथापि, मुक्त

रूप से हस्तान्तरणीय विशेष आयात लाइसेंसों के तहत उसके आयात की अनुमति है। रोस्टेड डीकैफोनेटेड और गैर-डीकैफोनेटेड काफी के बल्क पैकेजिंग में मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

काफी के संबंध में कुछ प्रतिवेदन मिले हैं और चूंकि निर्यात और आयात नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिए, अगर सार्वजनिक हित में कभी आवश्यक समझा जाएगा तो नीति में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

जूट उपकर निधि

413. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान जूट उपकर निधि को दूसरे मदों में लगाए जाने की घटना सरकार की सूचना में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा निधि को दूसरी मदों में लगाए जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान जमा की गई जूट उपकर निधि की राशि कितनी है तथा यह किन-किन मदों पर खर्च की गई और उनका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पटसन के उपकर से वसूल की गई कुल राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	वसूल किया गया उपकर
1994-95	1692 लाख रुपए
1995-96	1254 लाख रुपए

पटसन उपकर निधि एकत्रित की जाती है तथा उसे भारतीय समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष सरकार इस प्रकार से वसूल की गई पटसन उपकर निधि में से पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) को निधियां रिलीज करती है जिसका उपयोग मुख्यतः बाजार संवर्धन क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। जेएमडीसी प्रशिक्षण तथा विकास के लिए प्राप्त अनुदान की आंशिक राशि का उपयोग पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान निधियों का आबंटन करके करती है। प्रशिक्षण तथा विपणन क्रियाकलापों के लिए अनुदानों का वर्ष वार उपयोग निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रशिक्षण संबंधी खर्च	संवर्धन संबंधी खर्च
1994-95	30.00 लाख रु.	1625.38 लाख रु.
1995-96	33.75 लाख रु.	2630.93 लाख रु. (बकाया राशि सहित)

निर्यात में कमी

414. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री ए.सी. जोस :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय निर्यात व्यापार में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो मात्रा तथा मूल्य सहित 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मुख्य वस्तुओं के निर्यात व्यापार के आंकड़ों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात वृद्धि को तेज करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से कोई सुझाव प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं। डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. से प्राप्त नीवनतम आकंडों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान किए निर्यातों का मूल्य 16.14 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान 14.68 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ था। इस प्रकार निर्यात में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत का कुल निर्यात (डी.जी. सी आई. एण्ड एस. आंकडे) 26.33 बिलियन अमरीकी डालर का और वर्ष 1995-96 के दौरान 31.83 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार और विभिन्न एजेंसियों के बीच पारस्परिक क्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है और निर्यात संवर्धन परिषदों सहित इन एजेंसियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समय-समय पर उपचारी उपाय किए जाते हैं।

निवेश संबंधी सम्मेलन

415. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने "डेस्टिनेशन इंडिया-ग्लोबल सम्मिट ऑन इनवेस्टमेंट आपारचुनिटिज" शीर्षक से दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन का आयोजन उद्योग मंत्रालय तथा "फिक्की" द्वारा किया गया था;

(ग) क्या यह सम्मेलन भारत तथा विदेशों से 500 व्यापारियों को लाने में सफल रहा;

(घ) सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ङ) सम्मेलन में कितने विदेशी निवेशकों ने हिस्सा लिया; और

(च) इन्हें लागू करने के लिए क्या निर्णय लिए गए तथा कदम उठाए गए?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सहयोग से उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 10-11-1996 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत में निवेश अवसरों पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें लगभग 100 विदेशी प्रतिनिधियों और करीब 400 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(घ) से (च). उक्त सम्मेलन जिसमें करीब 100 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, का उद्देश्य देश में और अधिक निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने की चालू प्रक्रिया को जारी रखने के लिए विचारों तथा सुझावों का सार्थक आदान-प्रदान करना और 6 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एंव कम्प्यूटर साफ्टवेयर ऊर्जा-विद्युत, हाइड्रोकार्बन और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, परिवहन अवस्थापना, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय सेवाएं तथा पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना था। भाग लेन वालों से प्राप्त सुझावों के जरिए सरकार के निवेश को बढ़ावा देने और नीति को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

[हिन्दी]

इलाहाबाद बैंक में पेंशन योजना

416. श्री पीताम्बर पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में नई पेंशन योजना लागू कर दी है तथा इस पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बैंक की सुलतानपुर शाखा ने नई पेंशन योजना अब तक लागू नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बैंक ने सूचित किया है कि उसने सुल्तानपुर शाखा सहित सभी शाखाओं के संबंध में नई पेंशन योजना कार्यान्वित कर दी है।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग

417. श्री नामदवे दिवाथे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग तथा अन्य इसी प्रकार की एजेंसियों ने मधुमक्खी पालन पर कितनी राशि व्यय की;

(ख) क्या मधुमक्खी पालन उद्योग की संरक्षा के लिए देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन पर खर्च की गयी कुल राशि के ब्यौरे इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख में)
1993-94	74.52
1994-95	52.73
1995-96	155.90

(ख) जी, नहीं। देश के विभिन्न राज्यों विशेषतया महाराष्ट्र में मधुमक्खी पालन उद्योग के संरक्षण के बारे में हाल में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात

418. श्री शरत पटनायक : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हाल ही में आस्ट्रेलिया से किसी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने देश का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अंतर्गत कोयले का आयात स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। यदि कोयले का आयात

उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है ता यह उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के आधार पर तथा उनकी स्वयं की वाणिज्यिक संकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) से (घ). इस संबंध में नवम्बर, 1996 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा करने वाले एक आस्ट्रेलियाई शिष्ट-मंडल ने इस मंत्रालय में विचार-विमर्श किया था। विचार-विमर्श का विषय कोयला क्षेत्र में परस्पर हितों से संबंधित था। इस विचार-विमर्श में कोयला खनन प्रौद्योगिकी पर विचार-विमर्श, अन्वेषण, उपयोगिता तथा अन्य विषयों में कोयले का परिष्करण शामिल है।

कोकिंग कोयले का आयात

419. श्री हरिन पाठक :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

(क) कोकिंग तथा गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन का वर्ष 1995-96 के दौरान पृथक-पृथक निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन सी कोयला कंपनियां कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले की पृथक-पृथक कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(घ) अब तक देश में किन-किन स्थानों पर कम तापक्रम वाले कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा देश से इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने हेतु भविष्य की योजना क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) के संबंध में वर्ष 1995-96 के दौरान कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले से संबंधित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं:-

(मिलियन टन में)

ग्रेड	लक्ष्य	वास्तविक
कोककर	41.62	34.63
अ-कोककर	227.38	229.23

(ख) ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (ई.को.लि.) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) मुख्यतः निम्नलिखित के कारण उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी - डी.वी.सी. से विद्युत की अपर्याप्त रूप में उपलब्धता, सितम्बर, 1995 में अप्रत्याशित वर्षा और आर्थिक रूप में नाकेबंदी, चालू परियोजनाओं के लिए, विशेषकर से.को.लि. के मामले में वन-भूमि का अनुपलब्ध होना। सिं.को.कं.लि. के मामले में कोयले का उत्पादन बुरी तरह से 2 बड़ी हड़तालों के कारण प्रभावित हुआ, जोकि अप्रैल-मई, 1995 और अक्तूबर-नवम्बर, 1995 में हुई थी।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 1993-1994, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के आयातित कोयले की कुल मात्रा चीचे दर्शाई गई है :-

(लाख टन में)

(आकंड़े अनंतिम)

वर्ष	कोककर कोयला	अ-कोककर कोयला	अन्य कोयला जिसमें कोयले, आदि की कोक की विभिन्न किस्में शामिल हैं।	जोड़
1993-94	69.36	33.93	1.77	75.06
1994-95	101.58	5.74	6.60	113.92
1995-96	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं	132.26

(वर्ष 1995-96 के लिए ग्रेड-वार किए गए आयात का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।)

(घ) एक निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण संयंत्र, जोकि को. इं.लि. को है, दानकुनी (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। वर्तमान में को. इं.लि. का निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्रों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किया गया निर्यात

420. श्री समीक लहिरी :

श्री के.पी. नायडू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष हुए कुल निर्यात की तुलना में निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किए गए निर्यात का प्रतिशत कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, क्षेत्रवार निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा निर्यात के माध्यम से अर्जित कुल आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश से किए गए कुल निर्यातों की तुलना में निर्यात संसाधन क्षेत्रों से किए निर्यातों के शेयर की प्रतिशतता नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	प्रतिशत शेयर
1993-94	2.81
1994-95	3.21
1995-96	3.04

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात आय का विवरण सलंग्न हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात संसाधन क्षेत्रों के लिए निर्यात का लक्ष्य 4050 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है।

(घ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों मे ये शामिल है: व्यापार, पुनः पैकिंग/लेबलिंग, मरम्मत, सुधार तथा पुनः निर्माण के बाद पुनः निर्यात, घरेलू बाजार की अधिक पहुंच, लोचशील मूल्यवर्द्धन मानदंड तथा सीमा शुल्क क्रियाविधियों का सरलीकरण।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात संसाधन क्षेत्रों के माध्यम से निर्यात आय

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
कांडला निर्यात संसाधन क्षेत्र	270.36	320.03	325.29
सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र	1107.36	1549.46	1876.29
नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र	262.62	367.00	496.89
मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र	200.20	281.38	391.92
कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र	83.81	102.53	120.31
फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र	35.56	32.31	24.04
विजाग निर्यात संसाधन क्षेत्र	-	0.40	0.89
जोड़	1959.91	2653.11	3235.63

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी

421\. **श्री आर.एल.पी. वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार राज्य सरकारों की कोयले के रायल्टी की कितनी राशि का भुगतान 31 अक्तूबर, 1996 तक करना था; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को रायल्टी के रूप में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कितनी राशि का भुगतान किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) संघीय सरकार द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों को कोयले पर रायल्टी की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, रायल्टी की राशि का भुगतान कोयला खनन पट्टे के धारक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। जिन खानों का पट्टा कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के पास है, उन खानों से किए गए कोयले के प्रेषण हेतु कोयला उत्पादक राज्यों को को.इं.लि. द्वारा 31.10.1996 की स्थिति के अनुसार भुगतान की जाने वाली रायल्टी की राशि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राशि	राज्य (करोड़ रु. में)
पश्चिम बंगाल	2.59
बिहार	8.12
उड़ीसा	16.96
महाराष्ट्र	0.74
मध्य प्रदेश	0.31
उत्तर प्रदेश	0.00
असम	0.01
जोड़	28.73

दिनांक 1.4.1996 से 31.10.1996 की अवधि के दौरान सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को भुगतान की जाने वाली रायल्टी की राशि 159.40 करोड़ रु. की है।

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बिहार सरकार को कोयले पर भुगतान की गई रायल्टी की राशि को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1994-95	613.18
1995-96	658.33

[अनुवाद]

ऋण जाल

422. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ऋण लेने पर संवैधानिक रोक लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद द्वारा सरकारी ऋणों पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 को लागू करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). इस संबंध में संसदीय समितियों, माननीय सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा पहले सुझाव दिए गए हैं, साथ ही अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे ही सुझाव दिए हैं।

यह सुझाव विचाराधीन है।

विदेशी मुद्रा विनियमन

423. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमनों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की परियोजनाएं

424. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का उड़ीसा में कुछ परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाओं को अनुमानित लागत कितनी है तथा उनके द्वारा रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). एम.एम.टी.सी. का उड़ीसा में डुबरी में 1510 करोड़ रु. की लागत से एक मिलियन मी.टन क्षमता की एक इस्पात संयंत्र परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से 1750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। एम.एम.टी.सी. की 480 करोड़ रु. की लागत से 8.8 लाख मी.टन धात्विक कोक का उत्पादन करने के लिए कोक ओवेन प्लांट और 55 मेगावाट क्षमता की निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है। इस परियोजना से करीब 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कोयले की कमी

425. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों में नई परियोजनाओं में निवेश नहीं कर पाने के कारण देश में कोयले की मांग व आपूर्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को कोयला परियोजनाओं में और अधिक निवेश के लिए अनुरोध करने के साथ साथ सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1996-97 के दौरान योजना आयोग ने 325.00 मि. टन कच्चे कोयले की मांग का आकलन किया था। उक्त अवधि के दौरान 290.65 मि.टन कोयले की घरेलू उपलब्धता का आकलन किया गया था। अतः वर्ष 1996-97 के दौरान घरेलू स्रोतों के कच्चे कोयले की मांग तथा उपलब्धता के बीच 34.35 मि.टन का अंतराल होगा।

मांग तथा उपलब्धता के बीच के अंतराल में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है, जोकि मांग में अकस्मात् वृद्धि तथा आंशिक रूप से संसाधन संबंधी कठिनाई के कारण कोयला कंपनियों द्वारा नई परियोजना में निवेश न किए जाने की असमर्थता के कारण हुई है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के संसाधनों में वृद्धि किए जाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) कोयले की कीमतों में आंशिक रूप में विनियंत्रण किए जाने से कोयला कंपनियों के आंतरिक संसाधन संबंधी उत्पादन में सुधार की संभावना है, जिससे नई परियोजनाएं शुरू की जा सकेगी। इससे नई खनन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार आएगा।

(2) कोल इंडिया लि. के पूंजीगत ढांचे की पुनर्संरचना की गई है ताकि पूंजीगत बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें जोकि नई कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए अपेक्षित है।

कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय किए गए हैं :-

(1) विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण करके, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करके तथा आगतों तथा संरचनात्मक ढांचा

संबंधी सुविधाओं की समयबद्ध रूप में उपलब्धता को सुनिश्चित करके कार्य-कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना।

(2) ऐसे कोयलाधारी क्षेत्रों, जिसमें उत्पादन बढ़ाए जाने की क्षमता है, परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेलवे के साथ सहयोग करके अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

(3) भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

(4) निजी क्षेत्र की कंपनियों, जिसमें लोहा तथा इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत के उत्पादन अंतर्ग्रस्त है, को ग्रहीत उपभोग हेतु कोयला खनन संबंधी क्रियाकलाप शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इससे घरेलू कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बड़ी कम्पनियों द्वारा आयकर अपवंचन

426. श्री अशोक प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 1 जुलाई, 1996 से 10 नवम्बर, 1996 की अवधि के दौरान देश में बड़ी कम्पनियों द्वारा आयकर अपवंचन के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भी उक्त अवधि के दौरान फेरा का उल्लंघन करने के लिए कुछ बड़ी कम्पनियों में छापे मारे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मामलों में कुछ सरकारी अधिकारियों के भी कथित रूप से शामिल होने का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी कम्पनियों और अधिकारियों के विरूद्ध अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आयकर विभाग ने 1 जुलाई, 1996 से 10 नवम्बर, 1996 की अवधि के दौरान ऐसी कुछ कम्पनियों में कर अपवंचन के उदाहरणों का पता लगाया है।

(ख) से (च). प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसी दो कम्पनियों नामतः मैसर्स आई.टी.सी. लिमि. एवं मैसर्स शॉ वैलस एंड कम्पनी के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत जांच शुरू की है। ये जांच जारी है।

[अनुवाद]

हैंक धागे का उत्पादन

427. श्री शरद पवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बुनाई मिलों को वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के अंतर्गत उनके 50 प्रतिशत भागों के उत्पादन की बाध्यता को समाप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि महाराष्ट्र की सहकारी बुनाई मिलें राज्य के हथकरघा बुनाई करने वालों को पर्याप्त मात्रा में हैंक धागे की आपूर्ति करेगी;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह छूट कब तक दे दी जायेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). वस्तुतः हैंक यार्न बाध्यता को 50 प्रतिशत से कम करके लगभग 29 प्रतिशत करने की मांग की गई है। इस पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस बाध्यता को 50 प्रतिशत के स्तर से कम करना संभव न हो सकेगा क्योंकि ऐसा करने से हथकरघा बुंनकरों को पर्याप्त मात्रा में धागा उपलब्ध करवाने के भारत सरकार के प्रयत्नों में कमी आ जायेगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बीमा के फर्जी दावों की बरामदगी

428. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंश्योरेंस रेकेट अनअर्थड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के डिविजनल कार्यालय में से गायब फाइलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार फर्जी दावे के कितने मामले निपटाए गये और इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(घ) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान बीमा कंपनियों के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जम्मू से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, श्रीनगर के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम्पनी को उसके मंडल कार्यालय से दावों की फाइलों को निकालकर उन्हें श्रीनगर में एक आवासीय भवन में रखकर, कम्पनी को आपराधिक षडयंत्र रचकर ठगने का आरोप लगाया गया है। सूचना के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्रीनगर में आवास पर छापा मारकर 204 फाइलें बरामद की हैं। ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी ने सूचित किया है कि ओरियन्टल के मण्डल कार्यालय से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 200 और फाइलें बरामद की हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के परिणामों को जानने के लिए कम्पनी उससे सम्पर्क बनाए हुए है, उसके पश्चात् ही की गयी धोखेबाजी की मात्रा के साथ-साथ उसमें संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करके अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकेगी। तथापि 21.8.1996 को सेवानिवृत्त हुए और पेंशन के लिए विकल्प देने वाले एक मुलजिम अधिकारी के संबंध सतर्कता संबंधी अनुमति को रोक लिया गया है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

429. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिये आबंटन में धीरे-धीरे कमी आ रही है तथा इसे सौंपी गई नवीकरण योजनाएं लम्बे समय से लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है तथा राष्ट्रीय नवीकरण कोष में कितनी राशि है; और

(च) लंबित प्रस्तावों के अनुरूप राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र ने कितने धन की मांग की है और इन पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अब तक स्वीकृत योजनाओं, अर्थात् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा कामगारों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती की योजना को वित्त पोषित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय नवीकरण निधि हेतु बजट प्रावधान में कमी आयी है किंतु स्वीकृत योजनाओं के अंदर कोई भी प्रस्ताव लंबे समय से लंबित नहीं रहा है।

(ङ) और (च). विभाग को राज्य सरकारों से 407.86 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त 74.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी शामिल हैं। तथापि राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता वर्तमान में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

430. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इनमें पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम/उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) के तहत व्यापार प्रतिबद्धता की निगरानी

431. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल के अंतर्गत निर्यात प्रतिबद्धता पर निगरानी कड़ी कर दी है;

(ख) क्या सरकार विदेशी सहयोग अनुमोदन खण्ड के तहत निर्यात प्रतिबद्धता पर कड़ी निगरानी रख रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग अनुमोदन खण्ड के तहत निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा न करने के लिए 38 कम्पनियों के नोटिस भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन नोटिसों का परिणाम क्या रहा; और

(च) ऐसी स्थिति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी, हां। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत सौंपे गए निर्यात दायित्व और विदेशी सहयोग की स्वीकृति की

मानीटरिंग फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यात निष्पादन को दर्शाने वाले विनरम पत्रों के आधार पर की जा रही है।

(घ) से (ङ). जी हां। ये मामले, निर्यात दायित्व को पूरा करने के तहत कम्पनियों द्वारा दायर किए गए कानूनी वचनबंध के नियमों और शर्तों के अनुसाद दण्ड लगाए जाने की कार्रवाई चल रही हैं।

(च) ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम हैं :- जदा किए गए विवरण पत्रों के जरिए फर्मों के निर्यात दायित्व के तहत उनके कार्यनिष्पादन की गंभीर मानीटरिंग और समीक्षा तथा फर्मों द्वारा दायर किए गए कानूनी वचनबंधों की शर्तों को लागू करना।

बैंकों में बेनामी खाते

432. **श्री आई.डी. स्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों विशेषकर बैंक आफ इंडिया की ओपरा हाउस की शाखा में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की फोर्ट शाखाओं, सांगली बैंक तथा स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की डी.एन. रोड शाखा में खाता खोले जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों में खाता खोलने के लिये जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) समस्त देश में निजी तथा सहकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में ऐसे और कितने खाते हैं; और

(ङ) बैंकों में बेनामी खाते खोलने को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हस्तशिल्पों का विकास

433. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के संबंध में दिल्ली सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव आज की तिथि तक लंबित है अथवा विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक कितनी राशि खर्च की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए दिल्ली सहित राज्य सरकारों को सीधे सहायता दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, राज्य निगमों/समितियों आदि को सहायता प्रदान की जाती है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (यह दिल्ली में हस्तशिल्प के संवर्धन संबंधी कार्य देखता है) तथा दिल्ली पर्यटन से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1993-94	2
1995-96	3
1996-97	1

एम्पोरियमों के नवीकरण से संबंधित 1995-96 के एक प्रस्ताव को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ). दिल्ली राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के समग्र विकास तथा संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में प्रशिक्षण, विपणन विकास सहायता, विपणन कार्यक्रम आयोजन डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना तथा एम्पोरियमों की स्थापना/नवीकरण शामिल है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, दिल्ली तथा अन्य पदार्थों के कारीगरों के लिए विपणन बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आई.एन.ए. मार्किट, दिल्ली के समीप एक स्थायी "दिल्ली हाट" स्थापित किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि. (सीसीआईसी) तथा हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि. (एचएचईसी) ने दिल्ली अथवा अन्य राज्यों की हस्तशिल्प की वस्तुओं का बिक्री हेतु दिल्ली में अपने शोरूम स्थापित किए हैं। हस्तशिल्प की वस्तुओं का बिक्री के लिए दिल्ली राज्य के अपने एम्पोरियम भी हैं।

(ङ) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली में हस्तशिल्प संवर्धन के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि निम्न प्रकार से है :-

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	1993-94	55.59
2.	1994-95	101.75
3.	1995-96	173.24
4.	1996-97 (20.11.96 तक)	29.93

आयकर में अनुमत्य कटौती की सीमा

434. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए 1500/- रुपए पर अनुमत्य कटौती की वर्तमान सीमा अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों की शिक्षा पर भारी खर्च को देखते हुए सरकार द्वारा इस सीमा को बढ़ाए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (32) के अधीन दी गई 1500/- रु. की छूट नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के कारण नहीं है। अतः इसकी पर्याप्तता या अपर्याप्तता का प्रश्न नहीं उठता। छूट-सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिधान निर्यात नीति

435. श्री डी.पी. यादव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर कोटा निर्यातकों की पात्रता संबंधी योजना को पुनः शुरू कर दिया है और 1997-99 के लिये निवेशकों हेतु एक पृथक श्रेणी निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). जी हां। नई परिधान निर्यात हकदारी नीति (कोटा नीति) 1997-99 में सरकार ने पांच प्रतिशत के वार्षिक स्तर के आबंटन सहित गैर-कोटा निर्यातक हकदारी प्रणाली को पुनः शुरू कर दिया है। इससे गैर-कोटा निर्यातकों को लाभ मिलेगा तथा ऐसी संभावना है कि इससे वे अधिक गैर-कोटा मदों का निर्यात करने के प्रति प्रोत्साहित होंगे। नई नीति में नए निवेशकों के लिए 10 प्रतिशत के वार्षिक स्तर की एक पृथक प्रणाली भी निश्चित की गई है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को समाप्त करना

436. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तयी पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरण को समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बचाने के लिये औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के लिये कोई अन्य विकल्प खोजने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार ने संसद में एक नया विधेयक लाने के उद्देश्य से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरण की पूर्ण समीक्षा शुरू की है।

विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन द्वारा किया गया निर्यात

437. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एककों और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है जिन्हें विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन में भूमि का आबंटन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन एककों द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) उन एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने से पूर्व ही रूग्ण घोषित कर दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा विशाखापत्तनम जोन द्वारा किये जा रहे निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). 13 औद्योगिक इकाइयों को विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन क्षेत्र में भूमि/तैयार स्थान आबंटित किए गए हैं। निर्यातों के स्तर तथा अनुमानित मूल्यवर्द्धन जैसे कारकों को ध्यान में रखकर इकाईयों को अनुमोदन किया जाता है तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में भूमि तथा तैयार स्थान आबंटित किये जाते हैं। वे इकाइयां, जिन्हें स्थान आबंटित किए गए हैं, उनमें से अधिकांशतः कम्प्यूटर सिस्टम तथा फैक्स पेपर रोल्स, सिलेसिलाए परिधान, भेषजीय उत्पाद प्लास्टिक की वस्तुएं, आटोमोबाइल के पहिए, बीयर आदि के उत्पाद समूहों के अन्तर्गत आती हैं। क्षेत्र से निर्यात वर्ष 1994-95 में ही शुरू हुए हैं। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन क्षेत्र से किए गए निर्यातों का मूल्य क्रमशः 40 लाख रु. तथा 39 लाख रु. था।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने से पहले किसी भी एकक को रूग्ण घोषित नहीं किया गया है।

(घ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यातों में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं : क्रियाकलाप के क्षेत्रों का विस्तार करने में ये शामिल हैं : व्यापार, पुनः पैकिंग/लेबलिंग, मरम्मत, रीकंडीशनिंग तथा री.इंजीनियरिंग, के बाद पुनः निर्यात, घरेलू बाजार की अधिक पहुंच, लोचशील मूल्यवर्द्धन मानदंड तथा सीमाशुल्क क्रियाविधियों का सरलीकरण। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का प्रशासन, उपयुक्त प्रचार उपायों, विदेश में भारतीय दूतावासों से बातचीत करके

तथा उद्यमियों, चैम्बर्स ऑफ कामर्स आदि के साथ संगोष्ठियां करके क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को आकृष्ट करने के प्रयास कर रहा है।

एच.एम.टी. का विस्तार

438. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा इसकी इकाइयों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसका रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या एच.एम.टी. की इकाइयों में आधुनिक तकनीक लाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). एच.एम.टी. ने अपने संचालनों के आधुनिकीकरण और अपनी निर्बल इकाइयों के कार्यकरण में सुधार के लिए उपाय किए हैं। किए गए उपायों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, वित्तीय निवेशों और आधुनिकीकरण हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि शामिल हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया

439. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कोयले के बिल का भुगतान न करने के कारण कोल इंडिया लि. के समक्ष धन का अभाव बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1996 तक प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी.आई.एल. द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड के एवज् में देय बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशि की वसूली किए जाने हेतु सरकार/कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) को.इं.लि. को विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा लेटर-आफ-क्रेडिट के एवज् में ही किए जाने का परामर्श दिया गया है। "कैश एंड कैरी" योजना को 1 जून, 1995 से और अधिक बल के साथ क्रियान्वित किया गया है।

(2) डी.वी.सी., बी.एस.ई.बी., यू.पी.एस.ई.बी., एम.एस.ई.बी. और डब्लू.बी.एस.ई.पी. के संबंध में देय बकाया राशि की वसूली ऊर्जा बिलों के एवज् में समायोजन के माध्यम से की जा रही है।

(3) राज्य सरकारों से राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी देय बकाया राशि का तत्काल निपटारा किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी अनुरोध किया है।

(4) को.इं.लि. तथा रेलवे की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की योजनागत सहायता से वसूली बदरपुर तापीय विद्युत गृह की देय बकाया राशि के एवज् में वर्ष 1995-96 के दौरान की गई थी। यह वसूली वर्ष 1996-97 के दौरान भी जारी है।

(5) कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच देय बकाया राशि संबंधी विवादों का निपटारा किए जाने हेतु अधिनिर्णायक नियुक्त कर दिए गए हैं।

विवरण

31.7.1996 की स्थिति के अनुसार को.इं.लि. की कोयले की बिक्री से संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं की ओर देय बकाया राशि

(करोड़ रु. में)

राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	विवादित राशि	अविवादित राशि	जोड़
1	2	3	4
1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	21.38	63.90	85.28
2. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	86.23	245.33	331.56
3. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	130.64	39.96	170.60

1		2	3	4
4.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	57.41	50.69	108.10
5.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	81.84	33.01	114.85
6.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	19.97	15.67	35.64
7.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	378.97	101.40	480.37
8.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	19.80	61.75	81.55
9.	गुजरात विद्युत बोर्ड	23.80	124.95	148.75
10.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	15.73	70.42	86.15
11.	पश्चिम पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन	13.34	65.44	78.78
12.	आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	4.44	35.37	39.81
13.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	-	0.25	0.25
14.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	5.23	8.02	13.25
15.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	5.97	15.97	21.94
16.	दामोदर वैली कारपोरेशन	67.20	76.92	144.12
17.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	32.71	−3.91	28.80
18.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	189.84	159.45	349.29
19.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	158.22	4.18	162.40
20.	कलकत्ता विद्युत सप्लाई कार.	1.56	6.28	7.84
21.	अहमदाबाद विद्युत कंपनी	17.52	−0.71	16.81
22.	बम्बई सर्बबन विद्युत सप्लाई	0.24	−0.35	−0.11
23.	अन्य	7.57	9.84	17.41
	जोड़	1339.61	1183.83	2523.44

कपड़ा उद्योग के लिये मोडवेट योजना

440. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिये हाल ही में मोडवेट प्रणाली शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

मोडवेट योजना, जिसमें निविष्टियों (कच्ची सामग्रियां, संघटक पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं) और पूंजीगत माल पर संदत्त उत्पाद शुल्क क्रेडिट के लिए व्यवस्था है, को 4 सितम्बर, 1996 से सूती और मानव निर्मित फाइबरों के संसाधित टैक्सटाइल फैब्रिकों पर भी लागू किया गया है। क्रेडिट का लाभ उठाने की सुविधा के लिए, ऐसे संसाधित फैब्रिको पर मूल उत्पाद शुल्क लगाया गया है। योजना के अनुसार, संसाधित फैब्रिको के विनिर्माता यार्न, रंगों, रसायनों, पैकिंग सामग्रियों और पूंजीगत माल पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अतिरिक्त सीमाशुल्क का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और क्रेडिट को संसाधित फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क की अदायगी के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यद्यपि एक ही कारखाने में कताई, बुनाई और संसाधित करने की सुविधाओं वाली संयुक्त मिलें वास्तविक संदत्त शुल्क का माडवेट क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, तथापि, ऐसे टैक्सटाइल संसाधन यूनिट, जो असंसाधित फैब्रिक प्राप्त करते हैं और उन्हें संसाधित करते हैं, को

मान्य आधार पर निविष्टियों पर माडवेट क्रेडिट की अनुमति दी गई है।

30 रु. प्रति वर्ग मीटर से अनधिक मूल्य के 100 प्रतिशत सूती फैब्रिकों (संसाधित) के मामले में, मूल उत्पाद शुल्क मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। इसके अलावा, ऐसे फैब्रिकों पर बिक्री कर के बदले मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अदायगी भी करनी होगी। अन्य सूती फैब्रिकों (संसाधित) और मानव निर्मित फाइबरों के संसाधित फैब्रिकों के संबंध में मूल उत्पाद शुल्क मूल्यानुसार 12 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। ऐसे फैब्रिकों पर बिक्री कर के बदले मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अदायगी भी करनी होगी।

मान्य क्रेडिट की राशि निम्नानुसार निश्चित की गई है :-

शत प्रतिशत संसाधित सूती फैब्रिकों के मामले में, ऐसे फैब्रिकों पर देय मूल उत्पाद शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर राशि के लिए "मान्य" (डीमड) क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाती है। मानव निर्मित फाइबरों के संसाधित फैब्रिकों के मामले में, ऐसे फैब्रिकों पर देय मूल उत्पाद शुल्क के सत्तर प्रतिशत के बराबर राशि के लिए "डीमड" क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाती है। यह डीमड क्रेडिट यार्न, रंगों, रसायनों और उपभोज्य वस्तुओं तथा पैकिंग सामग्री पर संदत्त शुल्क के बदले है। डीमड क्रेडिट को शुल्क अदायगी संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक पूंजीगत माल का संबंध है, मॉडवेट क्रेडिट के लिए अनुमति वास्तविक आधार पर दी जाती है।

आई.टी.सी. में पता लगाए गये घोटाले

441. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 350 करोड़ रुपए के घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय आई.टी.सी. द्वारा किये गये आयात और निर्यात पर निगरानी रखने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस घोटाले की जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने भविष्य में ऐसे घोटालों पर अंकुश लगाने के लिये क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय तम्बाकू कंपनी (आई.टी.सी.) द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास तथा गुंटूर स्थित 26 परिसरों की 30, 31-10-96 तथा 6-11-96 को तलाशी ली गई है। इसके अलावा कंपनी के कुछ संबंधित निदेशकों/कार्यपालकों (कार्यरत और सेवा निवृत्त दोनों) से पूछताछ की गयी है जिनमें से 10 व्यक्तियों को फेरा, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और वे सब अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है।

(ग) और (घ). भिन्न-भिन्न कंपनियों के आयात तथा निर्यात निष्पादन की मानीटरिंग का कार्य, केवल उन मामलों को छोड़कर, जहां विशिष्ट निर्यात दायित्व मशीनरी के आयात या अन्य निविष्टियों पर शुल्क छूट/राहत के विरूद्ध सौंपे गए हैं, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है।

(ङ) और (च). चूंकि जांच इस समय प्रारंभिक चरण पर है, इसलिए इसमें समाप्त होने पर दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के विरूद्ध फेरा, 1973 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(छ) प्रवर्तन निदेशालय निरंतर निगरानी रखता है और जब भी कोई विशिष्ट मामला/जानकारी इसके सामने आती है, फेरा, 1973 के अधीन अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

मेनड्रेक्स की जब्ती

442. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात में मेनड्रेक्स की जब्ती के कितने मामले दर्ज हुये हैं; और

(ख) मेनड्रेक्स के अवैध उत्पादन तथा तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में मेनड्रेक्स की जब्ती के मामलों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	मामलों की संख्या
1994	6
1995	3

(ख) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरते। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा

समुद्र तट पर लगाए गए हैं, को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके। एसेटिक एनहाइड्राइड तथा एन-एसेटाइलेनथरेनालिक एसिड, जो मैथाक्वालान (मैनड्रेक्स) के अवैध उत्पादन का प्रमुख संघटक हैं, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अधीन 1993 में 'नियंत्रित पदार्थ' के रूप में घोषित किया गया है।

कालीनों का निर्यात

443. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में किए जाने वाले कालीनों के निर्यात में अभूतपूर्व कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कालीनों के निर्यात में तीव्र कमी के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) कालीनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). जी नहीं। वर्ष 1995-96 की अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 1996 की अवधि के दौरान, मूल्य के अनुसार कालीनों के निर्यात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, फिर भी वर्ष 1995-96 के आंकड़ों की तुलना में वृद्धि कम हुई है, जो कि 7.56 प्रतिशत थी।

वृद्धि दर में गिरावट का कारण है विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्यों के कालीनों अर्थात गावा व इण्डो नेपाली किस्म के कालीन जिसको इकाई मूल्य वसूली कम है, के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) कालीन निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए विशेष कदमों में, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का प्रायोजन करना, सूची पत्रों की छपाई व विदेशों में प्रचार, सेमिनारों व कार्यशालाओं का आयोजन करना, नाममात्र आयात शुल्क पर कच्ची ऊन का आयात तथा भारत में प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय कालीन एक्सपो का आयोजन करना शामिल हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण में घ्रत्तोम

444. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी.बी.आई. कांउसल क्विट्स केस इन प्रोटेस्ट" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए केवल समन जारी किए गए थे न कि वारंट अतः सरकार को जमानत अर्जियों का विरोध न करने में कोई हानि नहीं दिखाई देती।

अदालतों में लंबित मामले

445. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में गत पांच वर्षों के दौरान कितने आपराधिक मामले लंबित हैं; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि कार्य विभाग विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विधि आयोग और विभिन्न समितियों ने न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रश्न का अध्ययन किया है। बकाया समिति ने, जिसे मलीमथ समिति के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1990 में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन दिसम्बर, 1993 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन द्वारा अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। इस संबंध में कार्यान्वयन की प्रगति का विधि मंत्रियों के सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन नवम्बर, 1995 के दौरान हैदराबाद में किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा एक स्कीम आरंभ की गई है यह मूल अवसरंचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए बहुप्रचलित प्रक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 50 नए पद सृजित किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

विवरण

भारत के उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	इलाहाबाद	105,462	108,498	116,337	125,984	127,985	(30/6/95 तक)
2.	आंध्र प्रदेश	2,169	2,992	3,589	5,026	5,744	
3.	मुंबई	12,324	13,315	12,259	13,392	14,681	
4.	कलकत्ता	16,362	17,814	19,330	21,338	21,632	
5.	दिल्ली	6,319	7,604	8,368	8,235	8,600	(30/6/95 तक)
6.	गुवाहाटी	3,893	3,994	3,832	4,029	3,915	
7.	गुजरात	14,603	8,261	10,244	10,584	10,531	(31/3/95 तक)
8.	हिमाचल प्रदेश	2,533	2,802	3,282	3,069	2,944	
9.	जम्मू और कश्मीर	4,660	4,578	4,983	6,347	4,649	
10.	कर्नाटक	2,676	2,527	3,236	3,737	5,009	
11.	केरल	2,940	3,879	5,389	6,036	6,174	
12.	मध्य प्रदेश	22,602	26,100	29,045	28,713	उपलब्ध नहीं	
13.	मद्रास	25,767	30,179	33,042	32,539	22,206	
14.	उड़ीसा	4,895	4,946	4,132	4,180	4,789	
15.	पटना	10,726	12,023	17,776	21,731	21,692	
16.	पंजाब और हरियाणा	12,239	13,834	18,379	23,491	29,684	
17.	राजस्थान	15,333	17,157	16,918	17,925	19,549	
18.	सिक्किम	2	4	7	2	6	
	जोड़	265,505	280,507	310,148	336,358	309,790	

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

वर्ष	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले	योग
1991	60,354	44,582	104,936
1992	62,316	35,220	97,536
1993	37,549	21,245	58,794
1994	30,967	21,983	52,950
1995(1.12.95 तक)	15,811	21,357	37,168

कर-छूट की अवधि

446. श्री काशीराम राणा :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. 1961 के अन्तर्गत कर-छूट की अवधि की मंजूरी हेतु जिले की बजाए ताल्लुक को पूर्ण रूप से मानदण्ड के रूप में वहां पिछड़ेपन के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाते समय इस प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आयकर न्यायाधिकरण के अन्तर्गत मामले

447. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयकर न्यायाधिकरण के अन्तर्गत लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन लंबित मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार ने अपील की है; और

(ग) लंबित मामलों में आयकर की कितनी राशि बकाया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) तारीख 1-10-1996 को आय कर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित ऐसे मामलों की, जिनके संबंध में सरकार ने अपील की है, संख्या 1,56,0440 थी।

(ग) आय-कर अपील अधिकरण इसके समक्ष फाइल की गई अपीलों पर अर्न्वलित कर प्रभाव के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

विवरण

आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष तीन से अधिक वर्षों से लंबित मामलों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	अपील	संदर्भः आवेदन पत्र	योग
1975	1	-	1
1976	1	-	1
1979	5	1	6
1980	7	-	7
1981	13	-	13
1982	31	-	31
1983	147	-	147
1984	117	1	118
1985	189	4	193
1986	306	2	308
1987	606	3	609
1988	2557	74	2631
1989	4176	4	4180
1990	15236	61	15297
1991	32419	75	32494
1992	44916	501	45417
1993	48143	58	48201
योग	148870	784	149654

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

448. श्री राम टहल चौधरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित किये जा रह माल की कोई मांग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). यद्यपि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित किए जा रहे माल की पर्याप्त मांग है, तथापि, कम्पनी बी.

आई.एफ.आर. को अपने संदर्भन, कार्यचालन पूंजी की कमी तथा स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही है।

सरकार कम्पनी को वित्तीय सहायता प्रदान कर, कार्यचालन पूंजी के लिए बैंक की गारन्टियां देकर तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से ऑर्डर प्राप्त करने आदि में सहायता प्रदान कर रही है।

आयकर विभाग के स्ट्रांग रूम से गायब आभूषण और चांदी

449. डा. बलिराम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित आयकर विभाग के स्ट्रांग रूम से हाल ही में बड़ी मात्रा में आभूषणों और चांदी की चोरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। मई, 1995 में आगरा स्थित आयकर विभाग के स्ट्रांग रूम से निम्नलिखित मदों की चोरी होने का पता लगा था :-

(1) पार्सल सं.56-श्री रामबाबू माहेश्वरी का बॉक्स, जिसमें 4.95 लाख रु. के मूल्य की चांदी, सोना और स्वर्ण आभूषण रखे हुए थे।

(2) पैकिट सं. 59-मै. सनराइज ग्रुप ऑफ भावनगर का बॉक्स, जिसमें 4.72 लाख रुपए के मूल्य के स्वर्ण आभूषण रखे हुए थे।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर में निदेशक की नियुक्ति

450. श्री पी.सी. थामस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आप त्रावणकोर में गैर-सरकारी निदेशक का पद कब से रिक्त है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सहयोगी बैंक अधिकारी संघ ने इस पद को भरे जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस पद को क़ब तक भरे जाने की संभावना हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). इस समय स्टेट बैंक आप त्रावणकोर के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक का कोई पद रिक्त नहीं है। तथापि, बैंक के बोर्ड में गैर-कामगार निदेशक का पद 14 दिसम्बर, 1994 से रिक्त है। पद को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

विधि आयोग में रिक्त पद

451. श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयोग में विधि विशेषज्ञों के कितने पद कितने-कितने समय से रिक्त पड़े हैं;

(घ) इन रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). विधि आयोग, प्रत्येक तीन वर्षों में गठित किया जाता है। वर्तमान विधि आयोग को 1.9.1994 से 31.8.1997 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था।

(ग) और (घ). आयोग में एक अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य हैं। इन सभी पदों को भर लिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) विधि आयोग को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना

452. श्री राम नाईक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना का दीर्घावधिक विस्तार प्रदान करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही की गई है तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र में अपरिष्कृत कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को 1 जुलाई, 1996 से 30 जून, 1998 तक के दो वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर बढ़ाने की अनुमति दी है कि इस संबंध में भारत सरकार कोई वित्तीय वचनबद्धता नहीं करेगी तथा यदि कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो उस स्थिति में भारतीय कपास निगम द्वारा इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कपास की कोई खरीद नहीं की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फर्जी नामों पर बैंक ऋण

453. श्री राम सागर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा फर्जी नामों पर लाखों रूपयों का ऋण दिये जाने के बारे में बैंक से हाल में विस्तृत जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैंक ने अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को जानकारी प्रस्तुत कर दी है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वसूली संबंधी कार्यवाही के दौरान फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन की जानकारी में यह बात आई कि कुछ उधारकर्ता बकाया देनदारी स्वीकार नहीं कर रहे थे जो उनके नाम थे। बैंक ने मामले की जांच की और सूचित किया है कि 76 मामले में, जिनमें 6.52 लाख रूपए की राशि के ऋण अन्तर्ग्रस्त हैं, दुरूपयोग/दुर्विनियोजन का संदेह है। कुछ उधारकर्ता दिए गए अपने पतों पर उपलब्ध नहीं थे।

(घ) बैंक प्रबंधन ने संबंधित शाखा प्रबंधक को कहा था कि वह अन्य अधिकारों को शाखा का कार्यभार सौंप दें। तथापि, उनसे कहा गया है कि वे केवल उपर्युक्त 76 मामलों में वसूली करें और वसूली की प्रगति की रिपोर्ट दैनिक आधार पर प्रधान कार्यालय को दें। बैंक ने निर्णय लिया है कि धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त धन की वसूली के लिए प्रयास किये जाते रहने चाहिए। अब तक, बैंक ने एक ही आपूर्तिकर्ता से 58,00/- रुपए और उस मामले में अंतर्ग्रस्त शाखा प्रबंधक से 27,000/- रूपए की वसूली कर ली है। बैंक ने यह भी निर्णय लिया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ जिला प्राधिकारियों की सहायता से आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

रेलवे वैगनों की लदान क्षमता में कमी

454. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की लदान क्षमता में कमी के कारण कोल इंडिया लि. तथा भारतीय रेल को प्रतिवर्ष 700 करोड़ रूपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार रेलवे वर्कशापों में वैगनों की नियतकालिक मरम्मत (ओवरहॉल) करते समय उनका टेयर (धड़ा) वजन किया जाता है तथा यदि इसमें कोई विसंगति होती है तो उसमें सुधार किया जाता है। रेलवे यह बात महसूस करती है कि वैगनों की दो बार मरम्मत किए जाने के बीच में उनके अंकित तथा वास्तविक टेयर वजन के मध्य होने वाली विसंगति की बात कोई महत्व नहीं रखती है।

किन्तु, कोल इंडिया लि. यह बात महसूस करती है कि वैगनों के अंकित तथा वास्तविक टेयर वजन के बीच भिन्नता होना कोई अमहत्वपूर्ण बात नहीं है। इस भिन्नता के कारण उसे पर्याप्त घाटा उठाना पड़ता है। कोल इंडिया लि. ने इस मामले को संबद्ध रेलवे अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

कारों और जीपों का निर्यात

455. श्री सौम्य रंजन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों और जीपों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). कारों और जीपों के निर्यात को बढ़ाने की अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई हैं। फिर भी इंजीनियरी क्षेत्र में अन्य वस्तुओं की तरह इन मदों का भी निर्यात बढ़ाने का मंत्रालय निरंतर प्रयास रहा है। इस संबंध में किए गए उपायों में आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं। वे हैं :- शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, विशेष निर्यात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना और बाजार विकास निधि से सहायता इत्यादि। विश्व बाजार में अच्छी पहुंच के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद मद-विशेष संवर्धन के लिए सहायता देती है। इन निर्यात संवर्धन उपायों/प्रयत्नों की वजह से कारों और जीपों के निर्यात में वृद्धि हो रही है।

बोनस के लिए हड़ताल से नुकसान

456. डा. मुरली मनोहर जोशी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिनके कर्मचारियों ने अक्तूबर, 1996 में बोनस की ऊपरी सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर हड़ताल की थी, और उनके कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) श्रम दिवस के संदर्भ में सरकार को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस मामले पर एक समेकित निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) बोनस देने की अर्हक वेतन सीमा को हटाने का प्रस्ताव मूलतः रेल मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। तदनुसार, सरकार ने उनके पक्ष में निर्णय लिया। जब अन्य मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों द्वारा भी यही मांग उठायी गयी तो केन्द्रीय सरकार के सभी समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को भी यह लाभ देने का निर्णय लिया गया था।

विद्युत कारों का उत्पादन

457. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत कार के उत्पादन को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की गई है तथा केंद्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में दिए जा रहे प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, का क्या ब्यौरा है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार की नीति विद्युत कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है क्योंकि इस प्रकार की कारें उत्सर्जन के अनुकूल होती हैं और जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करती है। इस प्रकार के वाहनों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(ग) इस समय सभी प्रकार की कारों का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त है। लाइसेंस मुक्त करने से पूर्व सरकार ने विद्युत कारों के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया था :

(1) एड्डी करंट (इंडिया) लि., केरल

(2) पंकज दूबे, नयी दिल्ली।

वैद्युत शक्तियुक्त कार के विनिर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने हेतु मै. मैनी अमेरिगोन कार कंपनी (प्रा.) लि., यू. एस.ए. के प्रस्ताव का हाल में अनुमोदन किया गया है।

(घ) गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय प्रत्येक बैटरी संचालित यात्री वाहन (चौपहिया) के लिए 2 लाख रू. की सब्सिडी देती है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

458. श्री भक्त चरण दास :

श्री गोरधन भाई जावीया :

श्री एम. सैल्वारासु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1995-96 और 1996-97 से आज तक वार्षिक योजना हेतु राज्यों को विशेषकर उड़ीसा को स्वीकृत सम्पूर्ण राशि/अनुदान राशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कुछ और वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने वास्तव में कितनी राशि आवंटित की; और

(च) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई पूरी राशि को नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). केन्द्रीय योजना सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निहित होती हैं। राज्यों को उनकी मंजूरी/आवंटन के अनुसार उपर्युक्त मदों के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं।

उपर्युक्त प्रकार की केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों को मंजूर की गई तथा उन्हें जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) से (च). राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप योजना आयोग द्वारा दिया जाता है तथा इन्हें राज्यों के अपने संसाधनों, केन्द्रीय रूप से आवंटित संसाधनों तथा बाजार ऋणों, आपसी बातचीत से तय होने वाले ऋणों, तथा केन्द्रीय सहायताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वार्षिक योजनाओं को पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है।

विशेष परिस्थितियों में राज्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क करते हैं। केन्द्र सरकार अपने संसाधनों पर मौजूदा तनावों और वित्तीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अत्यन्त विशेष मामलों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं। वित्त मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरों और उनके लिए 20/11/96 तक दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता और वार्षिक योजना 1995-96 और 1996-97 (अब तक) के लिए दी गई राशि

क्र. सं.	राज्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता		विशेष ऋण योजना		बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अति. के. सहायता		केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	
		स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	777.50	769.73	-	-	770.00	444.10	18.16	2.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	413.80	409.66	-	-	-	-	0.51	-
3.	असम	1074.61	1065.11	-	-	80.00	2.81	6.55	-
4.	बिहार	1053.86	1008.32	-	-	150.00	32.02	28.32	-
5.	गोवा	58.34	56.75	-	-	13.00	0.11	-	-
6.	गुजरात	331.08	322.77	-	-	133.88	106.12	10.45	-
7.	हरियाणा	215.37	212.77	-	-	190.00	87.52	7.60	-
8.	हिमाचल प्रदेश	411.92	407.79	-	-	55.39	40.16	2.92	1.13
9.	जम्मू और कश्मीर	1347.75	1341.73	44.00	44.00	10.00	6.51	1.71	-
10.	कर्नाटक	379.15	375.36	-	-	448.80	145.76	-	-
11.	केरल	427.00	421.44	-	-	200.00	29.37	3.20	-
12.	मध्य प्रदेश	666.00	660.60	-	-	120.00	67.69	13.28	-
13.	महाराष्ट्र	570.24	561.53	-	-	1210.00	721.20	19.84	-
14.	मणिपुर	272.40	263.27	-	-	5.00	-	0.85	0.07
15.	मेघालय	227.91	225.63	-	-	-	-	0.80	-
16.	मिजोरम	248.37	245.89	-	-	15.00	-	0.66	-
17.	नागालैंड	250.44	247.94	-	-	15.00	-	1.90	-
18.	उड़ीसा	438.34	433.95	55.00	55.00	260.00	142.33	12.06	0.06
19.	पंजाब	217.92	210.74	-	-	155.00	96.75	2.47	-
20.	राजस्थान	481.54	476.73	-	-	350.00	301.54	5.00	-
21.	सिक्किम	173.51	171.70	-	-	-	-	0.68	-
22.	तमिलनाडु	667.36	660.69	-	-	950.00	320.60	9.33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	295.22	292.27	-	-	-	-	1.03	0.93
24.	उत्तर प्रदेश	1503.17	1488.25	-	-	1020.00	369.71	60.25	53.00
25.	पश्चिम बंगाल	618.78	584.42	-	-	400.00	85.75	7.58	-
	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	-	-	-	-	-	-	-	-
	पश्चिमी घाट सचि.	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	13121.58	12915.04	99.00	99.00	6551.07	3000.05	215.13	57.59

* आई.जी.एन.पी. के लिए 60.00 करोड़ रुपए सहित

क्र. सं.	राज्य	पहाड़ी क्षेत्रों/प. घाट के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		अन्य क्षेत्रीय विशेष कार्यक्रम		* जोड़	
		स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1565.86	1216.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	414.31	409.66
3.	असम	46.32	46.32	4.12	4.12	5.00	5.00	1216.50	1123.36
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	1232.18	1040.34
5.	गोवा	2.34	2.17	-	-	-	-	73.68	59.03
6.	गुजरात	-	-	8.58	8.58	-	-	483.99	437.47
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	412.97	300.29
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	2.25	2.25	472.48	451.33
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	20.68	20.68	-	-	1424.14	1412.92
10.	कर्नाटक	11.30	10.42	-	-	-	-	839.25	531.54
11.	केरल	9.52	9.52	-	-	-	-	639.72	460.38
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	799.28	728.29
13.	महाराष्ट्र	15.28	15.20	-	-	-	-	1815.36	1297.93
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	278.25	263.34
15.	मेघालय	-	-	3.95	3.95	-	-	232.66	229.58
16.	मिजोरम	-	-	2.73	2.73	-	-	266.76	248.62
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-		267.34	247.94
18.	उड़ीसा	-		-		-	-	765.40	631.34
19.	पंजाब	-	-	8.54	8.54	3.00	3.00	386.93	319.03
20.	राजस्थान	-		85.63*	85.63*	-		922.17	863.90
21.	सिक्किम	-		-		-	-	174.17	171.70

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	तमिलनाडु	27.59	–	–	–	3.00	3.00	1657.28	1011.88
23.	त्रिपुरा	–	–	10.96*	10.96	–	–	307.21	304.16
24.	उत्तर प्रदेश	225.00	225.00	–	–	–	–	2808.42	2135.96
25.	पश्चिम बंगाल	22.23	22.23	30.81	30.81	1.12	1.12	1080.52	724.33
	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	0.35	0.09	–	–	–	–	0.35	0.09
	पश्चिमी घाट सचि.	0.10	0.08	–	–	–	–	0.10	0.08
	जोड़	360.03	358.62	176.00	176.00	14.37	14.37	20537.18	16630.89

*आई.जी.एन.पी. के लिए 60.00 करोड़ रूपए सहित

विवरण-I

राज्य को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता और वार्षिक योजना 1995-96 और 1996-97 (अब तक) के लिए दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	राज्य	सा.के.स.		वि.यो.ऋण		ब.स.प्र.परि. के लिए अ.के.स.		के.द्वारा प्र.स्की.		प.क्षेत्रों/पू.घ. के लिए विशेष के.सहायता		सीमावर्ती क्षे. के लिए विशेष		अन्य क्षेत्रीय वि. कार्यक्रम		जोड़	
		स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.	स्वी.	जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	918.02	616.07	-	-	586.00	447.09	18.19	-	-	-	-	-	-	-	1522.18	1063.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	445.35	286.77	-	-	-	-	0.51	-	-	-	-	-	-	-	445.86	266.77
3.	असम	1100.50	667.48	-	-	80.00	0.73	6.55	-	46.32	6.09	3.94	-	-	-	1237.31	674.30
4.	बिहार	1258.07	696.75	-	-	288.39	43.74	28.32	-	-	-	-	-	-	-	1574.78	740.49
5.	गोवा	60.89	38.10	-	-	9.95	1.31	0.36	-	2.32	0.70	-	-	-	-	73.52	40.11
6.	गुजरात	383.66	237.72	-	-	117.91	67.71	10.45	-	-	-	8.21	2.74	-	-	520.23	308.17
7.	हरियाणा	228.54	144.48	-	-	349.00	92.57	7.60	-	-	-	-	-	-	-	585.14	237.05
8.	हिमाचल प्रदेश	459.87	279.42	-	-	37.33	21.65	2.92	-	-	-	-	-	-	-	500.12	301.07
9.	जम्मू और कश्मीर	961.00	689.79	44.00	29.20	10.00	6.08	2.00	-	-	-	19.79	6.60	-	-	1036.79	731.67
10.	कर्नाटक	454.74	268.41	-	-	437.42	131.45	6.93	-	11.22	3.36	-	-	-	-	910.31	403.22
11.	केरल	485.08	294.83	-	-	110.52	12.92	3.20	-	8.45	2.84	-	-	-	-	608.26	310.59
12.	मध्य प्रदेश	823.33	453.72	-	-	157.69	60.94	13.28	-	-	-	-	-	-	-	994.30	514.66
13.	महाराष्ट्र	667.02	407.52	-	-	1261.60	1000.91	19.84	-	15.17	4.55	-	-	-	-	1963.63	1412.98
14.	मणिपुर	326.30	187.19	-	-	5.00	-	0.85	-	-	-	-	-	-	-	332.15	187.19
15.	मेघालय	264.37	157.76	-	-	-	-	0.60	-	-	-	3.78	1.26	-	-	268.75	159.02
16.	मिजोरम	263.24	158.50	-	-	-	-	0.66	-	-	-	2.61	0.87	-	-	266.51	159.37
17.	नागालैंड	270.02	161.84	-	-	15.00	-	1.90	-	-	-	-	-	-	-	286.92	161.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	उड़ीसा	515.60	337.35	55.00	36.40	329.00	126.79	12.06	-	-	-	-	-	-	-	911.66	500.54
19.	पंजाब	238.51	649.76	600.00	400.00	171.82	125.37	2.47	-	-	-	8.17	2.72	-	-	1020.97	1077.85
20.	राजस्थान	570.94	322.93	-	-	350.00	118.54	5.00	-	-	-	84.52*	38.17*	-	-	1010.46	479.64
21.	सिक्किम	188.33	114.38	-	-	-		0.66	-	-	-	-		-	-	188.99	114.38
22.	तमिलनाडु	752.50	469.35	-	-	900.00	392.56	9.83	-	27.53	8.26	-	-	-	-	1689.85	870.17
23.	त्रिपुरा	336.59	195.29	-	-	15.00	-	1.03	-	-	-	10.49	3.50	-	-	363.11	198.79
24.	उत्तर प्रदेश	1841.41	1141.55	-	-	900.00	478.41	60.25	-	217.07	56.25	-	-	25.71	3.33	3044.44	1679.54
25.	पश्चिम बंगाल	859.25	461.95	-	-	942.30	94.93	7.58	-	22.23	11.11	29.49	14.74	-	-	1860.85	582.73
	पश्चिमी घाट सचि.	-	-	-	-		-	-	-	0.59	-	-	-	-	-	0.59	0.00
	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	-	-	-	-		-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	0.09	0.00
	जोड़	14673.13	9318.91	699.00	465.60	7073.93	3223.70	223.01	0.00	352.00	93.16	171.00	70.60	25.71	3.33	23217.78	13175.30

* आई.जी.एम.पी. के लिए 60 करोड़ रुपए सहित।

* आई.जी.एन.पी. के लिए 30 करोड़ रुपए सहित।

विवरण II

राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता और वित्त मंत्रालय द्वारा 1993-94 से 1996-97 (20.11.1996 तक) दी गई राशि

क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ रूपए में)	उद्देश्य	(करोड़ रूपए में) उपलब्ध कराई गई धनराशि
1	2	3	4	5
क. 1993-94				
1.	अरूणाचल प्रदेश	200.00	सड़कों के उचित विकास के लिए	शून्य
2.	हरियाणा	200.00	एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि का निर्धारण करना।	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश	270.00	270.00 करोड़ रूपए को अग्रिम योजना सहायता का तत्काल अनुदान राशि अथवा सुलभ ऋण तुरन्त बदलने के साथ वर्ष 1993-94 के लिए 200 करोड़ रूपए और वर्ष 1994-95 के दौरान 600 करोड़ रूपए को अतिरिक्त केन्द्रीय संहायता के लिए।	268.74 अग्रिम योजना सहायता के रूप में।
4.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(I)	178.00	178.00 करोड़ रूपए के व्यय से संबंधित प्रतिभूति की बकाया दावे की प्रतिपूर्ति	
	(II)	150.72	1993-94 के दौरान 150.72 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय से संबंधित प्रतिभूति की अग्रिम अदायगी के लिए प्रबंध	112.50
	(III)		बकाया घाटे और 1993-94 योजना परिव्यय को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	शून्य
	(IV)	160.00	राज्य में आतंकवादियों द्वारा की गई तोड़ फोड़े के लिए सामुदायिक अवसरंचना और अन्य उपभोग की वस्तुओं के पुनः निर्माण पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 160.00 करोड़ रुपए का विशेष आबंटन।	शून्य
5.	केरल	150.00	मध्यम अवधि ऋण	शून्य
6.	मणिपुर	60.79	मध्यम अवधि ऋण अथवा अनुदानों किसी भी रूप में सहायता द्वारा शुरू के घाटे को पूरा करना।	62.79 रूपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिए गए।
7.	मेघालय			
	(I)	91.00	1993-94 के घाटे को पूरा करने के लिए अवधि ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट से बचा जा सके।	48.87 करोड़ रूपए के बतौर अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराई।
	(II)	42.00	अर्थोपाय अग्रिम को अनुदान में परिवर्तित करना।	इसको माना नहीं गया।
8.	नागालैण्ड (I)	91.91	अग्रिम योजना सहायता को एक-मुश्त अनुदान में बदलना।	91.91 करोड़ रूपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण है।

1	2	3	4	5
	(II)	55.07	लंबित बिलों को क्लियर करना	शून्य
	(III)	26.61	राज्य की तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
9.	उड़ीसा			
	(I)	699.57	1993-94 से 1997-98 की अवधि के लिए राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
	(II)	50.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	15.00
10.	त्रिपुरा			
	(I)	50.00	वर्ष 1993-94 के लिए संसाधनों के अंतराल को पूरा करना।	शून्य
	(II)	100.00	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 की देयताओं की पुनः अदायगी को पूरा करने के लिए।	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश			
	(I)	250.00	विद्युत वित्त निगम की अधिदेयता को क्लियर करने के लिए अतिरिक्त बाजार ऋण।	118.00
	(II)	24.00	गैर-ग्रामीण बुनकरों को घाटा सहायता के लिए अतिरिक्त सहायता।	24.00 करोड़ रूपए अग्रिम सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए थे जिसे वर्ष 1993-94 के अंत में समायोजित किया गया था।
ख. 1994-95				
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	आंध्र प्रदेश सिंचाई-II परियोजना के बकाया संघटकों के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
2.	असम			
	(I)	220.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	30.00
	(II)	300.00	1993-94 के बकाया घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता।	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश			
	(I)	550.00	भाखड़ा एवं ब्यास प्रबंध बोर्ड प्रणाली से ऊर्जा की हिस्सेदारी के बारे में पड़ोसी राज्यों से देय 1100.00 करोड़ रूपए की बकाया राशि के लिए तथा राज्यों को विद्युत की आपूर्ति	शून्य
	(II)	100.00	राज्य के सरकारी क्षेत्रों में सभी दैनिक मजदूरी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए।	शून्य

1	2	3	4	5
	(III)	268.74	1993-94 के दौरान उपलब्ध कराए गए 268.74 करोड़ रूपए के अग्रिम योजना सहायता को तत्काल अनुदान अथवा दीर्घ अवधि ऋण के रूप में बदलना।	शून्य
(4)	जम्मू एवं कश्मीर			
	(I)	555.00	बजट संबंधी घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	97300 करोड़ रूपए (विशेष योजना सहायता के रूप में)
	(II)	733.00	वसूलियों पर बिना प्रभाव डालते हुए वर्ष 1994-95 के दौरान देय 733.00 करोड़ रूपए का पुनः निर्धारण करना।	
	(III)	185.00	प्रतिभूति संबंधित व्यय के लिए	96.55 करोड़ रूपए अलग से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
5.	केरल	100.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	50.00
6.	मणिपुर			
	(I)	35.00	बकाया देयताओं का निर्धारण करना।	शून्य
	(II)	119.00	मणिपुर के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज	शून्य
	(III)	10.00	आंतकवादियों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न स्कीमों के लिए अनुरोध।	शून्य
7.	मेघालय	50.00	ओवरड्राफ्ट को क्लियर करने के लिए अर्थोंवपाय अग्रिम/लघु अवधि ऋण।	शून्य
8.	नागालैण्ड			
	(I)	152.75	केन्द्रीय सरकार के पैर्टन आदि पर प्रारंभिक घाटे, महंगाई भत्ते को पूरा करना।	योजना ऋण के रूप में 12.00 करोड़ रूपए
	(II)	80.00	राज्य के गंभीर वित्तीय संकट को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता/अर्थोपाय अग्रिम।	18.00 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।
9.	उड़ीसा	250.00	राज्य की वार्षिक याजना 1994-95 के वित्त पोषण के लिए संसाधनों के अंतराल को कम करने के लिए मध्यम अवधि ऋण।	शून्य
10.	पंजाब	310.00	वार्षिक योजना 1994-95 के लिए संसाधनों के अंतराल को कम करने और मुख्य विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना।	शून्य
11.	त्रिपुरा	150.00	अनुदान राशि के लिए 50 करोड़ रुपए ब्याज युक्त ऋण के लिए 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 10 प्रतिशत के लिए अनुरोध।	शून्य
12.	उत्तर प्रदेश			
	(I)	51.50	अनपारा "बी" तापीय विद्युत परियोजना की स्थानीय लागत के लिए व्यय का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराने के लिए।	शून्य

1	2	3	4	5
	(II)	24.00	गैर-ग्रामीण बुनकरों को ऋण सहायता के लिए 1993-94 में दी गई अग्रिम योजना सहायता की एवज में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य
ग. 1995-96				
1.	अरुणाचल प्रदेश	* 20.20	प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के लिए	2.00
2.	आंध्र प्रदेश			
	(I)	636	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता के बतौर 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य
	(II)	150	150 करोड़ रुपए के आर्थोपाय अग्रिम को आवधिक ऋण में बदलनां।	शून्य
	(III)	-	मद्य-निषेध नीति और 2 रुपए प्रति किलो ग्राम चावल की आर्थिक सहायता योजना के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य
3.	असम			
	(I)	50.00	बोडोलैण्ड स्वायस्त परिषद के लिए एक-मुश्त अनुदान	शून्य
	(II)	136.00	अप्रैल, 1995 को दिए गए अर्थोपाय अग्रिम को आवधिक ऋण में बदलना।	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	516.00	1994-95 के लिए 416.00 करोड़ रुपए के घाटे को और राज्य में सरकारो क्षेत्र में दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण देय देनदारियों के लिए राज्य को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	शून्य
5.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(I)	71.00	केन्द्रीय पैटर्न पर अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	42.34 अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए।
	(II)	67.00	विद्युत आयात के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना।	शून्य
	(III)	155.21	प्रतिभूति मुद्दों से संबंधित 251.21 करोड़ रुपए की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति	143.16
6.	मणिपुर	18.50	राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए।	सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

1	2	3	4	5
7.	मिजोरम	11.44	11.44 करोड़ रुपए तक की विशेष अनुदान सहायता दी गई, जो केन्द्रीय करों में शेयर के लिए दसवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में आई गिरावट के बराबर है।	शून्य
8.	उड़ीसा	2100.00	ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए।	शून्य
9.	पंजाब	259.00	रंजीत सागर बांध सहित प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए।	कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तथापि भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप 1984-85 से 1993-94 के दौरान पंजाब को विशेष अवधि ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण 1995-96 के दौरान मूल और ब्याज की पुनः अदायगी को छोड़ देने से राज्य के स्रोत बढ़कर 291 करोड़ रुपए हो गए। यह वृद्धि राज्य सरकार को 1995-96 में 600 करोड़ रुपए की विशेष योजना ऋण की गैर उपलब्धता को हिसाब में लेने के बाद हुई।
10.	त्रिपुरा	18.95	दसवें वित्त आयोग के निर्णय और 1995-96 के लिए भारत सरकार से अनुमानित अंतरण के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए।	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश			
	(I)	31.00	गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के ऋणों को छोड़ देना।	शून्य
	(II)	772.54	राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए मार्च, 1995 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन की उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतीकरण बोर्ड (यू.पी. एस.ई.बी.) की देयताओं को क्लियर करने के लिए।	
घ. 1996-97				
1.	आन्ध्र प्रदेश			
	(I)	636	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता बतौर 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	सहमति नहीं मिली।
	(II)	150	150 करोड़ रुपए के अर्थोपाय का आवधिक ऋण में परिवर्तन।	सहमति नहीं मिली।
	(III)	-	मद्य-निषेध नीति के लागू होने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।

1	2	3	4	5
2.	बिहार	–	चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।	राज्य सरकार को इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है।
3.	असम			
	(I)	326.00	1990-95 के दौरान राज्य में आंतरिक सुरक्षा उपायों पर राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय को पूरा करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
	(II)	30.00	असम राज्य के कोकराझाड और बोंगांइ गांव जिलों में में हाल ही में हुए जातीय झगड़ों में गृहदाह के शिकार परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए।	विचाराधीन
	(III)	500.00	राज्य के बजटीय संसाधनों में सुधार लाने के लिए।	शून्य
	(IV)	1000.00	असम की स्थायी राजधानी का निर्माण	राज्य सरकार को इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है।
4.	हरियाणा			
	(I)	300.00	1995-96 के दौरान 300 करोड़ रुपए के मध्य अवधि ऋण को 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान के बतौर परिवर्तन करने के लिए।	सहमति नहीं दी गई।
	(II)	600.00	राज्य में शराबबंदी को शुरू करने के कारण हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए।	सहमति नहीं मिली।
5.	हिमाचल प्रदेश			
	(I)	500.00	500 करोड़ रुपए के लम्बी अवधि के सुलभ ऋण के लिए अनुरोध।	सहमति नहीं मिली।
	(II)	800.00	तत्काल ऋण अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पंजाब वेतनमानों के संशोधन आदि के कारण आवर्ती देयताओं को पूरा करने के लिए दीर्घ अवधि ऋण।	विचाराधीन
6.	जम्मू और कश्मीर			
	(I)	378.50	1995-96 के स्तर पर विशेष योजना सहायता और विशेष योजना ऋण के कारण निधि जारी करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
	(II)	351.94	बजट अनुमान 1996-97 के कारण पूर्व अंतराल को भरने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना।	सहमति नहीं मिली।

1	2	3	4	5
	(III)	67.94	वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विनियोग की तकनीकी के द्वारा विद्युत देयताओं की वसूली को स्थगित करने के लिए।	चूंकि चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के लिए राज्य की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इन अनुरोधों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।
7.	मणिपुर			
	(I)	40.00	1996-97 और 1997-98 में जारी राशि के स्थान पर राष्ट्रीय खेल-97 के लिए विशेष आबंटन के रूप में एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 40 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 131.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से राज्य स्तर के प्रशिक्षण कम्पलैक्स की मंजूरी दी है। इस उद्देश्य के लिए 87.50 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
	(II)	120.0	राज्य की राजधानी परियोजना के लिए एक और केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
8.	मिजोरम	45.00	वर्ष 1996-97 के राज्य के आदि घाटे को पूरा करने के लिए दीर्घ आवधिक ऋण।	सहमति नहीं मिली।
9.	नागालैण्ड			
	(I)	1.25	भू-पर्यावरणीय अध्ययन के लिए कोडिया कस्बे के भू-स्खलन अध्ययन लैण्ड स्लाइड स्टडी के लिए।	विचार के लिए योजना आयोग को भेजा गया है।
	(II)	55.07	किए गए कार्य जिनका भुगतान राज्य के वित्तीय तनाव के कारण राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है, के बिलों को क्लियर करने के लिए।	विचाराधीन
	(III)	19.54	दसवें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए केन्द्रीय करों के शेयर और केन्द्रीय बजट 1995-96 में दिए गए केन्द्रीय कर के शेयर के अनुमानों में अंतर के कारण 19.54 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
	(IV)	18.00	18 करोड़ रुपए (30 करोड़ रुपए के विशेष योजना ऋण में से) विशेष योजना ऋण पुनर्वैधीकरण, जो कि बराबर राशिं की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के बदले समायोजित किया गया।	सहमति नहीं मिली।
	(V)	225.98	राज्य को केन्द्रीय ऋण के 225.98 करोड़ रुपए बट्टे खाते डालना।	सहमति नहीं मिली।
10.	पंजाब	250.00	रणजीत सागर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना (तिहेन बांध परियाजना) को पूरा करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
11.	उत्तर प्रदेश	200.00	गन्ने की खेती के लम्बित बिलों को क्लियर करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में अतिरिक्त निधियां।	सहमति नहीं मिली।

[हिन्दी]

कोयले का मूल्य

459. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
कुमारी उमा भारती :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सभी ग्रेड के कोयले के मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ग्रेडों के कोयले के मूल्य में ग्रेडवार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) कोयले के मूल्य में कथित वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रेड के कोयले के मूल्य में कितने बार तथा कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(ङ) इस मूल्य वृद्धि का विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा इन उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार ने हाल ही में कोयले की कीमतों में वृद्धि नहीं की है।

दिनांक 22.3.1996 से सरकार ने कोककर कोयले तथा ग्रेड "ए", "बी" तथा "सी" अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किया है। तद्नुसार दिनांक 20.10.1996 से कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने हाल में कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अ-कोककर कोयले की कीमतों में संशोधन किया है।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दिनांक 1.4.96 को कीमतों के निर्धारण की तुलना में 20.10.96 की स्थिति के अनुसार कोककर कोयले, अर्द्ध कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों में वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी आगत लागतों में वृद्धि की क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अ-कोककर कोयले की कीमतों में वृद्धि की गई है।

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में उत्पादित "डी", "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को दिनांक 22.3.1996 से की जाने वाली संशोधन को छोड़कर, जिससे कि उक्त कीमतों में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में विद्यमान ग्रेड-वार कीमत तक वृद्धि की गई है, सरकार ने 16.6.94 से प्रशासकीय कीमतों में संशोधन नहीं किया है। कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेडके अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किए जाने के फलस्वरूप कोल इंडिया लि. ने 1.4.96 तथा 20.10.96 से इन विभिन्न किस्म के विनियंत्रित कोयलों की कीमतों में वृद्धि की है। दिनांक 1.4.96 तथा 20.10.96 को कोयले की कीमतों में की जाने वाली वास्तविक वृद्धि क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत रही है।

(ङ) और (च). दिनांक 20.10.1996 से कोल इंडिया लि. द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई कीमत का विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात उद्योगों पर होने वाले संभावित प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:

विद्युत	-	0.04 रु. प्रति किलोवाट
सीमेंट	-	16.78 रु. प्रति टन
इस्पात	-	152.70 रु. प्रति टन

कोल इंडिया लि. द्वारा विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रेलवे तथा प्रतिरक्षा क्षेत्रों को की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) कोयले से कंकड़-पत्थरों का सावधानीपूर्वक अलग करना। कोयले की छंटाई/संदलन के समय शिलाईडों को हटाना।

(2) व्यापक नमूनाकरण/विश्लेषण के आधार पर कोयले के ग्रेडों में संशोधन करना।

(3) उपयुक्त लदान किए जाने के लिए पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक कोलियरी में साइडिंग-प्रभारी अथवा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी की तैनाती किया जाना।

(4) सार्वजनिक विश्लेषकों या तीसरे पार्टी अभिकरणों के माध्यम से लदान स्थलों पर नियमित रूप से नमूनों का विश्लेषण किया जाना।

विवरण

दिनांक 1.4.96 से कोयले की इन ग्रेड की निर्धारित कीमतों की तुलना में को.इं.लि. द्वारा कोककर कोयले, अर्द्ध–कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की दिनांक 20.10.90 से उक्त ग्रेड की प्रभावी कीमतों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है।

श्रेणी	ग्रेड	सेको लि. साईको लि. ईको लि के लिए (रानीगंज तथा एसपी खानें केवल ईकोलि के लिए)	भाकोको लि. मको लि. ईको लि. के लिए (केवल मग्मा तथा सेंलानपुर क्षेत्र)	मको लि. के लिए	वेको लि. के लिए
अ–कोककर	ए	12.06%	12.06%	12.04%	-
	बी	12.14%	12.14%	12.07%	-
	सी	8.14%	8.14%	8.14%	-
कोककर कोयला					
इस्पात	ग्रेड-I	-	12.06%	-	-
इस्पात	ग्रेड-II	-	12.07%	-	-
वाशरी	ग्रेड-I	8.02%	12.03%	-	8.02%
वाशरी	ग्रेड-II	8.03%	12.10%	-	8.03%
वाशरी	ग्रेड-III	8.10%	12.07%	-	-
वाशरी	ग्रेड-IV	8.15%	12.04%	-	-
अर्द्ध–कोककर					
ग्रेड-I		8.02%	8.02%	8.03%	8.02%
ग्रेड-II		9.03%	8.03%	8.03%	8.03%

टिप्पणी : कोइंलि - कोल इंडिया लि.
सेकोलि - सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
साईकोलि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
ईकोलि - ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.
भाकोकोलि - भारत कोकिंग कोल लि.
नाकोलि - नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
मकोलि - महानदी कोलफील्ड्स लि.
वेकोलि - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

[अनुवाद]

कच्चे जूट की कमी

460. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे जूट की अत्यधिक कमी और उत्पादित माल की कीमतों में कमी के कारण बहुत सी जूट मिलें बंद होने के कगार पर है या वे नये कच्चे जूट के आने तक अपनी शिफ्टों को बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों के बंद न होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). इस समय उचित कीमतों पर कच्चे पटसन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। देश में 73 एककों में से तीन मिलों जिनमें से एक मिल उत्तर प्रदेश में, एक मिल बिहार में तथा एक मिल पश्चिम बंगाल में स्थित है, को छोड़कर सभी मिलें इस समय सामान्य रूप से चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्थित एक मिल और बिहार में स्थित एक मिल दस वर्ष से भी अधिक समय से बंद पड़ी हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल स्थित मिल

में 14-11-1996 से कार्य के अस्थगित होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस एकक को दुबारा खोलने के लिए समझौता कराने की कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी है तथा यह शीघ्र ही उत्पादन करना शुरू कर देगा।

[हिन्दी]

भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम

461. कुमारी उमा भारती :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत परिधान उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बैंक जमाराशि से बिहार में निवेश

462. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में लोगों द्वारा बैंकों में कितनी राशि जमा करायी गयी तथा उसमें से कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ख) राज्य के आवश्यक प्रतिशत में राशि के उपयोग न किए जाने के क्या कारण है तथा इसमें सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति कितनी ऋण राशि का वितरण किया गया और कम ऋण वितरित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बिहार के दूरस्त क्षेत्रों में बैंकों की कमी के कारण राज्य के और भी पिछड़ने से अवगत है; और

(ङ) इस दिशा में स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापार संतुलन

463. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान आज तक कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात हुआ है;

(ख) भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा आयात व निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने हेतु तथा विभिन्न सीमावर्ती देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). डी.जी.सी.आई.एण्ड एस. से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान भारत के निर्यात 16.14 बिलियन अमरीकी डालर के और आयात 17.25 बिलियन अमरीकी डालर के हुए।

अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की संगत अवधि के तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान आयात में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात के रूप में दर्शाया गया व्यापार संतुलन - 1.81 बिलियन अमरीकी डालर का रहा।

(ग) इस व्यापार घाटे को कम करने की कुंजी निर्यात के स्तर को बढ़ाने में है। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार और उद्योग के परामर्श से समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

विभिन्न सीमावर्ती देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा द्विपक्षीय-विचार-विमर्श उद्योग और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और व्यापार समझौतों के जरिए समय-समय पर की जाती है। पड़ौसी देशों के साथ (पाकिस्तान को छोड़कर) द्विपक्षीय व्यापार की सावधिक समीक्षा द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के संस्थागत प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सार्क फोरम में भी व्यापार संवर्धन उपाय किए जाते हैं। सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) जिसमें अनेक मदों पर अन्त:-क्षेत्रीय टेरिफ अधिमानों की व्यवस्था है, वह दिसम्बर, 1995 में प्रचालन में आ गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में बैंक ऋण

464. श्री बीर सिंह महतो : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि का ऋण वितरित किया गया है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान बैंकों में कुल जमा की तुलना में इन ऋणों का प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में बैंकों के बकाया अग्रिम और साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्य स्तरीय बैंक से समिति के संयोजक बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कुल जमा राशि की तुलना में ऐसे अग्रिमों की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

बकाया अग्रिम

(रु. करोड. में)

वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र			प्राथमिकता क्षेत्र योग	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र योग	कुल योग
	कृषि क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र	सेवा क्षेत्र			
1. 31.3.94 को समाप्त वर्ष	885.01	1634.12	1097.52	3616.65	7104.42	10721.07
2. 31.3.95 को समाप्त वर्ष	966.44	1920.16	1152.77	4039.37	8550.58	12589.95
3. 31.3.96 को समाप्त वर्ष	1065.62	2019.05	1293.01	4377.68	10066.03	14443.71
4. 30.9.96 को समाप्त छमाही (अनन्तिम)	1225.46	2261.33	1515.82	4999.61	11552.88	16552.49

कुल जमाराशियों की प्रतिशतता के रूप के बकाया अग्रिम

वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र			प्राथमिकता क्षेत्र योग	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र योग	कुल योग
	कृषि क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र	सेवा क्षेत्र			
1. 31.03.94 को समाप्त वर्ष	4.11	7.59	5.09	16.79	32.99	49.79
2. 31.3.95 को समाप्त वर्ष	4.01	7.96	4.78	16.75	35.46	52.24
3. 31.3.96 को समाप्त वर्ष	3.91	7.40	4.74	16.05	36.94	53.00
4. 30.9.96 को समाप्त छमाही (अनन्तिम)	3.81	7.03	4.70	15.54	35.93	51.48

[हिन्दी]

समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना

465. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान और अधिक व गांवों को समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गऐ हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजना की मंजूरी पर विचार किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

466. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गत वर्ष के दौरान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) स्वर्ण तथा एस.डी.आर. सहित मुद्रा भंडार 8 नवम्बर, 1996 को लगभग 23,768 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) भुगतान संतुलन के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यातों के जरिए अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 32,467 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण

467. श्री पंकज चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को रियायती दरों पर दिए जाने वाले ऋण राशि में हाल ही में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के व्यापारिक गतिविधियों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अपने उक्त निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योग एककों को रियायती दरों पर दी जाने वाली ऋण की राशि में कमी करने के लिए हाल ही में उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, ब्याज दर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के उपायों के रूप में उधार की दरों को वर्ष 1990 के ऋण के आकार के साथ जोड़ दिया गया है। लघु उद्योगों के लिए विद्यमान उधार दरें निम्नानुसार है:

ऋण सीमाएं	ब्याज की दर
(1) 25,000 रु. तक और उसके सहित	12% वार्षिक
(2) 25,000 रु. से अधिक और 2 लाख रु. तक	13.5 % वार्षिक
(3) 2 लाख रु. से अधिक	ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

बैंकों में धोखाधड़ियां

468. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ियों की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की तरह बैंकों के लिए भी एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंकों में इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ियों को रोकने के लिए क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जानेवाली सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, स्थलीय जांच और स्थलेतर जांच फिलहाल विद्यमान कुछ नियंत्रक उपाय हैं। वाणिज्यक बैंकों के पर्यवेक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वित्तीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया है। लेखा परीक्षा संबंधी नीति तैयार करने और लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विद्यमान प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों की लेखा-परीक्षा समितियों धोखाधड़ियों के मामलों, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था (हाउस कीपिंग) की समस्याओं जिनसे धोखाधड़ियां होने की संभावना रहती है, जांच कार्यों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और भारतीय रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की छानबीन करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु लेखा परीक्षा पर एक उपसमिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

अवैध रूप से कोयला निकालना

469. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. की बंद पड़ी खानों से अवैध रूप से कोयला निकालने के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पुलिस स्टेशनों में कितने मामले दर्ज हैं;

(ख) उपरोक्त खानों के बंद किए जाने के क्या कारण हैं और ये कब से बंद पड़ी हैं; और

(ग) इस तरह से अवैध रूप से कोयला निकाले जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की बंद पड़ी खानों में कोयले का कोई अवैध रूप में खनन नहीं किया गया है। अतः भारत कोकिंग कोल लि. की बंद पड़ी खानों से कोयले के अवैध उत्खनन का कोई मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया गया है तथा इस प्रकार के अवैध खनन क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

470. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने कमचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके शुरू किए जाने की तिथि क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम 1.11.1993 से लागू की गयी थी जिसमें 1.1.86 और 1.11.1993 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों के लिए यह विकल्प था कि प्रदत्त लाभों को ब्याज सहित लौटाने के पश्चात् वे स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके संबंध में ब्यौरे दिनांक 28.6.1995 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियमावली, 1995 में दिए हुए हैं। ये नियम दिनांक 8.12.1995 को सभा पटल पर रख दिए गए थे।

(ग) इस स्कीम में जीवन बीमा निगम के वे सभी कर्मचारी कवर होते हैं जो निर्धारित तारीखों के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मर गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). जी, हां। 1.1.1986 की विच्छेदक तारीख को वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरूप अपनाया गया था जिसमें जीवन बीमा निगम के प्रबंधन और इसकी कर्मचारी यूनियनों के साथ हुए समझौते को भी आधार माना गया था। इसके अतिरिक्त, जब पेंशन स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा था तो जीवन बीमा निगम ने मान लिया था कि 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के रिकार्ड उपलब्ध करा पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। उपर्युक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के लिए विच्छेदक तारीख को 1.1.1986 से और आगे बढ़ाना कठिन होगा।

[हिन्दी]

कृषि, वनों और खानों पर आधारित उद्योग

471. श्री दत्ता मेघे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कृषि, वन और खानों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में आज तक क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत कृषि, वन तथा खान पर आधारित उद्योग सहित किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव उद्यमियों पर निर्भर करता है। जनवरी, 1994 से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान देश में कृषि, वन तथा खान पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत कुल 389 आशय पत्र प्रदान किये गये।

(ग) से (ङ). कृषि, वन तथा खान पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों अर्थात् कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंस के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुये थे। इनमें से 2 के संबंध में आशय पत्र प्रदान किये गये।

[अनुवाद]

कम मूल्य/अधिक मूल्य के बीजक तैयार करना

472. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भारतीय तम्बाकू कंपनी द्वारा आयात के अधिक मूल्य के तथा निर्यात के कम मूल्य के बीजक तैयार करने के घटना का पता चलने के कारण सरकार द्वारा आयात/निर्यात की इस बुराई को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के बीजक तैयार करने के कितने मामले प्रकाश में आए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार के पास राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय जैसी विशेष आसूचना एंव जांच एजेन्सियां हैं, जो कि आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने और निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने के ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। ये एजेन्सियां सीमा शुल्क गृहों में उन विशेष जांच शाखाओं के अतिरिक्त हैं जो देश में माल आने/देश से बाहर माल जाने के स्थलों पर ऐसे मामलों का पता लगाती हैं और उनकी जांच-पड़ताल करती हैं। ये सभी ऐजन्सियां चूककर्त्ताओं को दंडित करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 जैसे मौजूदा कानूनों के अंतर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए समर्थ हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एस.सी.आई.सी.आई. का प्रदर्शन

473. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस.सी.आई.सी.आई. को स्थापित किए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या उक्त कम्पनी सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल रही; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी का क्या कार्य-निष्पादन रहा तथा बकाया ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा कया उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तत्कालीन नौवहन विकास निधि समिति (एस डी एफ सी) के समापन के बाद, भारतीय नौवहन एंव मछली पकड़ने के उद्योगों के विकास के लिए और उन्हें ऋण देने के कार्यकलाप को जारी रखने के लिए एस सी एस सी आई की स्थापना की गई थी। नौवहन तथा मछली पकड़ने के उद्योगों को अघन्य रूप से ऋण देने से संबंधित जोखिम के प्रति सुरक्षा के उद्देश्य से एस सी आई सी आई ने बाद में अपने पोर्टलियों को मूलभूत और सामान्य उद्योग जैसे अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया। इससे एस सी आई सी आई को अपनी लाभप्रदता बढ़ाने और साथ ही नौवहन कार्यकलापों के लिए ऋण देने हेतु उनके उधार देने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता मिली है। इसे तत्कालीन एस डी एफ सी की आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन, और भारत सरकार की ओर से कुछ तत्कालीन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का कार्य भी सौंपा गया था।

(ख) और (ग). जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन तथा मछली पकड़ने के क्षेत्रों को वास्तविक मंजूरियां निम्नलिखित हैं :-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	नौवहन	मत्स्यन
1993-94	571.81	29.93
1994-95	550.28	23.16
1995-96	557.48	15.00

एस सी आई सी आई ने वर्ष 1995-96 तक तत्कालीन एस डी एफ सी से सहायता प्राप्त नौवहन और मछली पकड़ने की कम्पनियों से 354.50 करोड़ रुपए की (दिनांक 2.4.1987 की स्थिति के अनुसार, 464.11 करोड़ रुपए मूलधन के बकाया थे और 500.21 करोड़ रुपए बाद में संवितरित किए गए थे) मूलधन की राशि की वसूली की है और ब्याज के रूप में 170.67 करोड़ रुपए की वसूली की है।

बी.आई.सी. के अधीन चीनी मिलें

474. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बी.आई.सी.) के अन्तर्गत चल रही चीनी मिलें भारी घाटे में चल रही है और उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.आई.सी. के अन्तर्गत चल रही प्रत्येक चीनी मिल के कार्यचालन और प्रचालनात्मक घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिलों के पुनरूद्धार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई चीनी मिल नहीं है। फिर भी कानपुर शूगर मिल्स में बी.आई.सी. के लगभग 47% शेयर है, घाटे होने के कारण इसे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित किया जा चुका है।

(ख) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कानपुर शूगर वर्क्स लि. के चार एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों में उठाई गई घाटों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रु. लाख में)

एकक	1993-94	1994-95	1995-96
मरोढ़ा	(-) 150.00	(-)212.00	(-)357.00
गौरी बाजार फैक्ट्री	(-) 153.00	(-)312.00	(-)321.00
पडरौना फैक्ट्री	(+)752.00	(+)540 00	(-)209.00
कथकुइयों फैक्ट्री	(+)165.00	(-)5.00	(-)306.00

(ग) चूंकि कम्पनी सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम नहीं है, इसलिए सरकार ने इसके पुनर्स्थापना के लिए कोई पुनरूद्धार योजना नहीं बनाई है। कानपुर शूगर वर्क्स लि. के पुनरूद्धार का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है।

विदेशी निवेश संवर्धन परिषद की निवेश नीति की समीक्षा

475. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन परिषद् ने विद्युत दूरसंचार मूलभूत ढांचा तथा भू-सम्पदा क्षेत्र में निवेश नीति की समीक्षा की है ताकि अमरीका तथा जापान जैसे विकसित देशों से और ज्यादा निवेश प्राप्त करने की रणनीति तैयार की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति पैकेज के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद द्वारा तैयार की गई विपणन नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किए गए/विचारार्थ नीतिगत परिवर्तनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). संवर्धनात्मक कार्यकलापों के जरिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को सरल बनाने के उद्देश्य से विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। इसमें उन देशों तथा क्षेत्रों की पहचान करनी शामिल होगी जिनसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह हो सकेगा तथा भारत में ऐसे क्षेत्रों और परियोजनाओं का पता लगाना जो इस प्रकार के विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त होंगी।

विदेशी मुद्रा की जब्ती

476. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में 270. करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर सीमाशुल्क निवारक के अधिकारियों ने एक नवम्बर, 1996 की रात्रि को एक यात्री को रोका था और 2,70,91,602/-रु. के बराबर अलग-अलग मूल्य वर्ग में विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं बरामद की थीं जिन्हें सूटकेस में पैक किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों में छुपाया हुआ था। यात्री थाई एअरवेज की फ्लाइट संख्या 315 से बैंकाक जा रहा था। जांच-पड़ताल करने पर मामले में दो और व्यक्तियों के शामिल होने का पता चला है। सभी तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जापान से ओ.डी.ए. सहायता

477. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय जापान से किस वर्ष से सरकारी विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त कर रहा है;

(ख) क्या इस वित्तीय वर्ष के दौरान भी जापान से सरकारी विकास एजेंसी राशि प्राप्त की जा रही है; और

(ग) सरकारी विकास एजेंसी से प्राप्त सहायता राशि का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार को जापान से वर्ष 1958 से सरकारी विकास सहायता मिलती आ रही है।

(ख) और (ग). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जापान सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सरकारी विकास सहायता की राशि 132,746 मिलियन येन है:

		मिलियन येन
1.	उत्तर भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	8,497
2.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियाजना	11,087
3.	उमियाम जल-विद्युत केन्द्र पुनःसुधार परियोजना	1,700
4.	टुइरियाल हाइड्रा-इलैक्ट्रिक विद्युत केन्द्र परियोजना	11,695
5.	सिंहाद्री ताप-विद्युत केन्द्र परियोजना	19,817
6.	दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना	14,760
7.	कलकत्ता परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना	10,679
8.	पूर्वी कर्नाटक वन-रोपण परियोजना	15,968
9.	तमिलनाडु वन-रोपण परियाजना	13,324
10.	केरल जलपूर्ति परियोजना	11,997
11.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	13,222

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में कुप्रबंधन

478. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में और इसके आस-पास स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कुप्रबंधन और आस्तियों के अप्रयुक्त रहने के कारण भारी वित्तीय घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सेन्ट्रल बैंक ने सूचित किया है कि बेलापुर स्थित परिसर को छोड़कर जहां मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण आस्तियों का आंशिक उपयोग हुआ है, मुम्बई तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बैंकों ने अपनी अधिकतर स्वाधिकृत आस्तियों का उचित उपयोग किया है। परिवहन तथा संचार सुविधाओं में लगातार होते सुधारों के कारण बैंक अब अपने कुछ प्रशासनिक विभागों को इस परिसर में स्थानांतरित कर रहा है। बैंक परिसर के पूर्ण उपयोग के उद्देश्य से बैंक ने आवासीय फ्लैटों के निर्माण, परिसर का कुछ भाग पट्टे पर देने आदि जैसे कदम भी उठाए हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

479. श्री एन.जे. राठवा :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री ओ.पी. जिन्दल :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अक्तूबर, 1996 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने सरकार के विभिन्न उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान विभिन्न बैठकों में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने किन-किन क्षेत्रों में अधिक सहायता का प्रस्ताव किया है, ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सहायता मांगी गई थी और कितनी परियोजनओं को उन्होंने रद्द करने का निर्णय लिया है; और

(घ) अब तक की स्थिति के अनुसार भारत विश्व बैंक का कितना कर्जदार है और इस ऋण के लिए भारत विश्व बैंक को प्रतिवर्ष कुल कितने ब्याज का भुगतान कर रहा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1996 की अपनी भारत यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा तथा नई दिल्ली की यात्रा की थी और प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा राज्य और केन्द्रीय स्तरं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था, विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ समपन्न वार्ता देश में चालू विश्व बैंक परियोजनाएं, भविष्य में प्राप्त होने वाली विश्व बैंक सहायता, चालू परियाजनाओं को प्राप्त राशि का उपयोग तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बधित मुद्दों पर केन्द्रित थी। राज्यों तथा केन्द्र ने विश्व बैंक के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वह विद्युत, कृषि, सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराएं। विश्व बैंक ने आधारभूत क्षेत्र, राजकोषीय समायोजन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक, कृषि तथा निजी क्षेत्र के विकास में निवेश करने का समर्थन किया।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहित विश्व बैंक के सम्बन्ध में भारत की कुल विदेशी ऋण की देनदारी सितम्बर, 96 की अन्तिम स्थिति के अनुसार 25802.225 मिलियन अमरीकी डालर है। विश्व बैंक को 1995-96 के दौरान अदा की गई कुल ब्याज राशि 902 मिलियन अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की कपड़ा मिलें

480. श्री नारायण अठावले :
श्री अनंत गुढे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में काफी कपड़ा मिलें गत दस वर्षों से अधिक समय से रुग्ण चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन रुग्ण मिलों के मिलवार कार्य निष्पादन, इन्हें अर्थक्षम बनाने/इनका आधुनिकीकरण दर्जा बढ़ाने से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) इन रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने संबंधित विचाराधीन अंतिम रूप दी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में ऐसे किन-किन एककों को बंद किए जाने की संभावना है और कामगारों के पुनर्वास संबंधी कार्य योजना क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) 31.10.96 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में वस्त्र मिलों के 55 मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास "रुग्ण" के रूप में पंजीकृत थे जिनमें विदर्भा क्षेत्र में 2 मिलां के मामले शामिल हैं।

(ख) और (ग). 55 वस्त्र मिलों में से 25 वस्त्र मिलों के मामलों को बी आई एफ आर ने पुनरूद्धार के लिए अभिज्ञात किया है। बी

आई एफ आर ने 20 मामलों में मसौदा योजना की स्वीकृति दी है, 3 मामलों में मसौदा योजना परिचालित की हैं तथा ए ए आई एफ आर ने 2 मामलों में मसौदा योजना की स्वीकृति दी है। निधियों की व्यवस्था केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने मानदंडों के अनुसार की जाती हैं।

(घ) बी आई एफ आर ने निम्नलिखित मिलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं :—

सेठ इंडस्ट्रीज लि., लोकमान्य मिल्स लि., न्यू ग्रेड इर्स्टन स्पी. एंड विवि. कं. लि., माधव नगर काटन, इलाक लि., सेठ वूलन लि., एमराल्ड वूलन मिल, फिल्कूट टेक्सटाइल लि., अल्पना टेक्साइल प्रोसेसिंग प्रा.लि., प्रताप विवि. एंड मैनु. कं. लि. तथा पुलगांव काटन मिल्स लि.।

मिलों की परिसंपतियों का अधिग्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति के बाद कामगार, वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि के अंतर्गत राहत पाने के पात्र हो जाते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में वित्तीय संकट

481. श्री तारीक अनवर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-बैंकिंग वित्ताय कम्पनियां वित्तीय संकट का सामना कर रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संकट से निबटने के लिए कुछ नए दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). एन बी एफ सी की जमा राशि स्वीकृति संबंधी गतिविधियां, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 द्वारा विनियमित होते हैं। एन बी एफ सी की कुल जमा-राशियां, जो मार्च 1994 के अन्त में 46,911.6 करोड़ रुपए थी, मार्च 1996 के अन्त तक बढ़कर 60,762.8 करोड़ रु. (अनन्तिम) हो गई। जमाराशियों में पर्याप्त वृद्धि को देखने से पता चलता है कि एन बी एफ सी को किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ). हाल ही में रिजर्व बैंक ने एन बी एफ सी के लिए जामराशियों की ब्याज दर की अधिकतम सीमा और जमाराशियों की मात्रा की अधिकतम सीमा को स्वतंत्र करने जैसे कुछ उपायों की घोषणा की है जो कि आई बी आई के निर्देशों और मार्ग दर्शनों के अनुरूप हैं। इन उपायों से बड़े पैमाने की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का सार्वजनिक जमाराशियों के जरिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी।

बोनस

482. श्री संतोष कुमार गंगवार :
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री आई.डी. स्वामी :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के दौरान केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को बोनस के भुगतान और निर्धारण के मानदंड क्या हैं और पिछले वर्ष ये मानदंड क्या थे;

(ख) बोनस की सीमा को बढ़ाने के हाल ही के निर्णय से बोनस राशि में कितनी वृद्धि होगी;

(ग) क्या सरकार ने बोनस संबंधी मुद्दे को भविष्य के लिए वेतन आयोग को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बोनस सम्बन्धी वेतन आयोग को सौपने से आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कार्यान्वित करने में विलम्ब होगा; और

(च) आयोग की रिपोर्ट को अविलम्ब शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चालू वर्ष में उत्पादकता से जुड़े बोनस और तदर्थ बोनस की अदायगी के लिए मोजूदा अर्हक सीमा और आकलन सीमा, संलग्न विवरण-I में पिछले वर्ष की तुलना में दर्शायी गयी है। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी समय-समय पर यथासंशोधित बोनस अदायगी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) लगभग 219 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ). जी हां। ब्यौरे भारत सरकार के दिनांक 19/11/1996 के संकल्प संख्या 5(12)/संस्था.III/93 में दिए गए हैं (विवरण-II संलग्न है)।

(ङ) जी, नहीं।

(च) रिपोर्ट में शीघ्रता बरतने के लिए आयोग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं और इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

विवरण-I

क्र.सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	अर्हक सीमा (प्रति माह) 94-95	95-96	आकलन सीमा (प्रतिमाह) 94-95	95-96
(1)	रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस	4500/-रु.	समूह "ग" और "घ" के लिए कोई सीमा नहीं	2500/-रु.	कोई परिवर्तन नहीं
(2)	डाक एवं तार तथा अन्य विभागों के उन कर्मचारियों, जो उत्पादकता से जुड़े बोनस की अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं, के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस	3500/-रु.	-वही-	2500/-रु.	-वही-
(3)	उत्पादकता से जुड़ी किसी योजना के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस।	3500/-रु.	-वही-	2500/-रु.	-वही-

विवरण 2

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

* * * * *

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर, 1996

28 कार्तिक, 1918 (शक)

संकल्प

सं. 5(2)/संस्था-III/93, सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 194 के और इसी मंत्रालय के दिनांक 12 जनवरी, 1995, 17 जुलाई, 1996 और 24 अक्तूबर, 1996 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत संशोधित समसंख्यक संकल्प में यथानिहित पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में, संकल्प के पैरा 2(छ) के नीचे एक नया पैरा 2(ज) जोड़कर निम्न प्रकार से एक और संशोधन किया जाएगा :-

2(ज) : "केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों में उत्पादकता से जुड़े बोनस के निर्धारण और भुगतान के लिए लागू विभिन्न प्रणालियों की जांच करना तथा बोनस के भुगतान को शासित करने वाले सामान्य नियमों और शर्तों की सिफारिश करना और प्रत्येक उस मंत्रालय एवं विभाग के लिए जिसमें इस समय उत्पादकता से जुड़े बोनस की योजनाएं लागू हैं, बोनस फार्मूले तैयार करने के लिए विशेष पैरामीटरों को भी सिफारिश करना।

आयोग उन विभागों में लागू तदर्थ बोनस योजना की भी जांच करें, जहां उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की सिफारिश करने की दृष्टि से उत्पादकता से जुड़े बोनस की योजनाएं परिचालन में नहीं है और आयोग उत्पादकता सूची और उससे संबाधित अन्य पैरामीटरों को निर्धारित करने के लिए विशेष फार्मूले की सिफारिश करें।"

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर लिया जाए। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकलप की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

ह./-

(एन.के.सिंह)

सचिव, भारत सरकार

महत्वपूर्ण व्यापार मामलों पर आम सहमति

483. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंतबर, 1996 में विश्व व्यापार संगठन की बैठक से पूर्व महत्वपूर्ण व्यापार मामलों पर आम सहमति बनाने के लिए 19 विकासशील देशों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की थी; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मामलों पर तथा उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) तथा (ख). भारत ने विकासशील देशों की एक उच्चस्तरीय बैठक 28-30 सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित की थी ताकि दिसम्बर, 1996 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के आगामी सिंगापुर मंत्री स्तरीय सममेलन (एस एम सी) में विचार-विमर्श के लिए कुछ देशों द्वारा प्रस्तावित नए मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हो सके। इस बैठक में 14 देशों ने भाग लिया और इसमें डब्ल्यू.टी.ओ. की भावी कार्यसूची में लाए जाने वाले चार नए मुद्दों अर्थात् निवेश, श्रम-मानकों, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति तथा नियमों पर विचार-विमर्श किया गया। डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यापार एवं पर्यावरण संबंधी समिति के कार्यों पर भी चर्चा की गयी। बैठक के अन्त में इन मुद्दों पर उक्त देशों के ग्रुप की आम धारणा के बारे में अध्यक्ष की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया। समिति के अध्यक्ष के समापन वक्तव्य का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सिंगापुर में होने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में 28-30 सितम्बर, 1996 को आयोजित प्रारम्भिक बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिया गया समापन वक्तव्य

भारत ने उन कथाकथित "नए मुद्दों" पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी क्षेत्र के कई विकासशील देशों की एक बैठक बुलाई, जिन पर दिसम्बर, 1996 में डब्ल्यूटीओ के सिंगापुर में होने वाले मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एसएमसी) में विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है। इन नए मुद्दों में शामिल हैं-निवेश, श्रम-मानक, खरीद और प्रतिस्पर्धा संबंधी नीति एंव नियम। इस बैठक में व्यापार और पर्यावरण संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में व्यापार एवं पर्यावरण के बारे में भी चर्चा हुई।

2. इस बैठक में आम राय यह थी कि सिंगापुर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एसएमसी) में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर उरूग्वे वार्ता दौर करारों एवं इनके प्रभावों पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। इस बैठक में यह तय हुआ कि एमएमसी की कार्यसूची में सबसे महत्वपूर्ण मद यह होनी चाहिए कि डब्ल्यू.टी. ओ के जनवरी, 1995 में प्रभावी होने के बाद से उरुग्वे वार्ता दौर करारों के कार्यान्वयन की मूल रूप से समीक्षा की जाए।

3. बैठक में यह नोट किया गया कि डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. में व्यापार और निवेश के बीच संबंधों पर "एक शिक्षाप्रद प्रक्रिया' के रूप में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह तर्क दिया जा रहा है कि व्यापार के बारे में सीमा उपायों के मामले में पर्याप्त उदारीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद उदारीकरण का अगला क्षेत्र अब अन्तर्राष्ट्रीय निवेश होना चाहिए। इस धारणा के पीछे यह मान्यता प्रतीत होती है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश विश्वव्यापी विकास प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रूप से उत्तम रहेगा और यदि ऐसे निवेशों पर बहुपक्षीय रूप से विचार-विमर्श द्वारा तय किए गए नियम लागू किए जा सकते हैं, तो, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और विकास दोनों बढ़ेंगे।

4. भागीदार देशों ने यह महसूस किया कि जहां निवेश का व्यापार के साथ संबंध है वहां कुल मिलाकर इनका विकास प्रक्रिया के साथ भी एक महत्वपूर्ण संबंध हैं। नेशन स्टेट्स की वर्तमान व्यवस्था में हरेक देश अपने राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य नीति अपनाने के लिए और विभिन्न विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विदेशी निवेश द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका के बारे में स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार देश में विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के बारे में नीतिगत निर्णय लेने का मामला पूर्ण रूप से प्रत्येक देश की सरकार की क्षमता और क्षेत्राधिकार में छोड़ देना चाहिए। इस प्रस्ताव में एक गम्भीर दोष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए जो उत्तम है वॉ विकास के लिए भी आवश्यक रूप से और सर्वदा उत्तम है। अन्तर्राष्ट्रीय निवेश का प्रभाव अलग-अलग परिस्थितियों में कुल मिलाकर लघु एंव कुटीर क्षेत्र में रोजगार सृजन और उनकी निरन्तरता पर, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं उसे आत्मसात करने, पर्यावरण, क्षेत्रीय विकास, गरीबी उन्मूलन तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक हो सकता है अथवा नकारात्मक भी हो सकता है। जब तक इस निवेश को प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित के अनुरूप उचित ढंग से विनियमित नहीं किया जाता तब तक अंतर्राष्ट्रीय निवेश के परिणाम अनुकूल के बजाय अधिक प्रतिकूल हो सकते हैं। इस प्रकार, यद्यपि अनेक देश स्वयं कई रूपों में आन्तरिक निवेश बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और कुछ देशों के पास आन्तरिक निवेश करने के अधिक उदार क्षेत्र हैं तथापि अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के बारे में सभी देशों को एक समान ढांचे में सूत्रबद्ध करने का प्रयास कई भागीदारों की राय में कोई सुविचारित एवं न्यायसंगत सिद्धान्त नहीं है। बैठक में यह बात नोट की गयी कि अंकटाड़-IX सम्मेलन अंकटाड को पहले ही यह अधिकार दे चुका है कि वह निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार (एमएआई) सहित निवेश संबंधी मामलों के सभी पहलुओं का अध्ययन करें। कई भागीदारों ने महसूस किया कि, शिक्षाप्रद प्रक्रिया शुरू करने के लिए अंकटाड ही सर्वाधिक उपयुक्त मंच है क्योंकि डब्ल्यू.टी.ओ. बातचीत करने एवं नियम बनाने वाला मंच है। इसके अलावा, दोहरेपन से बचना होगा। इन भागीदारों ने नोट किया कि डब्ल्यू.टी.ओ. को यह अधिकार दे दिया

गया है कि वह ट्रीम्स करार 1999-2000 वह यह समय जबकि विकासशील देश-अंकटाड की चर्चाओं और अध्ययनों का लाभ उठा चुके होंगे, में निहित पूरक प्रावधानों की जरूरतों की जांच करें।

5. प्रतिस्पर्द्धा नीति और नियमों के संबंध में, बैठक ने नोट किया कि जेनेवा में इस समय विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है। बैठक में इस बात पर सहमति थी कि अभी अनेक विकासशील देशों में प्रतिस्पर्द्धा कानून नहीं हैं और प्रतिस्पर्द्धा नीति बहुत ही जटिल विषय है जिसके सावधानीपूर्ण अध्ययन एव विश्लेषण की जरूरत है। बैठक में नोट किया गया कि मिडरैंड में अंकटाड-IX सम्मेलन ने अंकटाड को -अधिकार दिया है कि विकास के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतिस्पर्द्धा नियमों से संबंधित मुद्दे की जांच की जाए, प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में विश्लेषणात्मक कार्य किया जाए और आवश्यक घरेलू प्रतिस्पर्द्धा-नीतियां और कानून बनाने में विकासशील देशों की सहायता की जाए। इस क्षेत्र में अंकटाड की विशषज्ञता को ध्यान में रख कर बैठक में सहमति हुई कि अंकटाड के उक्त अध्ययन एवं विश्लेषण के परिणामों से विकासशील देशों को लाभ होगा। बैठक में यह भी सहमति हुई कि अंकटाड में विश्लेषण और जांच कार्य व्यापक रूप से होने चाहिए और प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रभावों वाले व्यापार नीति उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। अनेक भाग लेने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि निवेश और प्रतिस्पर्द्धा नीति के बीच संबंध को देखते हुए विकासशील देशों के लिए यह लाभकारी होगा अगर 1999-2000 में इन दोनों विषयों को मिलाकर ट्रीम्स समीक्षा के भाग के रूप में डब्ल्यू.टी.ओ. में विचारार्थ उठाया जाए, जैसाकि अंकटाड में विश्लेषणात्मक कार्य के पूरा होने पर ट्रीम्स समझौते में परिकल्पना की गई है।

6. प्रतिनिधिमंडल ने श्रम अधिकारों की सुरक्षा करने और श्रम कल्याण को आगे बढ़ाने की राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्य के बारे में अपनी पूरी वचनबद्धता प्रकट की। तथापि, बैठक की सर्वसम्मत राय थी कि व्यापार और श्रम मानकों के बीच किसी स्पष्ट संबंध को स्थापित करने वाला कोई सैद्धान्तिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। बैठक में, इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई कि इस तथ्य के बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) इस मुद्दे की जांच करने के लिए उपयुक्त मंच है और इस क्षेत्र में उसके पास आवश्यक योग्यता और विशेषज्ञता है, इस गैर-व्यापार मुद्दे को डब्ल्यू.टी.ओ. की कार्य सूची में लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि श्रम मानकों के विषय को किसी भी रूप में डब्ल्यू. टी.ओ. में नहीं लाया जाना चाहिए।

7. सरकारी खरीद के बारे में बैठक में महसूस किया गया कि विकासशील देशों को इस समय यह विकल्प अपने पास रखे रहना चाहिए कि वे बहु सरकारी खरीद समझौते में केवल तभी शामिल होंगे जब यह उन्हें लाभप्रद लगेगा। बैठक में सहमति हुई कि यह विचार करने के लिए कि बहुपक्षीय सरकारी खरीद समझौता वांछनीय है या नहीं, इसके लिए इस विषय पर कुछ प्रस्तावों के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. व्यापार और पर्यावरण के मुद्दे पर व्यापार और पर्यावरण की डब्ल्यू.टी.ओ. समिति में करीब दो वर्षों तक चर्चा की जा चुकी है। यह बात स्वकीर की गई है कि व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंध जटिल है, लेकिन व्यापार, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। आगे कार्य के लिए मुख्य क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ये मुद्दे शामिल हैं:- बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था और बहुपक्षीय पर्यावरण व्यवस्थाओं (एम.ई.ए.) के बीच संबंध और विकासशील देशों के बाजार पंहुच पर पर्यावरण संबंधी उपायों का प्रभाव विशेष रूप से उनकी बाजार पहुंच की रक्षा और उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता, पर्यावरण संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित और सर्वाधिक अनुकूल शर्तों पर पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रौद्योगिकी और उत्पाद (ई.एस.टी.एण्ड पी.) उपलब्ध कराना। बैठक में रिओ सिद्धान्तों को याद किया गया जिनमें पर्यावरण संबंधी औचित्यों पर एकपक्षीय और छद्म संरक्षणवाद से बचने के लिए पर्यावरण संबंधी मानकों के विकासत्मक परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के बारे में सांझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया गया था। बैठक में यह भी महसूस किया गया कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव देते समय विकासशील देशों के अनुकूल, गैर-वाणिज्यक और न्यायसंगत शर्तों पर ई.एस.टी.एण्ड.पी. के स्थानान्तरण पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधी उद्देश्यों के लिए व्यापार उपायों के जरिए एकपक्षीय कार्रवाई और छिपे हुए सरंक्षण के बारे में कड़ा विरोध था। अनेक प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत थे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले सभी वैध व्यापार उपायों का समाधान करने के लिए गाट 1994 की वर्तमान धारा XX पर्याप्त है। बैठक में उन सभी व्यापार प्रतिबंधों और विकृतियों को हटाए जाने की बात को महत्व दिया गया जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात पर सहमति हुई कि सी.टी.ई के सामने दस मदों के अन्तर्गत पहचाने गए सभी मुद्दों पर और कार्य करने की जरूरत है।

9. प्रतिनिधिमंडलों ने इस बात पर संतुष्टि व्यक्त की कि "नए मुद्दों" के बारे में बेहतर समझ बनाने की दिशा में इस बैठक का सकारात्मक योगदान रहा है। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि जेनेवा में और सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान राजधानियों में आपसी परामर्श और विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता है।

10. अध्यक्ष ने सभी प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को अल्पकालिक सूचना पर इस तैयारी बैठक में भाग लेने और उनके उत्कृष्ट, मुक्त एवं स्पष्ट योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया जिससे कि बहुत ही लाभप्रद विचार विनियम हो सका। उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रतिनिधियों ने भारत में अपने अल्पकालीन प्रवास का आनन्द लिया होगा और सभी विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सुरक्षित घर वापसी की कामना की।

निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण जोन संबंधी नीतियों में परिवर्तन

484. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात प्रसंस्करण जोन का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात प्रसंस्कारण जोन संबंधी नीतियों की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में परिवर्तन किए जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) निर्यातोन्मुख इकाईयों एवं निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1995-96 के दौरान ईओयू/ईपीजैड ने पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह काफी संतोषजनक स्थिति है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु सामाजिक पैकेज

485. श्री शरत पटनायक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के लिए एक सामाजिक पैकेज तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के लिए एक सामान्य सामाजिक पैकेज तैयार करने का फिलहार कोई प्रस्ताव नहीं है। उद्यम सापेक्ष उपयुक्त उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है।

बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम

486. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत अब तक किन-किन स्थानों तथा संस्थाओं को शामिल किया गया है;

(ख) प्रत्येक ओम्बड्समैन द्वारा आज तक कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत अब तक 11 ओम्बड्समैन नियुक्त किए हैं। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक आते हैं। ओम्बड्समैनों के नाम, अवस्थिति, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति की तारीख और निपटाई गई शिकायतों की संख्या आदि नीचे दी गई हैं :-

क्र.	ओम्बड्समैन का नाम	कार्यालय की स्थिति	नियुक्ति की तारीख	क्षेत्राधिकार	ओम्बड्समैनों के नेतृत्व में वापस ली गई/निपटाई गई शिकायतें (30.6.1996 को स्थिति के अनुसार)
1.	श्री बी.एन. शेट्टी	मुम्बई	14.6.95	महाराष्ट्र और गोवा	10
2.	श्री ए.के. पाण्डे	भोपाल	14.6.95	मध्य प्रदेश	5
3.	श्री बी.एल. चड्ढा	नई दिल्ली	14.6.95	दिल्लो, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर एवं जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में	31
4.	श्री जे.सी. लाइन	बेंगलूर	24.6.95	कर्नाटक	8
5.	श्री आर.सी. कपूर	चण्डीगढ़	24.6.95	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	17
6.	श्री आर.के. रागाला	हैदराबाद	4.10.95	आंध्र प्रदेश	9
7.	श्री जे.पी. शर्मा	पटना	8.10.95	बिहार	25
8.	श्री ओ.पी. सोधानी	जयपुर	11.1.96	राजस्थान	13
9.	श्री जी.सी. अग्रवाल	कानपुर	24.5.96	उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अलावा	-
10.	श्री एच.एन. दास	गोवाहाटी	5.6.96	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा	-
11.	डा. सीताकान्त महापात्र	भुवनेश्वर	28.9.96	उड़ीसा	-

(ग) और (घ). फिलहाल इस योजना को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं पर लागू करने का भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए ओम्बड्समैन स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके पास पहले से ही एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है जो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। तथापि, साधारण बीमा निगम के लिए एक ओम्बड्समैन स्थापित करने हेतु सिद्धांत रूप में सहमति हो गई है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

487. श्री हरिन पाठक :

श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रिकों ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) तथा कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अधिग्रहीत करने में दिलचस्पी दिखाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "भेल" ने कुछ बहुराष्ट्रिकों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संयुक्त उद्यमों से क्या लाभ प्राप्त होगा; और

(ङ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिग्रहण करने पर स्वदेशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) दो संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है जिसके लिए सरकारी अनुमोदन हाल ही में दिया गया है।

(घ) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(1) जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, यू.एस.ए. के साथ संयुक्त उद्यम भारत में तथा कुछ अन्य देशों में प्रचालनरत जनरल इलेक्ट्रिक अभिकल्पित गैस टरबाइनों की मरम्मत तथा बिक्री पश्चात सर्विसिंग के लिए है।

(2) सीमेन्स ए.जी. जर्मनी के साथ संयुक्त उद्यम भारत में व कुछ अन्य देशों में पुराने जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों का संयंत्र निष्पादन सुधार करने के लिए है जो निम्न संयंत्र भार गुणक पर प्रचालनरत हैं और जिनमें अपर्याप्त उपलब्धता है।

लाभ :

प्राप्त होने वाले कुछ संभावित लाभ निम्नानुसार हैं :

(1) भेल के लिए अधिक कारोबार।

(2) वर्तमान पुराने जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों से कम लागत पर अधिक विद्युत की उपलब्धता तथा जी.ई. अभिकल्पित गैस टरबाइनों का बेहतर उपयोग।

(3) विक्रय पश्चात सर्विसिंग कारोबार के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकियों की भारत में उपलब्धता से उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी को घाटा

488. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को हुए नुकसान की जांच के आदेश दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जांच रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी; और

(घ) इस कम्पनी को घाटे से उबारने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान उसे 45.97 करोड़ रूपए की हानि हुई थी। यह नुकसान मुख्यतः सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन संशोधन, उपदान देयता में वृद्धि तथा दिनांक 1.11.1996 से पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू अपने कर्मचारियों के लिए हाल ही में शुरू की गई पेंशन योजना के संबंध में अतिरिक्त देयता के कारण उसके द्वारा किए गए लगभग 121 करोड़ रूपए के व्यय की वजह से हैं। इसके अलावा, निवल आधार पर कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि के कारण असमाप्त जोखिम के संबंध में प्रारक्षित भार भी लगभग 67 करोड़ रूपए बढ़ गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वेतन संशोधन तथा पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू पेंशन योजना के शुरू होने के कारण बकाया राशियों की अदायगी करना आवश्यक हो गया और यह एक समय की देयता है। इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में काफी कम होगा। इसके अलावा कम्पनी के कार्य-निष्पादन का मानीटरिंग निरन्तर कंपनी के निदेशक बोर्ड, जिसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम का एक प्रतिनिधि तथा एक सरकारी नामजद शामिल व्यक्ति हैं, द्वारा की जाती है।

अखबारी कागज का आयात

489. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू कागज की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से अखबारी कागज के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त का प्रावधान दुबारा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). अखबारी कागज का आयात, जो पिछले दिनों से टैरिफ विनियमों के अधीन रहा है, उसकी वर्तमान नीति में संशोधन का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैंकों का कार्य निष्पादन

490. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष तथा 1996 के दौरान अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंकों को अत्यधिक घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्षों के संबंध में वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घाटे में चल रहे बैंकों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्ष, अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ और हानि संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (ऋणात्मक चिन्ह हानि दर्शाते हैं)

(घ) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाएं और अग्रिमों का निकट से पर्यवेक्षण करें और उसपर नियंत्रण रखें। कार्यनिष्पादन बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं वाले कागजातों में राष्ट्रीयकृत बैंकों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में कार्य-योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है :-

(1) संगठनात्मक ढांचे में सुधार।

(2) महत्वपूर्ण/चुने हुए क्षेत्रों में मशीनीकरण सहित उत्पादकता स्तर में सुधार करना और कर्मचारियों को सीमित रखना।

(3) मानव संसाधन विकास।

(4) आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था (हाऊस-कीपिंग) और आंतरिक नियंत्रण में सुधार।

(5) सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना और चूक करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध निवारक कार्रवाई करना।

(6) लाभ योजना तैयार करना और लाभ के स्तर में सुधार लाना।

(7) निम्न लागत वाली जमाराशियां जुटाना, और

(8) अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करना।

घाटा उठाने वालें बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्मचारियों की वृद्धि सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए शाखाओं के खोलने तथा पूंजी व्यय पर प्रतिबंध लगा दिया है। आशा है इन उपायों से इन बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होगा।

विवरण
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभ/हानि की स्थिति

(राशि करोड़ रू.)

बैंक का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	परिचालन लाभ	निवल लाभ	परिचालन लाभ	निवल लाभ	परिचालन लाभ	निवल लाभ
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	1532.84	275.04	1951.01	715.50	3030.13	831.60
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	47.62	6.50	72.73	8.04	112.25	5.75
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	120.57	24.48	159.81	43.60	200.39	50.00
स्टेट बैंक आफ इंदौर	38.85	3.65	56.84	9.09	62.81	12.08
स्टेट बैंक आफ मैसूर	53.25	2.39	61.35	2.92	100.84	25.63
स्टेट बैंक आफ पटियाला	113.56	29.14	111.34	32.64	185.67	52.14
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	44.22	5.50	67.11	14.00	93.26	-230.31
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	84.51	9.34	103.02	20.70	137.86	26.21
स्टेट बैंक समूह का कुल लाभ	2035.42	356.04	2583.21	846.49	3923.21	1023.44
स्टेट बैंक आफ समूह की कुल हानि	-	-	-	-	-	-230.31

1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	22.84	-367.72	30.42	-76.36	103.21	5.62
आंध्रा बैंक	18.66	-162.25	13.13	-43.57	61.67	11.07
बैंक आफ बड़ौदा	726.82	66.15	774.87	175.54	877.27	204.27
बैंक आफ इंडिया	204.80	-1089.15	317.10	50.36	473.86	276.48
बैंक आफ महाराष्ट्र	-33.86	-296.93	26.98	-40.80	66.49	12.60
केनरा बैंक	319.54	120.35	552.27	204.10	684.63	252.52
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	-122.01	-711.93	49.18	-84.24	210.89	-73.53
कारपोरेशन बैंक	108.22	27.04	174.03	72.55	216.10	104.75
देना बैंक	39.39	-69.84	68.80	30.02	145.49	51.69
इंडियन बैंक	49.78	-390.65	75.12	14.26	-233.68	-1336.40
इंडियन ओवरसीज बैंक	45.86	-351.18	75.19	10.39	21.95	3.20
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	109.54	32.11	194.77	113.36	276.14	172.75
पंजाब एंड सिंध बैंक	-6.06	-175.99	40.97	-7.42	8.40	-132.15
पंजाब नैशनल बैंक	287.59	74.52	321.27	85.79	384.28	-95.92
सिंडिकेट बैंक	4.05	-299.40	14.29	-91.79	99.40	20.17
यूको बैंक	-161.87	-546.45	30.63	-83.81	-28.13	-236.66
यूनियन बैंक आफ इंडिया	163.26	50.27	285.25	106.48	311.02	80.49
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-119.00	-618.06	-82.73	-197.23	-50.24	-234.46
विजया बैंक	40.53	4.10	77.58	31.70	4.91	-250.95
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल लाभ	2122.22	374.54	3127.85	894.55	3945.71	1195.61
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल घाटा	-461.41	-5070.55	-82.73	-625.22	-300.05	-2360.10
सरकारी क्षेत्र के बैंको का कुल लाभ	4157.64	730.58	5711.06	1741.04	7888.92	2219.05
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल घाटा	-461.41	-5079.55	-82.73	-625.22	-300.05	-2590.41

टिप्पणी : (-) घाटा दर्शाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

491. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अपनी रिपोर्ट में 1996 के वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कुल निवेश में कमी होने के लिए प्रशासनिक अड़चनों को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से लिए गए उधारों को समग्र विदेशी वाणिज्यिक उधारों के एक भाग के रूप में माना जाता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत में निवेश के कुल स्तर में की गयी कटौती प्रशासनिक खामियों और

भारतीय फर्मों हेतु लिए जाने वाले विदेशी उधारों के संबंध में आने वाली बाधाओं के कारण है। वास्तव में, जैसाकि नीचे दिया गया है, पिछले वर्षों के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए विभिन्न भारतीय निगमों को दिए गए अनुमोदनों में क्रमिक वृद्धि हुई है :-

वर्ष	राशि (मिलियन डालर)
1994-95	4,367
1995-96	6,286
1996-97 (5.11.96 तक)	5,461

विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वि. बैंक) से प्राप्त सभी आवेदनों को निपटा दिया गया है।

स्वर्ण आयात योजना

492. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992 में शुरू की गई उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना का दुरूपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। सरकार के समक्ष इस समय उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विदेश व्यापार (कुछेक) मामलों में नियमों को लागू करने से छूट) आदेश, 1993 के तहत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार योजना के उपबंधों के बड़े स्तर पर उल्लंघन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज

493. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में बुनियादी सुविधाओं की कमी है जिसका प्रभाव उद्योग पर भी पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का आधुनिकीकरण करने और इसमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस एक्सचेंज में बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा देगी और इस कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के अनुसार, इसने आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है। तथापि, एक्सचेंज के अनुसार, पर्याप्त स्थान का अभाव एक बाधा का कार्य कर रहा है। एक्सचेंज ने पहले ही मार्च, 1996 में प्रतिभूतियों में ऑन-लाइन स्क्रीन आधारित लेनदेन प्रारंभ कर दिया है।

(ख) अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने एवं दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के प्रचालनों का आधुनिकीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः एक्सचेंज के प्रबंधन तथा सदस्यों में निहित है न कि सरकार में।

(ग) से (ङ). ऊपर (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठते।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां

494. श्री सुरेश प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 के जरिए एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग "क" को दिनांक 27.9.1991 से हटाए जाने के परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों को अब केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है।

(ख) जिन कम्पनियों और अन्य दलों के विरूद्ध वर्ष 1993, 1994 और 1995 में अनुचित और अवरोधक व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 घ और 37 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा आदेश पारित किए गए थे, उनके नाम क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

.विवरण I

अनुचित व्यापार प्रथा जांच (यू टी पी ई) संबंधी उन मामलों की सूची जिनमें 1993 से 1995 के दौरान आदेश जारी किया गया।

क्र. सं.	यूटीपीई संख्या जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम
1	2	3
वर्ष 1993 के लिए		
1.	106/91	मै. कोर कुशन प्रा. लि., गाजियाबाद
2.	23/80	मै. वोल्टास लि., मुंबई
3.	27/91	मै. फेयर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स, कोचीन
4.	31/87	मै. हिन्दुस्तान सिवा गेगी लि.
5.	242/87	मै. मरफी इंडिया लि., मुंबई
		मै. गोल्डन रेडियोज एजेंसी, जबलपुर
6.	158/80	दि टी पी एल, नई दिल्ली
7.	158/86	मै. फूड स्पैशियलिटिज इंडिया लि., कलकत्ता
8.	92/88	मै. बेलटेक इंडिया लि., नई दिल्ली
9.	38/89	श्रीराज ट्रेवल्स एंड टूर्स प्रा. लि., मुंबई
10.	154/92	मै. ट्रांसलेकतरा डोमेस्टिक प्रोडक्टस लि., मुंबई
11.	161/91	मैं. गंगाधरन एंप्लायेसिज लि., मद्रास
12.	105/92	मै. जी बी जी फाइनेन्स लि., नई दिल्ली
13.	50/92	मै. कीप फिट फूड्स प्रा. लि.
14.	120/89	मै. स्वर्ण फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बंगलौर
15.	217/86	जी आई जी इंडस्ट्रीज लि., मुंबई
16.	136/91	जैना प्रापर्टीज, नई दिल्ली
17.	146/41	पोलर इंटरनेशनल लि., मुंबई
18.	64/92	मैनेजमेंट एंड टैक्नोलोजिकल इंस्टीटूयूट कलकत्ता
19.	121/91	सी जैड इन्स्टूमेंटेंस (प्रा.) लि., मुंबई
20.	268/88	मै. हंसमुख राम लि., मुंबई
21.	161/90	दि इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, उड़ीसा
22.	158/92	मै. जी.पी. इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
23.	143/92	संस्करूत कम्फर्ट सिस्टम्स प्रा. लि., अहमदाबाद
24.	69/91	प्रिंस गुटका (इं.) लि., नोडिया
25.	68/92	मै. सिवाहेसन क. एंड कं., मद्रास
26.	384/86	मै. नेशनल सैन्टर फार कम्प्यूटिंग टैक्नीक
27.	6/92	मै. ओलम्पिया सर्विस सैन्टर, नई दिल्ली
28.	144/91	मै. मूनवीन इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
29.	48/92	मै. सुपर केन टेलिविजन विडियो सर्विस
30.	7/92	मै. सिलिकांन अक़ादमी, दिल्ली
31.	139/92	मै. त्रिवेणी आयल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
32.	167/91	श्रीमती अमरजीत कौर उषा इलैक्ट्रोनिक्स, दिल्ली
33.	115/92	मै. एलैवसकांन एक्सटैन्सन लि., मुंबई
34.	398/87	मै. हुडा
35.	71/92	मै. के.पी. लैंड एंड फाइनैंस कं.
36.	150/92	मै. आई ओ एन एक्सचेंज (आई) लि., मुंबई
37.	171/92	मै. पांचनीर, नई दिल्ली
38.	134/91	मै. निरलान प्लास्टिक्स, मुंबई
39.	63/91	भारत वाच कम्पनी
40.	122/91	जे इंजीनियरिंग वर्क्स लि.
41.	137/91	मै. खेतान इंडिया लि., कलकत्ता
42.	95/92	मै. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद
43.	91/92	मै. कैपीटल प्रोमोटर्स (प्रा.) लि., दिल्ली
वर्ष 1994 के लिए		
1.	77/90	पेपसी फूड प्रा. लि., चण्डीगढ़
2.	16/91	एस.के.एग्रो इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
3.	151/86	मै. दिल्ली वोटलिंग कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
4.	157/86	मै. हरियाणा ड्रिंक्स कं. (प्रा.) लि., रोहतक
5.	69/92	मै. पी सी सी आई, मुंबई
6.	111/89	मै. मेगाबाइट कम्प्यूटर्स अकादमी, मुंबई
7.	139/95	टाटा फाइनैंस एंड लीजिंग लि.
8.	67/91	सैंटर फार एडवांस रिसर्च इन एजूकेशन, त्रिवेन्द्रम
9.	179/92	वितासे ट्रेडिंग लि., मुंबई

1	2	3
10.	150/90	श्री अलोक अग्रवाल, बालाजी इन्टर-प्राइजिज
11.	29/92	कोयर फोम (प्रा.) लि., कलकत्ता
12.	136/92	मिल्स इंडिया लि., बरोदा
13.	8/81	श्री श्याम सिंह, नई दिल्ली
14.	60/92	मै. ग्रीनलैंड डिवेलपर्स (प्रा.) लि.
15.	247/86	मै. वोल्टास, मुंबई और अन्य इलेक्ट्रीकल स्टोर्स, कच्छ
16.	148/89	मै. न्यू उद्या फार्मेसी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, कोचीन
17.	20/94	मै. नाथ लिबोरेट्री प्रा. लि., हैदराबाद
18.	58/92	मै. लैपोवन हाउसिंग फाइनैंस लि., नई दिल्ली
19.	416/88	मै. आर एस कन्सलटैंसी एंड इन्जी., नई दिल्ली
20.	136/91	मै. कैडबरी इण्डिया लि., मुंबई
21.	101/91	मै. डी पी एल, नई दिल्ली
22.	102/91	मै. टी पी एल, नई दिल्ली
23.	194/89	मै. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, आगरा
24.	44/87	मै. सिद्धार्थ टैवल्स प्रा. लि., नई दिल्ली
25.	155/92	मै. किनेटिक इंजि. लि., चण्डीगढ़
26.	2/91	एजूकेशनल कन्सलटेंट, राजस्थान
27.	26/91	दि क्लिनिक 2000, नई दिल्ली
28.	29/93	शेषगिरी राव, कालीनाड़ा
29.	147/92	मै. हाटसन फूडस (प्रा.) लि., मद्रास
30.	125/91	श्री मोहिन्दर सिंह यादव
31.	14/90	मै. अम्बिके इन्फारमेशन टैक्नोलाजी लि., नई दिल्ली
32.	221/86	मै. स्कार्स एलकाट टेलिविजन मद्रास और
		मै. कोराल इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., मद्रास
33.	15/89	मै. बेलटेक इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि, नई दिल्ली
34.	6/90	मै. कुरूक्षेत्र कालेज, नई दिल्ली
35.	97/90	कीर्ति होम्यो फोम लि.
36.	21/92	टैक्नोलोजी बैंक लि., नई दिल्ली
37.	22/92	
38.	23/92	
39.	24/92	
40.	25/92	
41.	26/92	
42.	22/93	मै. मेवात टैक्टाइल मिल्स लि.
43.	28/93	मै. जैनसन्स बेंस्ट ऐण्ड, नई दिल्ली
44.	60/92	मै. ग्रीनलैंड डैवलपर्स प्रा. लि., मुंबई
45.	82/91	मै. अम्बिका ज्वैलर्स, मदुरई
46.	115/92	एलैक्सकान एक्सटैन्सन लि., मुंबई
47.	20/94	-वही-
48.	9/94	मै. कुमारन स्टोर्स लि.
49.	10/94	-वही-
50.	87/91	सुखसागर क. लि., मुंबई
51.	455/87	दि जी एच एम प्रोडेक्ट्स लि., मद्रास
52.	57/89	फ्युसन पोलिमर्स लि., बरोदा
वर्ष 1995 के लिए		
1.	182/86	मै. विडियोकान इण्डिया लि., अहमदनगर
2.	40/89	मैगाकईट कम्प्यूटर अकादमी, मुंबई
3.	47/87	मै. इन्टर फूड लि. और अन्य हैदराबाद
4.	39/95	मै. ऐपल इन्डस्ट्रीज लि., मुंबई
5.	32/94	मै. महेश प्लांटेशन्स एंड रिसर्च लि., बंगलौर
6.	31/95	मै. ट्रेडवैल कारपोरेशन, राजस्थान
7.	46/94	मै. अमर एंड सन्स, नई दिल्ली
8.	140/94	संगम डायरी और अन्य, हैदराबाद
9.	108/94	मै. कमल सलेक्शन्स, आंध्र प्रदेश
10.	99/94	मै. स्टरलिंग कम्प्यूटर्स, चेन्नई
11.	52/94	मिसिज रेवलनाथ कन्सट्रक्संस, पुणे
12.	54/94	मै. एशियन अकादमी आफ फिल्म एंड टी वी इन्स्टीच्यूट, नोएडा
13.	68/94	सन सैटलाइट विजन, नई दिल्ली
14.	81/84	मिसिज अजय इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
15.	59/94	मिसिज यूनाइटिड टीक एस्टेट प्रा., लि., मद्रास
16.	23/95	जी डी ए, उत्तर प्रदेश
17.	58/94	भारत पैट्रोलियम लि., मुंबई

विवरण II

अवरोधक व्यापार प्रथा जांच संबंधी उन मामलों की सूची जिनमें 1993 से 1995 के दौरान आदेश जारी किया गया।

क्र.सं.	आर टी पी ई संख्या	प्रतिवादी का नाम
1	2	3
वर्ष 1993 के लिए		
1.	92/90	थर्मैक्स लि., पुणे
2.	145/88	बायर (इंडिया) लि., मुंबई
3.	128/90	टी.ओ.ए. भिवांडी और अन्य
4.	55/86	कैपीटल इलेक्ट्रोनिक्स, कलकत्ता और अन्य
5.	1205/87	हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास लि., नई दिल्ली
6.	25/86	आल इंडिया प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज लि.
7.	269/88	डंकन चाय लि., कलकत्ता
8.	36/91	अमर जीवन पब्लिक स्कूल, दिल्ली
9.	38/90	मेगाबाईट कम्प्यूटर लि., मुंबई
10.	1659/87	लोयरा मशीन वर्क्स लि., कोयम्बतूर
11.	32/85	सरायकोटला ग्लास वर्क्स (प्रा.) लि., मुंबई
12.	131/85	फर्मास्यूटिकल्स होलसेलर्स एसोसिएशन और अन्य
13.	78/90	ट्रांस इंडिया मेडिकल प्रा. लि., मुंबई
14.	24/92	फरीदाबाद काम्पलैक्स ट्रांसपोटर्स एंड ट्रक ओपरेटर्स यूनियन, फरीदाबाद
15.	37/83	दि कमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जयपुर
16.	96/92	बजाज आटो लि., पुणे
17.	31/91	राजस्थानी सम्मेलन, मुंबई
18.	316/88	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि., पुणे
19.	43/92	डा. राधाकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली
20.	6/93	उद्योग विहार इन्ड. एसो., राजस्थान बनाम जनता ट्रक यूनियन, राजस्थान
21.	30/92	भगवानदीन गया प्रसाद, कानपुर
22.	47/91	एस.बी. गैस, भोपाल
23.	136/92	बंगासा गैस एजेन्सी
24.	2/93	अरूण गैस सर्विस
25.	19/92	बायफोर्ड लीजिंग लि., नई दिल्ली
26.	2/91	रोहन इन्वेस्टमेंट एंड प्रापर्टीज लि.
वर्ष 1994 के लिए		
1.	347/88	पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. मुंबई
2.	78/84	प्रीमियर टायर्स लि. व अन्य
3.	91/85	दि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मुंबई
4.	62/92	एफी एजेन्सी, बरोदा
5.	31/93	आयर कार्पो. आफ इंडिया लि., कलकत्ता
6.	135/89	बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रीकेट आफ इंडिया, मुंबई
7.	591/91	मै. सीपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर
8.	40/92	कानपुर गैस एंड एलाइड एजेन्सीज, कानपुर
9.	101/92	लैंगकुई गैस एजेन्सीज, शिलांग
10.	103/90	ट्रक आपरेटर्स यूनियन, पानीपत
11.	101/90	-यथोपरि-
12.	97/90	यूनानी मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स क. और अन्य
13.	24/93	ममता गैस एजेन्सी, कानपुर
14.	14/93	सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली
15.	131/89	जूनियर टीनी टार्ट्स स्कूल, कलकत्ता
16.	30/91	दि मद्रास ज्वेलर्स एंड डाइमन्ड मर्चेन्ट्स एसो., मद्रास
17.	79/90	मै. आल इंडिया साफ्ट ड्रिन्क मैन्यू. एसो., बनाम जैनेन्स बोटलर्स प्रा. लि. और अन्य
18.	144/92	माया गैस सर्विस, गोहाटी
19.	38/93	मै. त्रिपाठी गैस सर्विस, ए.पी.
20.	361/88	कीर्लोस्कर आयल इंजिन लि., पुणे
21.	387/88	डेफा डाटा इन्व लि., कलकत्ता
22.	272/88	-यथोपरि-
23.	61/89	मै. एल.एम.एल.लि., कानपुर
24.	121/88	बायो इंडिया लि., मुंबई
25.	56/92	मै. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि., बंगलौर
26.	122/86	मै, वोल्टास लि., मुंबई
27.	202/86	-वही-

1	2	3
28.	121/88	मै. वोल्टास लि., मुंबई
29.	200/86	-वही-
30.	125/86	-वही-
31.	126/86	-वही-
32.	130/86	-वही-
33.	131/86	-वही-
34.	134/86	-वही-
35.	197/87	-वही-
36.	198/86	-वही-
37.	199/86	-वही-
38.	488/86	-वही-
39.	554/86	-वही-
40.	637/86	-वही-
41.	459/88	मै. बैंड बाक्स प्रा. लि., नई दिल्ली
42.	458/88	मै. स्नोव्हाइट ड्राई क्लीनर्स, नई दिल्ली
43.	130/90	मै. एलोरा आर्ट इन्डस्ट्रीज, मुंबई
44.	50/89	सिरमौर ट्रक आपरेटर्स यूनियन
45.	6/93	ब्लूस्टार लि., नई दिल्ली
46.	1/87	भिलवाड़ा ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन
47.	81/92	लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस, राजस्थान
48.	93/90	दि एसोसिएशन आफ डेन्टल इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स आफ इंडिया, मुंबई
49.	100/90	ट्रक आपरेटर्स यूनियन, हरियाणा
50.	44/89	राज सुधा टावर्स प्रा. लि., नई दिल्ली
51.	99/92	अरविन्द गैस सर्विस, रोहतक
52.	132/84	मै. तूतीकोरन अलकली केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि.
53.	103/89	विद्या निकेतन प्राइमरी स्कूल और अन्य
54.	57/93	आनन्द कन्सट्रक्सन (दिल्ली) प्रा. लि.
55.	48/93	सन्देश गैस सप्लायर्स (भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स)
56.	490/87	मै. ओलोकिलेन प्लान्ट्स एंड इक्वीपमेंट लि., मुंबई
57.	45/92	मै. गायत्री गैस सर्विस, हमीरपुर
58.	65/92	मै. ताहोश्री गैस सर्विस, दिल्ली
59.	22/92	कमलेस गैस एजेन्सी, मध्य प्रदेश
60.	108/92	शीला गैस एजेन्सी, लखनऊ
61.	98/92	नानक डेरी प्लान्ट, दिल्ली
62.	400/88	जैना प्रापर्टीज प्रा. लि.
63.	98/90	करनाल ट्रक आपरेटर यूनियन, करनाल
64.		गंगाधरन एप्लाइन्सिस, मद्रास
65.	46/92	गुप्ता सलूजा एंड कम्पनी, कानपुर
66.	16/93	मै. मूनबिन इन्ड. लि., दिल्ली
67.	1594/87	कलामा इन्ड. प्रा. लि.
68.	140/92	अनुभव गैस एजेन्सी
69.	90/92	मै. यूनाइटेड गैस एजेन्सी, अहमदनगर
70.	49/92	मै. आर.टी. कराचीवाला, महाराष्ट्र
71.	37/93	मै. मेहर कैपीसिटर्स प्रा. लि., बंगलौर
72.	49/89	राजेन्द्रास प्रापर्टीज प्रा. लि., नई दिल्ली
73.	51/92	लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस, सिक्कम
74.	44/89	राज सुधा टावर प्रा. लि., नई दिल्ली
75.	38/94	शादी राम बालमुकन्द, सहारनपुर
76.	48/93	मै. सन्देश गैस सप्लायर्स, पुणे

वर्ष 1995 के लिए

1	2	3
1.	46/91	आल केरल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और अन्य केरल
2.	53/92	दि बांम्बे काटनवेस्ट मर्चेन्ट्स एसोसिएशन और अन्य मुंबई
3.	9/91	मेगाबाइट कम्प्यूटर्स अकादमी, मुंबई
4.	14/91	बजाज इलेक्ट्रोनिक्स, बंगलौर
5.	478/88	सैंट फ्रांसियस डिसालस प्रिमियर सैकेन्डरी स्कूल, कलकत्ता
6.	2/92	सोमाविल्लास स्कूल, नई दिल्ली
7.	68/92	मिसिज ट्रांसलेकतरा डैमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रा. लि., मुंबई
8.	61/92	मिसिज श्री कृपा गैस एजेन्सी
9.	23/92	स्कीपर टावर्स प्रा. लि., नई दिल्ली
10.	3/93	मिसिज ज्योति गैस एजेन्सी, गोहाटी
11.	62/88	मिसिज कोठारी प्रोडक्ट्स प्रा. लि., कानपुर
12.	91/94	मै. पाम पेट्रो प्रोडक्ट्स, चेन्नई
13.	83/92	अलोक गैस सर्विस, नई दिल्ली
14.	78/92	जैना प्रापर्टीज प्रा. लि., नई दिल्ली
15.	52/92	मै. अमीन एंड कम्पनी

1	2	3
16.	103/94	मै. एकता बिहार कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि., नई दिल्ली
17.	25/93	मै. मालती साहा, नई दिल्ली
18.		मै. नवटेक ए एंड टी सी प्रा. लि., बंगलौर
19.	83/89	इंडिया पेस्ट कन्ट्रोल कं., भोपाल
20.	1616/87	पिकोइलैक्ट्रोनिक्स, मुंबई
21.	75/94	चावला बेकर्स, नई दिल्ली

बी.सी.सी.एल. का पुनरूद्धार

495. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यह एकक रूग्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रूग्ण कंपनी के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत में भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) का संचित घाटा 1293.03 करोड़ रू. की राशि का था। 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कंपनी की पप्रदत्त पूंजी 1122 करोड़ रु. की थी। अतः 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कंपनी की नकारात्मक निवल आय 171.03 करोड़ रू. की थी। तदनुसार, भा.को.को.लि. को 18.12.1995 से औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 1993 की धारा 3(1) (0) के अंतर्गत रूग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत कर लिया गया।

कंपनी निम्नलिखित कारणों से संसाधन संबंधी बहुत कठिनाई का सामना कर रही है :-

(1) विगत में निर्धारित कोयले की निम्न प्रशासकीय कीमतें, जोकि उच्च उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं रही हैं।

(2) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 के अनुसरण में वतेन तथा मजदूरी की देय बकाया राशि का भुगतान।

(3) विशेष रूप से भूमिगत कोयला खानों में, जोकि कंपनी में बड़ी संख्या में हैं, कम उत्पादकता का होना।

(4) राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत गृहों तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. को उधार के आधार पर बिक्री किए जाने के कारण कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाली बड़ी मात्रा में देय बकाया राशि में होना।

(5) निर्मित क्षेत्रों तथा खानों में आग के साथ-साथ खराब भू-गर्भीय खनन परिस्थितियां तथा कोयला खानों में जलाप्लावन की समस्या का होना।

(ग) मार्च, 1996 में सरकार द्वारा कोककर कोयले तथा "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया था। तदनुसार, कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने दिनांक 1.4.1996 से तथा पुनः 20.10.1996 से इन ग्रेडों के कोयले की कीमतें संशोधित कर दी हैं। इन संशोधनों के कारण भा.को.को.लि. की बिक्री की राशि में सुधार हुआ है।

सरकार द्वारा दिनांक 31.3.1992 तक के योजना ऋण बकायों पर को.इं.लि. के नामित ब्याज की 891.75 करोड़ रू. की राशि में छूट अधित्यागित कर दी गई है। इस अधित्यागित राशि के एक भाग को भा.को.को.लि. के संचित घाटों को समाप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने का निर्णय लिया गया है। भा.को.को.लि. का हिस्सा 502.75 रू. की राशि का है, जोकि वर्ष 1995-96 के कंपनी के वित्तीय खाते में डाल दिया गया है।

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1122 करोड़ रू. की तथा संचित घाटे 1191 करोड़ रू. की राशि का था, जिससे कंपनी का नकारात्मक निवल मूल्य 61 करोड़ रू. तक कम हो गया है। को.इं.लि. रूग्ण कंपनी को पुनर्जीवित करने हेतु वित्तीय पुनर्गठन तथा भा.को.को.लि. को और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने जैसे कुछ अन्य तरीके अपनाने की योजना बना रही है।

धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए सीमाशुल्क संबंधी नयी योजना

496. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व सीमा शुल्क संगठनों के एशिया प्रशान्त क्षेत्र के सीमाशुल्क प्रशासन की क्षेत्रीय सम्पर्क स्थल बैठक में भारत ने सीमाशुल्क संबंधी एक नयी महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक का क्या परिणाम निकला; और

(घ) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। भारत ने सितम्बर, 1996 में सीमाशुल्क प्रशासन की क्षेत्रीय सम्पर्क स्थल की

छठी बैठक में सीमाशुल्क के संबंध में एक नयी क्षेत्रीय महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की है।

(ख) उक्त क्षेत्रीय महत्वपूर्ण योजना में निम्नलिखित पांच उद्देश्यों की पहचान की गई है जिन्हें अगले दो वर्षों (1997-1998) के दौरान प्राप्त करने के लिए सीमाशुल्क प्रशासन को प्रयास करना होगा :

(1) सीमाशुल्क प्रशासनों की कारगरता को बढ़ाना।

(2) सीमाशुल्क प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सुसंगत और सरल बनाना।

(3) मूल्यांकन संबंधी विश्व व्यापार संगठन करार का कारगर कार्यान्वयन।

(4) सुमेलित प्रणाली को समान रूप से लागू करना, अद्यतन बनाना और उसका संवर्द्धन करना।

(5) मानव संसाधन विकास।

(ग) क्षेत्रीय सम्पर्क स्थल बैठक ने योजना को अनुमोदित कर दिया है बशर्ते कि इसे सीमाशुल्कों के अध्यक्षों द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो और साथ ही इसे पहली जनवरी, 1997 से लागू करने के लिए सहमत भी हों।

(घ) योजना में सीमाशुल्क प्रशासनों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए और उनके द्वारा धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुधार लाने की दृष्टि से सूचना का अधिकाधिक आदान-प्रदान करने के लिए उपायों का भी पता लगाया गया है। इन उपायों में द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सीमाशुल्क सहयोग करारों के संबंध में बातचीत करना, हांगकांग में क्षेत्रीय आसूचना सम्पर्क कार्यालय का सृजन करना और इसे सुदृढ़ बनाना, वाणिज्यिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान संबंधी क्रियाविधि और प्रवर्तन संबंधी मामलों में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु संभाव्यता अध्ययन करना शामिल है।

इसके अलावा, सीमाशुल्क विभाग निवारक और आसूचना तंत्र के स्तर और अपने अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने और सूचना और आसूचना को एकत्र करने के कार्य में सुधार लाने और कम्प्यूटरीकरण का अधिकाधिक प्रयोग करने और आयातकों और निर्यातकों के बारे में पूर्ण ब्यौरे तैयार करके जोखिमपूर्ण प्रेषणों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

कॉफी का उत्पादन

497. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कॉफी उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी उत्पादन के लिए क्या अनुपात लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) आठवीं योजना के दौरान कॉफी उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गयी है :

(टनों में)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	185500	169395
1993-94	191000	208000
1994-95	210000	180100
1995-96	225000	223000
1996-97	242000	-

(ख) नौवीं योजना में कॉफी उत्पादन के लिए प्रस्तावित अनंतिम लक्ष्य नीचे दिया गया है :

(टनों में)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य
1997-98	225,000
1998-99	240,000
1999-00	260,000
2000-01	280,000
2001-02	300,000

निगमित व्यवस्था के संबंध में विशेषज्ञ समिति

498. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित व्यवस्था हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उस पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने निगमित व्यवस्था संबंधी कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की है। तथापि, सरकार ने कुछ वित्तीय संस्थाओं जैसे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), आई.सी.आई.सी.आई. और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सुझाव दिया है कि वे कैडबरी समिति की सिफारिशों के मुकाबले प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा निगमित व्यवस्था की पद्धतियों का अध्ययन करें।

(ख) अध्ययन की कुछ टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :

- निर्गमित व्यवस्था की सर्वोत्तम पद्धतियां अल्प संवर्द्धक भागिता और बहुराष्ट्रीय सहयोगियों के सुदृढ़ प्रभाव वाली कंपनियों द्वारा अपनायी गई।
- बोर्ड की बैठकों की संख्या प्रतिवर्ष कम से कम 6 होनी चाहिए ताकि बोर्ड द्वारा कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- बोर्ड में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के नामितियों सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक साधारण बहुत होना चाहिए।
- बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को 2-3 निबन्धनों तक सीमित रखा जा सकता है ताकि उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।
- अल्पावधि निवेशों के संबंध में विवेकपूर्ण प्रतिमान विकसित तथा परिशोधित किए जाएं।
- लेखा-परीक्षा उप-समितियों के गठन को एक सांविधिक अपेक्षा बनाए जाए।

(ग) और (घ). वित्तीय संस्थाओं ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया है और भारतीय उद्योग परिसंघ ने निगमित व्यवस्था के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

499. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग को 5600 करोड़ रूपया (बजटीय समर्थन द्वारा 12865 करोड़ रूपया और संस्थागत वित्त पोषण द्वारा 3735 करोड़ रूपया) प्राप्त होना था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि जारी कर दी गयी है और शेष धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यकलापों के जरिये 20 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुसार, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5600 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्यय से एक कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है।

उक्त कार्यक्रम की इस अनुमानित लागत की एक-तिहाई राशि अर्थात् 1865 करोड़ रूपये बजट अनुदान से पूरी की जायेगी और शेष दो-तिहाई राशि अर्थात् 3735 करोड़ रूपये बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटायी जायेगी। यद्यपि के.वी.आई.सी. ने इस कार्यक्रम को 2 अक्तूबर, 1995 को ही शुरू कर दिया है, तथापि वास्तविक धन-प्रवाह की मात्रा कार्यान्वयन अभिकरणों की खपत क्षमता और बैंकों से ऋण की स्वीकृति पर निर्भर करती है।

सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष 130 करोड़ रूपये की अतिरिक्त रकम जारी की गयी है और इतनी ही राशि का प्रावधान कार्यक्रम के चालू वर्ष के लिये किया गया है। सरकार ने या तो सीधे ही के.वी.आई.सी. द्वारा अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से व्यवहार्य खादी तथा ग्रामोद्योग परियोजनाओं को उधार देने के लिए के.वी.आई.सी. को बैंकों के संघ से 1000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी भी दी है। इस ऋण राशि से के.वी.आई.सी. द्वारा करीब 325 करोड़ रूपये पहले ही किये जा चुके हैं।

झरिया में भूमि का धंस जाना

500. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि झरिया शहर तथा वहां के कतरासमोड चौथाई कुल्ही, पहाड़ी, हुसैनाबाद तथा साधन हुथिर क्षेत्रों के जमीन के नीचे धंसने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है तथा इससे एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जमीन को धंसने से रोकने तथा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, "साधन कुटीर" नामक अवैध रूप से निर्मित इमारत समेत कतरासमोड़, चौथाई कुल्ही, हुसैनाबाद आदि झरिया कस्बे के आसपास के क्षेत्र में अप्राधिकृत रूप के निर्माण किए गए आवास, जोकि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की भूमि पर निर्मित हैं, धंसाव के प्रति संवेदनशील है। भा.को.को.लि. स्थानीय समाचार-पत्रों में अपीलें छपवाकर निवासियों को इस स्थिति के बारे में सूचित कर रही है तथा उनसे क्षेत्र को खाली किए जाने का अनुरोध कर रही है।

दिनांक 27.10.1996 को कतरासमोड़ में इमारतों पर गंभीर दरारों के प्रदर्शित होने के बाद, जिला प्रशासन द्वारा स्थल का निरीक्षण किए जाने के उपरान्त इन क्षेत्रों में 219 घरों में दरारें पड़ने का अनुमान लगाया गया है। एक "विशेषज्ञ समिति" के अनुसार इन घरों को प्रभावित करने वाली दरारें भूमिगत आग द्वारा उत्पन्न पुरानी विनिर्मित गोवूस में हुई हलचल के कारण पड़ी हैं।

(ख) प्रभावित स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात उपायुक्त, धनबाद की राय यह है कि निवासियों को गैर-कोयला धारक क्षेत्रों पर बने मकानों में स्थानांतरित किया जाना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई आरंभ किए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बिहार की राज्य सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, धनबाद ने इन प्रभावित परिवारों की सहायता करने हेतु, जोकि गरीब हैं, भा.को.को.लि. से पूर्णतः अनुकम्पा तथा मानवीय आधार पर 15 लाख रू. का भुगतान करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त धनबाद के इस अनुरोध को भा.को.को.लि. प्रबंधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

विद्युत करघा क्षेत्र के लिए निर्यात कोटा

501. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत करघा क्षेत्र की वस्त्र निर्यात कोटा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) वस्त्र निर्यात कोटा बढ़ाने के विद्युत बकाया क्षेत्र और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). 14.10. 1996 को घोषित नई वस्त्र निर्यात हकदारी नीति (कोटा नीति) 1997-99 को ध्यान में रखते हुए विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी. ई.ई.) प्रणाली के प्रतिशत स्तर को 5 प्रतिशत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

विद्युत करघा क्षेत्र तथा देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसी वृद्धि के संभावित प्रभाव का सही मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं हो सकता।

बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बकाया पद

502. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन बकाया पदों का ब्यौरा क्या है जो अब तक रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बकाया पदों को भरने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संभावित तिथि क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के संदर्भ में कुल बकाया निम्नानुसार है :-

(आंकड़ा अनन्तिम)

संवर्ग	1.7.1996 की स्थिति के अनुसार बकाया	
	अ.जा.	अ.ज.जा.
अधिकारी	108	82
लिपिक	553	445
अधीनस्थ कर्मचारी	297	613

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए गए कदम निम्नानुसार है :

(1) वर्ष 1989, 1990, 1992, 1993-94 और 1995-96 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे।

(2) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अ.जा. और अ.ज.जा. की भर्ती और प्रतिनिधित्व की स्थिति की प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक छमाही में एक व्यापक पोफार्मा के माध्यम से पुनरीक्षा की जाती है और इस स्थिति की जानकारी सरकार को दी जा रही है।

(3) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी बैंकों द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(4) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अधिकता वाले क्षेत्रों के निकट परीक्षा केन्द्रों की स्थापना; और

(5) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने अ.जा./अ.ज.जा. कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित करें ताकि उन्हें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता की पूरी जानकारी हो सके।

(ग) और (घ). चूंकि बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अवधि के लिए नई भर्ती पर रोक लगाई गई है। अतः बकाया रिक्ति को पूरा करने के लिए कोई निर्दिष्ट तारीख नियत नहीं की जा सकती है। इन बैंकों में बकाया रिक्तियों को तभी पूरा किया जा सकता है जब उन्हें नई भर्ती करने की अनुमति दी जाए। तथापि कुछ बैंक अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान में भाग ले रहे हैं जो 31.3.97 को समाप्त हो रहा है।

सिगरेटों का उत्पादन

503. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप मौरिस ओवरसीज इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, यू.एस.ए. और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सिगरेटों के उत्पादन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 16-29 अक्तूबर, 96 के बिजनेस वर्ल्ड में प्रकाशित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मार्लबोरो सिगरेट का उत्पादन

किये जाने और घरेलू बाजार में इनकी बिक्री की जाने तथा इसके प्रभावों से संबंधित समाचार की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या देश में सिगरेट उत्पादन के साथ-साथ विदेशी सहयोग से सिगरेट उत्पादन को भी लाइसेंस मुक्त रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सिगरेटों के उत्पादन के लिए मैसर्स फिलिप मौरिस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, यू.एस.ए. को कोई विदेशी सहयोग अनुमति नहीं दी गई है। पिछले 4 वर्षों के दौरान केवल मैसर्स आर.जे. रिनॉल्डस टोबेको इन्टरनेलशनल एस.ए., स्वीटजरलैंड को सिगरेटों के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी भागीदारी से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ). जी, हां। तथापि किसी विदेशी कम्पनी से मार्लबोरो सिगरेटों के उत्पादन एवं इनकी बिक्री हेतु कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, नहीं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत सिगरेटों का उत्पादन अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद

504. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) जो कि जुलाई, 1996 के दौरान घोषित किया गया था, को कम करके पुनर्निर्धारित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जुलाई, 1996 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा घोषित सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के लिए अग्रिम अनुमानों को कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम अनुमानों को समाविष्ट करते हुए संशोधित किया गया है। स्थिर कीमतों (1980-81) पर उपादान लागत पर वर्ष 1995-96 के लिए सकल घरेलू उत्पाद इस समय 2,67,461 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है (पहले अनुमानित 2,68,671 करोड़ रुपए की तुलना में)। यह समायोजन कृषि, वानिकी तथा मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए स्थिर कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के निम्न वृद्धि अनुमान के कारण आवश्यक हुआ है। अब यह पहले अनुमानित 2.4 प्रतिशत की तुलना में 0.9 प्रतिशत ठहरता है।

रबड़ और खाद्य तेल पर आयात शुल्क

505. श्री पी.सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ और खाद्य तेलों पर लगाये गये आयात शुल्क में की गयी कमी संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने हेतु मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार ने प्राकृतिक रबड़ और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की बजट पूर्व दरों को बहाल करने संबंधी अभ्यावेदनों की जांच की है। ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

पेटेंट कानून में संशोधन

506. श्री भक्त चरण दास :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इंडिया टू फेस रिटैलिएशन इफ पेटेन्ट लॉज डु नॉट ग्लोबल लाइन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप पेटेन्ट कानून में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). विश्व व्यापार संगठन समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से सम्बद्ध पहलुओं पर एक समझौता (ट्रिप्स) भी शामिल है। 1 जनवरी, 1995 से उठे दायित्वों के अलावा ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत अपने दायित्वों को क्रियान्वित करने के लिए भारत के पास 1 जनवरी, 2000 तक का तथा अब तक असंरक्षित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट शुरू करने के लिए 1 जनवरी, 2005 तक का समय है। इस प्रयोजनार्थ हमने गहन विचार विमर्श शुरू कर दिया है।

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर

507. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान अब तक सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों

के कामकाज के संबंध में संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त किए गए हैं;

(ख) उन पत्रों को संख्या कितनी है जिनका उत्तर दिया जाना शेष है;

(ग) इनके उत्तर दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित पत्रों का उत्तर कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला न्यायालय

508. श्री विजय गोयल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला के साथ होने वाले अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए दिल्ली में दो वर्ष पूर्व कुछ महिला न्यायालयों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इन न्यायालयों में काफी मामले पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो आज तक इन न्यायालयों में अंतिम रूप से सुनवाई हेतु लंबित मामलों को संख्या कितनी है;

(ङ) इस प्रकार के बहुत से मामलों के इकट्ठे हो जाने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित पड़े मामलों के तेजी से निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार महिला न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश की एक न्यायालय तीस हजारी में , और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रटों के तीन न्यायालय, तीस हजारी, नई दिल्ली और कड़कड़डूमा (शाहदरा), प्रत्येक में एक-एक न्यायालय 1-9-94 से कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात केन्द्रों का विकास

509. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार तथा अन्य राज्यों से चुन गये केन्द्र को निर्यात प्रवण क्षेत्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिये कोई विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वाणिज्य मंत्रालय को केरल सरकार से केरल में अरूर तथा कालाबूर को निर्यात प्रधान क्षेत्रों के रूप में विकसित किए जाने संबंधी सम्भावयता रिपोर्टें प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने 1994 में निर्यात प्रधान क्षेत्रों को अवस्थापना सम्बन्धी सहायता देने के लिए एक योजना तैयार करने पर विचार किया था। किन्तु, प्रस्तावित योजना को योजना आयोग ने अनुमोदित नहीं किया गया था। निर्यात प्रधान क्षेत्रों को अवस्थापना संबंधी सहायता के माध्यम से प्राप्त करने वाले उद्देश्यों को "क्रिशियल बैलेसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम" नामक नई योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है।

केरल सरकार तथा अन्य राज्यों से निर्यातकों के लिए अवस्थापना सम्बन्धी रुकावटों को दूर करने संबंधी प्रस्तावों पर इस मंत्रालय "क्रिशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम" के अंतर्गत विचार किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति ने सिद्धांत रूप से अरूर के लिए 1.05 करोड़ रु. की सीमा तक भारत सरकार की सहभागिता की मंजूरी दी जिसके लिए केरल सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हुए हैं। तथापि कालावूर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और राज्य सरकार को सलाह दी गयी कि वे उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से इसको एक अलग प्लान स्कीम के रूप में पुनः शुरू करें।

भारतीय उद्योग महासंघ

510. श्री बीर सिंह महतो :

श्री चित्त बसु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 1996 में चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय उद्योग महासंघ के प्रतिनिधिमंडल तथा आल चाइना फेडरेशन आफ इंडस्ट्री एण्ड कामर्स के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के परिणाम क्या रहे; और

(ग) गैर-सरकारी स्तर पर इस द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) जो एक सरकारी संगठन नहीं है, ने 13 और 20 सितम्बर, 1996 के बीच चीन को एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के अलावा इस शिष्टमण्डल ने ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड कामर्स (ए.सी.एफ.आई.सी.) के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। विचार-विमर्श में व्यापक विषय शामिल थे जैसे कृषि उत्पाद, स्वचालित वाहनों के संघटक, समुद्री उत्पाद, भेषज सामग्री, रसायन, रिफ्रैक्टरीज, इलैक्ट्रॉनिक आदि।

इन विचार-विमर्शों के बारे में सी.आई.आई. की औपचारिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, इसके मिलने पर ही उचित कार्रवाई करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

511. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्रों के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके चयन के मापदंड क्या थे;

(घ) क्या उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है जहां रूग्ण वस्त्र मिलों के बंद हो जाने से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ङ). जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित विद्युत करघा सेवा केन्द्र खोले गए हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	स्थान का नाम	राज्य का नाम
1	2	3	4
1.	1992-93	बंगलौर	कर्नाटक
2.	1992-93	कोमरपालयम्	तमिलनाडु
3.	1992-93	ढ़ोलका	गुजरात
4.	1993-94	साचीन	गुजरात
5.	1993-94	बैटागिरि	कर्नाटक
6.	1993-94	हुजुराबाद (करीमनगर)	आन्ध्र प्रदेश
7.	1993-94	भिवांडी	महाराष्ट्र
8.	1994-95	अलवर	राजस्थान
9.	1994-95	सलेम	तमिलनाडु
10.	1994-95	सोमानूर	तमिलनाडु
11.	1994-95	पंडेसना	गुजरात
12.	1995-96	जबलपुर	मध्य प्रदेश
13.	1995-96	कन्नूर	केरल
14.	1996-97	भागलपुर	बिहार

इन पावरलूम सेवा केन्द्रों के स्थान का निर्धारण राज्य सरकारों से प्राप्त हुए सुझावों/प्रस्तावों पर तथा विद्युतकरघा बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। ये केन्द्र अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जैसे-करघे के रख-रखाव का प्रशिक्षण देना, बेहतर स्तर के कपड़े का उत्पादन करने के लिए बुनाई संबंधी सुधार की जानकारी देना आधुनिकीकरण तथा विपणन के बारे में मार्ग निर्देशन करना, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से निर्यात के अवसर प्रदान करना, परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना, तकनीकी परामर्श देना, डिजाइन विकास तथा विविधीकरण करना। इन केन्द्रों का उपयोग क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से ज्ञान तथा तकनीकी जानकारी संप्रेषित करने के लिए नौडिय केन्द्रों तथा उनकी समस्याओं को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए समन्वय केन्द्रों के रूप में किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत करघा सेवा केन्द्र विद्युतकरघा एककों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण के लिए नाबार्ड और एस आई डी बी ओई वित्त पोषण योजना, विद्युतकरघा कामगारों के लिए जीवन-बीमा योजना जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी लोकप्रिय बनाते हैं।

[हिन्दी]

रंगीन सूती धागा

512. **श्री कचरू भाऊ राउत :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत करघा क्षेत्र को रियायती दर पर रंगीन सूती धागा उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के उन छोटे विद्युत करघा मालिकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्हें अपने उद्योगों के लिए रंगीन सूती धागा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार विद्युत करघा क्षेत्र को रियायती दरों पर किसी भी प्रकार का रंगीन सूती यार्न प्रदान नहीं करती है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निवेश संबंधी बहुपक्षीय समझौता

513. **डा. मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओ.ई.सी.डी. आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने निवेश संबंधी बहुपक्षीय समझौता (एम.ए.आई.) प्रारूप के संबंध में नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार उदारवादी निवेश काल में राष्ट्रीय और साथ ही तीसरी दुनिया के देशों के हितों की रक्षा किस प्रकार से करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). भारत ओ.ई.सी.डी. का सदस्य नहीं है और इसलिए यह उस संगठन द्वारा सम्पन्न किए जा रहे निवेश संबंधी बहुपक्षीय समझौते की वार्ताओं से जुड़ा नहीं है। अगर ओ.ई.सी.डी. देश किसी निवेश संबंधी बहुपक्षीय समझौते पर सहमत होते हैं, तो वह भारत के लिए बाधाकारी नहीं है।

[हिन्दी]

विधि पाठ्यक्रम

514. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि पाठ्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किसी योजना की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हेतु एक उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारत के राष्ट्रीय विधि विद्यालय, विश्वविद्यालय के सहयोग से विधिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन को प्रभावी बनाने के संबंध में राज्य विधिज्ञ परिषदों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों आदि की एक परामर्शी बैठक, उनके विचारों को जानने के लिए 12-14 अक्तूबर, 1996 के दौरान बंगलौर में आयोजित की है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

कोयला खानों को बंद करना

515. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोल इंडिया लि. की सभी सहायक कंपनियों के अंतर्गत कौन-कौन सी तथा कितनी कोयला खानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) उन्हें किन-किन तिथियों को बंद किया गया तथा इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इनमें से किसी कोयला खान को फिर से चालू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन कोयला खानों को भविष्य में पुनः चालू किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकरण के बाद से कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) की विभिन्न सहायक कंपनियों की 125 कोयला खानों को समय-समय पर बंद किया गया है। बंद किए जाने के कारणों सहित कोयला खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चूंकि ये खानें चालू सीमों में खनन-योग्य भंडारों का समापन हो जाने तथा ओपनकास्ट खानों के मामले में अव्यवहार्य स्ट्रिपिंग अनुपात के कारण तथा सुरक्षा संबंधी कारणों से बंद की गई थी, अतः इन 125 बंद खानों में से अभी तक किसी भी खान को खोला नहीं जा सकता है।

(घ) इस प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) को.इ.लि. के पास इन बंद खानों में से किसी को भी पुनः खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से बंद पड़ी कोयला खानें

क्र. सं.	खान का नाम	बंद किए जाने की तारीख	बंद किए जाने के कारण
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.			
1.	संकतोड़िया	76-77	भण्डारों का परिसमापन
2.	ईस्ट जमेहारी	76-77	-तदैव-
3.	रतीबती 5 और 6	78-79	-तदैव-
4.	के.एल.एस.चलबलपुर	81-82	-तदैव-
5.	चलबलपुर खास	80-81	-तदैव-
6.	न्यू जमेहारी खास	79-80	-तदैव-
7.	पूरे सियरसोले	78-79	-तदैव-
8.	दमांदा	83-84	-तदैव-
9.	सीतलदासजी	79-80	-तदैव-
10.	बेलरूई दिसेरगढ़	75-76	-तदैव-
11.	नार्थ ब्राक	82-83	-तदैव-
12.	गोगला/ऐडज्वाय बैंक	79-80	-तदैव-
13.	मंडेरबोनी 1,2 और 4	75-76 और 92-93	-तदैव-
14.	देवली	73-74	-तदैव-
15.	बी.धेमो/रामजीबनपुर	73-74	-तदैव-
16.	बंकसीमुलई 7 और 8	74-75	-तदैव-
17.	ब्राईट्स राना	74-75	-तदैव-
18.	मधुसुदनपुर 1 और 2	78-79	-तदैव-
19.	सेंट्रल जमुराई	86-87	-तदैव-
20.	नाबाकजोरा/घनश्याम	84-85	-तदैव-
21.	जोते जानकी	78-79	-तदैव-
22.	रतीबती ओ.का.	81-82	-तदैव-
23.	पुरूषोत्तमपुर ओ.का.	88-89	-तदैव-
24.	निमचा ओ.का.	87-88	-तदैव-
25.	शिबपुर ओ.का.	83-84	-तदैव-
26.	महाबीर ओ.का.	79-80	-तदैव-
27.	न्यू/सेंट्रल सतग्राम	88-89	-तदैव-
28.	अलकुशा गोपालपुर ओ.का	84-85	-तदैव-
29.	बेनाली	88-89	-तदैव-
30.	केदा/दोबराना ओ.का.	77-88	-तदैव-
31.	दरूला	87-88	-तदैव-

1	2	3	4
32.	कृष्णानगर	89-90	सुरक्षा के कारण
33.	सीतलमुर	90-91	भू-खनन परिस्थिति
34.	शंकरपुर	78-79	अग्नि/सुरक्षा कारण
35.	गिरीमिंट	89-90	अग्नि/पिटों का जलप्लावन
36.	राणा	89-90	भंडारों का परिसमापन
37.	महाबीर	93-94	पिटों का जलप्लावन
38.	कंकड़ताला 1 और 2	88-89	अन्य इन्क्लाइनों के माध्यम से उत्खनन किया जा रहा है।
39.	तारा	92-93	पं. बंगाल सरकार को ग्रहीत विद्युत संयंत्र की पेशकश किए जाने से जलमग्न का खतरा .
40.	धंडाडीह ओ.का.	93-94	सुरक्षा पहलु ओपनकास्ट द्वारा उत्खनन के प्रस्तावित विकसित क्रियाकलापों की हरीशपुर गांव के जल-निकासी से आसपास के क्षेत्र में धंसाव हुआ।
41.	बरमौंदिया	93-94	भंडारों का परिसमापन
42.	दबोर ओ.का.	93-94	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन
43.	गंगाराम चक	93-94	-तदैव-
44.	पोईडीह ओ.का.	91-92	भंडारों का परिसमापन
45.	रानीपुर	93-94	-तदैव-
46.	दालूरबंद ओ.का.		-तदैव-
47.	पलासथली	93-94	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन
48.	चापापुर-1	87-88	भंडारों का परिसमापन
49.	बदजना/पुराई ओ.का.	91-92	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन
50.	कापासरा ओ.का.	92-93	-तदैव-
51.	लालमटिया भू.ग.	89-90	-तदैव-
52.	लालमटिया ओ.का.	85-86	-तदैव-
53.	शामपुर-ए	96-97	सुरक्षा के कारण
54.	डालमिया ओ.का.	95-96	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन
भारत कोकिंग कोल लि.			
55.	मुरलीडीह	90-91	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन
56.	बेरा ओ.का.	88-89	खान तकनीकी आर्थिक सीमा
57.	ऐना	96-97	तकनीकी-आर्थिक तथा सुरक्षा पहलु
58.	बसदेवपुर ओ.का.	89-90	खान तकनीकी-आर्थिक सीमा पर पहुंची
59.	लक्ष्मी ओ.का.	89-90	-तदैव-
60.	तसरा ओ.का.	86-87	पास की दामोदर नदी से जलमग्न होने तथा भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण खान बंद की गई
61.	झुनकुंदर ओ.का.	88-89	खनन योग्य भंडारों का परिसमापन

1	2	3	4
62.	विक्टोरिया	85-86	कार्यरत सीम में आग लगना
63.	कनकनी	96-97	खान तकनीकी आर्थिक सीमा पर पहुंची
64.	केन्दुआडीह	89-90	तकनीकी-आर्थिक सुरक्षा पहलु
65.	धर्माबंद	93-94	तकनीकी-आर्थिक पहलु
66.	साउथ तिसरा	95-96	-तदैव-
67.	कुजमा	95-96	आग और तकनीकी-आर्थिक पहलु
68.	गैसलीटांड	95-96	विभिन्न सीमों में आग लगने और अभूतपूर्व वर्षा के कारण सितम्बर, 95 में खान डूब गई।
69.	भूरूंगिया	95-96	तकनीकी-आर्थिक/सुरक्षा-कारण से
70.	तेतुरिया	95-96	तकनीकी-आर्थिक पहलु
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.			
71.	दामनारा ओ.का.	93-94	कम लदान के कारण
72.	बुरहर सं. 3	94-95	भंडारों को परिसमापन
73.	रूंगटा	94-95	कोयले के निम्न ग्रेड के कारण अव्यवहार्य
74.	नार्थ झकराखंड	93-94	भंडारों का परिसमापन
75.	खुरहर सं.1	94-95	-तदैव-
76.	पुरे चिरीमिरी	75-76	-तदैव-
77.	कोरबा 1 और 2	78	-तदैव-
78.	कारेबा 3 और 4	80	-तदैव-
79.	चचाई ओ.का.	82	-तदैव-
80.	बंकी 5 और 6	83	-तदैव-
81.	जारवाही ओ.का.	83-84	तकनीकी-आर्थिक पहलु
82.	न्यू झीमर	86	भंडारों का परिसमापन
83.	बंकी 7 और 8	89	-तदैव-
84.	एस.झकराखंड-पुरानी	89	-तदैव-
85.	रामनगर	91	-तदैव-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.			
86.	बरकुही भू.ग.	85-86	भंडारों का परिसमापन
87.	बरकुही वेस्ट भू.ग.	75-76	-वही-
88.	भामोरी झंताचापा	94-95	-वही-
89.	डाटला ईस्ट भू.ग.	84-85	-वही-
90.	डाटला वेस्ट	90-91	-वही-
91.	धाहो	73	-वही-
92.	शिबपुरी ओ.का.	92-93	-वही-

1	2	3	4
93.	घोरावारी हीरडागर	79-80	भंडारों का परिसमापन
94.	घोरवारी कलान	79-80	-वही-
95.	बल्लारपुर ओ.का.	88-89	बल्लारपुर ओ.का. विस्तार परियोजना के साथ सम्मिलित
96.	कलीचापुर	73	भंडारों का परिसमापन
97.	न्यूटोन चिकली	89-90	-वही-
98.	एन.चांदामेट्टा	91-92	-वही-
99.	नंनदोरा	74-75	-वही-
100.	स्लाल घोगरी	85-86	-वही-
101.	नकोदा ओ.का.	88-89	-वही-
102.	सस्ती पिट		-वही-
103.	बल्लालपुर 1 और 2	77-88	-वही-
104.	रोर्बटसन इन्क./बेलबोरा/इन्क./घुंघुस	95-96	-वही-
105.	कुम्दा ओ.का.	93-94	-वही-
106.	न्यू ममाजरी सं.1		-वही-
107.	धुपताला ओ.का	95-96	-वही-
108.	शिवपुरी-2 ओ.का.	92-93	-वही-
109.	तरोदा ओ.का.	92-93	-वही-
110.	सेथिया ओ.का.	92-93	-वही-
111.	बेललोरा ओ.का.	96-97	-वही-
112.	एन.धुपताला आर.आर.आर. ओ.का.	95-96	-वही-
113.	राखीकोले	95-96	-वही-
114.	चिकलमाऊ	86-87	-वही-
115.	उमरेर	85-86	उमरेर परियोजना के साथ समाहित
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.			
116.	सेमरा	96-97	समापन
117.	पकरी बेरवाडीह	74-75	ढांचे की कमी
118.	सुगई ओ.का.	95-96	भंडारों का परिसमापन
119.	पूरे धोरी	88-89	ओपनकास्ट में परिवर्तित
120.	माईल भू.ग.	80-81	राजरप्पा में समाहित
121.	चलकारी	83-84	समापन
122.	करकट्टा	89-90	ओपनकास्ट में परिवर्तित
123.	धोदीडीह	89-90	समापन
124.	गिडहानाई	76-77	अन्य खान के माध्यम से उत्खनन किया जाएगा।
125.	रऊटा	76-77	समापन

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में कर्मचारियों की कमी

516. **श्री विजय पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में हाल के कुछ वर्षों से कर्मचारियों की कमी चल रही है जिसके परिणामस्वरूप यह बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करने की अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो शाखावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन

517. **श्रीमती मीरा कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के आंकड़ों के संग्रह संबंधी कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को पूर्णतया वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना-कितना वित्तपोषण किया जाएगा तथा प्रस्तावित वित्तपोषण की शर्तें क्या-क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू बचत पर अध्ययन

518. **श्री संतोष मोहन दव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ ने भारत में घरेलू बचत के संबंध में हाल में किए आने अध्ययन में भारत में निम्न बचत अनुपात को बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए अन्य सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनका परीक्षण कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). मंत्रालय को "भारत में घरेलू बचतें" शीर्षक से एक अध्ययन प्राप्त हुआ है जो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार की गई टिप्पणी है। उक्त अध्ययन में बचतों को जुटाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। अन्य सुझावों के साथ-साथ इस प्रयोजनार्थ प्राप्त सुझावों में अनिवार्यतया अधिकतम प्राप्ति दर को सुनिश्चित करने, जोखिम को कम करने, प्रत्यक्ष करों को घटाने, सरकारी व्यय को युक्ति-संगत बनाने, राजकोषीय घाटे में कमी करने आदि का प्रयास किया गया है।

बचतों को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि बचत संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले पैरामीटरों में सुधार किया जाए। इनमें अर्थव्यवस्था की विकास-दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर-नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग-प्रणाली तथा पूंजी बाजार की कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल है। अब तक किए गए आर्थिक सुधार संबंधी विभिन्न उपायों का कुल बचतों पर अनुकूल असर होने की संभावना है। कुछ माह पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत 1996-97 के केन्द्रीय सरकार के बजट में ऐसे विभिन्न उपाय/नीतिगत परिवर्तन शामिल हैं जिनका बचतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। नीतिगत परिवर्तन करते समय, विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर उभरती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा एयर इंडिया की सेवा का उपयोग

519. **श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को नागर विमानन प्राधिकारियों से सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेश की यात्रा करते समय केवल एयर इंडिया के विमानों से ही यात्रा किया जाना आवश्यक बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। नागर विमानन मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी संगठनों/सरकारी उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति होने पर उनके लिए अनिवार्य रूप से एयर इंडिया द्वारा ही यात्रा करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए जाएं। मौजूदा अनुदेशों, अर्थात् प्रतिनियुक्ति पर विदेश में यात्रा करते हुए, जहां पर हवाई यात्रा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा हो, किसी भी व्यक्ति को

नेशनल कैरियर जोकि एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस हैं, की सेवाएं लेनी चाहिए, को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रस्ताव पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

520. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में कितने उद्यमियों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया गया है और उनमें से कितने उद्यमी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) ऐसे शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सिफारिश जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा की गयी थी परन्तु उन्हें अभी तक ऋण मंजूर नहीं किया जा सका है तथा इसके क्या कारण हैं और इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन ऋणों को प्रदान करने में विलम्ब न होने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1993-94, 1994-95, तथा 1995-96) देश भर में 5,29,458 उद्यमियो को ऋण स्वीकृत किए गए थे। इस अवधि के दौरान 3,460 उद्यमियों को गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में ऋण स्वीकृत किया गया था। इसमें से 220 अनुसूचित जाति के उद्यमी हैं तथा 784 अनुसूचित जन जाति के उद्यमी हैं।

(ख) राज्य उद्योग निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण स्वीकृत करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों तथा उद्योग निदेशक द्वारा बैंकों को 11,54,533 आवेदनों की संस्तुति की थी। बैंकों ने 5,29,458 उद्यमियों के संबंध में ऋण स्वीकृत किए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1995-96 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उद्यमियों के 52,866 आवेदनों की संस्तुति की गई। इनमें से 26,652 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उद्यमियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था। रद्द करने के कारण जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवश्यकता से अधिक प्रायोजकता, परियोजना का व्यवहार्य न होना, बैंक की औपचारिकताओं को पूरा न किया जाना, आवेदक का दोषी पाया जाना आदि हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के जिला स्तरीय समन्वयकर्ताओं को ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही बैंक शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने में किए जा रहे विलंब के कारणों का पता लगाने का निदेश दिया है।

[अनुवाद]

नेपाल के साथ व्यापार संतुलन

521. **श्री तारीक अनवर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल के बीच व्यापार में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व्यापार संधि के अन्तर्गत भारत और नेपाल को सरकारों ने द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मामलों की सार्वधिक समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था की है। ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार हो सके।

आर्थिक विकास

522. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री विजय पटेल :
श्री आर. साम्बसिवा राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 की प्रथम छमाही के दौरान आर्थिक विकास में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक विकास अर्थात् औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन और निर्यात की तुलनात्मक दरें क्या हैं;

(ग) आर्थिक विकास में कमी के क्या कारण हैं और उदारीकरण की प्रक्रिया पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि के रूप में मापित समग्र आर्थिक वृद्धि में 1995-96 में सुधार हुआ तथा यह 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गई तथा 1996-97 में 6.6 प्रतिशत की समान उच्च वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार आर्थिक

वृद्धि की तुलनात्मक दरों के विवरण निम्नानुसार है :-

प्रतिशत में क्षेत्रों (1980-81 की कीमतों पर) द्वारा उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में वृद्धि

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	कृषि	3.3	4.9 त्व.अ.	0.9 सं.	2.3 पू.
2.	उद्योग	4.2	8.3 त्व.अ.	11.1 सं.	8.5 पू.
3.	सेवाएं	6.8	6.0 त्व.अ.	7.3 सं.	8.1 पू.
4.	स.घ.उ.	5.0	6.3 त्व.अ.	6.6 सं.	6.6 पू.
	रुपए के मूल्य में निर्यातों में वृद्धि				
5.	निर्यात	30.0	18.5	28.8	2.9@
	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वृद्धि (आधार 1980-81=100)				
6.	सामन्य सूचकांक	6.0	9.4	11.8	9.3*

टिप्पणी : 1. कृषि, वानिकी तथा मछली पकड़ना शामिल है।

2. खनन, विनिर्माण, बिजनी तथा निर्माण शामिल है।

त्व.अ. = त्वरित अनुमान, सं. =संशोधितअग्रिम अनुमान, पू. = पूर्वानुमान

@ अप्रैल-सितम्बर, 1996 से संबंधित तथा

* अप्रैल-जुलाई 1996 से संबंधित।

स्रोत : 1,2,3 तथा 4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों पर आधारित हैं, 5 महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना आंकड़ों पर आधारित है।

विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों, जिनमें पिछले कुछ वर्षो में व्यापार, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और कर-प्रणाली को शामिल किया गया है, से सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगार में विस्तार तथा मुद्रास्फ़ीति में उल्लेखनीय गिरावट का पुनः आरम्भ हुआ है।

रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता

523. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुपए को पूर्णतः परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). रुपए को भुगतान संतुलन के चालू खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। पूंजीगत खाते की कुछ संघटक मदों जैसे प्रत्यक्ष व पोर्टफोलियों निवेशों को भी प्रत्यावर्तनीय प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। तथापि, विश्वसनीय तथा सुसंगत वृहत नीतियों द्वारा समर्थित एक स्थिर वृहत-आर्थिक प्रणाली, राजकोषीय घाटों में कमी, मुद्रास्फीति में कमी, एक प्रभावशाली वित्तीय व्यवस्था तथा निरन्तर गतिशील निर्यात निष्पादन पूंजीगत खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर आगे बढ़ने के लिए कुछ अत्यावश्यक पूर्ण शर्तें हैं।

सी.आई.एल. को विश्व बैंक सहायता

524. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने विश्व बैंक की सहायता से कोयला खानों से उत्पन्न प्रदूषण को समाप्त करने, खनन गतिविधियों से विस्थापित लोगों का पुनर्वास करने तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई चयनित खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कोयला खान परियोजनाओं द्वारा परियोजनावार मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अनुरोध करते समय कोल इंडिया

ने कोयला खनन के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को न्यूनीकृत करने के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने पर सहमति व्यक्त की थी। यह परियोजना जोकि "पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना" (ई.एस.एम.पी.) के नाम से जानी जाती है उक्त परियोजना को कोल इंडिया लि. की क्षमता को सुदृढ़ीकृत करने के लिए तथा पर्यावरण का न्यूनीकरण किए जाने हेतु त्वरितता से कार्रवाई करने और सी.एस.आर.पी. हेतु आरंभिक रूप में विनिर्दिष्ट 25 खानों में सामाजिक प्रभावकारिता हेतु अभिकल्पित किया गया है।

विश्व बैंक द्वारा 43.3 मिलियन एस.डी.आर. (63 मिलियन अमेरिकी डालर) का एक आई.डी.ए. ऋण कोल इंडिया लि. की "कोयला क्षेत्र पर्यावरण तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना" के लिए अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना में, अन्य बातों के अलावा, पर्यावरण कार्रवाई योजनाओं, पुनर्वास कार्रवाई योजनाओं आदि को कोल इंडिया लि. की 25 विनिर्दिष्ट कोयला परियोजनाओं के स्थल पर चलाए जाने का कार्यक्रम है। ई.एस.एम.पी. तथा आई. डी.ए. ऋण के अंतर्गत इन परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

परियोजना का नाम	आई.डी.ए. ऋण अमेरिकी डालर मिलियन डालर
1	2
से.को.लि.	
1. के.डी. हेसलांग ओ.का.प.	1.70
2. पारेज ईस्ट ओ.का.प.	1.49
3. राजरप्पा ओ.का.प.	1.20
वे.को.लि.	
4. दुर्गापुर ओ.का.प.	0.74
5. नीलजय ओ.का.प.	0.84
6. पदमपुर ओ.का.प.	0.74
7. सस्ती ओ.का.प.	0.84
8. उमरेर ओ.का.प.	0.75
सा.ई.को.लि.	
9. बिसरामपुर ओ.का.प.	2.80
10. धनपुरी ओ.का.प.	1.30
11. दीपीका ओ.का.प.	2.85
12. कुसमुंदा ओ.का.प.	1.70
13. मनिकपुर ओ.का.प.	0.90
14. गेवरा ओ.का.प.	0.80
1	2
ना.को.लि.	
15. निगाही ओ.का.प.	2.50
16. दुधीचुआ ओ.का.प.	2.73
17. बीना ओ.का.प.	1.90
18. जयंत ओ.का.प.	3.00
19. झिंगुर्दा ओ.का.प.	1.70
म.को.लि.	
20. लखनपुर ओ.का.प.	1.70
21. समलेश्वरी ओ.का.प.	1.70
22. अनंता ओ.का.प.	0.90
23. भरतपुर ओ.का.प.	1.50
24. बेलपहाड़ ओ.का.प.	1.75
25. जगन्नाथ ओ.का.प.	1.40
कारपोरेट	23.57
जोड़	63.00

अखबारी कागज के आयात पर शुल्क

525. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज के आयात पर शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह आयात शुल्क बजट पश्चात् किए गए उपायों के अनुरूप लगाया गया है;

(ग) शुल्क लगाने के क्या कारण हैं और समाचारपत्र उद्योग विशेषकर मध्यम, प्रादेशिक और छोटे समाचार पत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या समाचार पत्र उद्योग ने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। 29 अक्तूबर, 1996 से सरकार ने अखबारी कागज पर मुल्यानुसार 10 प्रतिशत के हिसाब से आयात शुल्क लगाया है।

(ग) वर्ष 1995 से, आयातित अखबारी कागज के मूल्य में काफी कमी हुई है। अखबारी कागज का मूल्य जो मई 1996 में एक हजार अमरीकी डालर प्रति टन के आसपास था, सितम्बर-अक्तूबर, 1996 में 450-500 अमरीकी डालर प्रति टन के आसपास हो गया। स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादन की लागत की तुलना में आयातित अखबारी कागज की आगम लागत काफी कम है जिसके कारण स्वदेशी इकाइयां अक्षम हो गई हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयातित अखबारी कागज पर दस प्रतिशत के हिसाब से मामूली सा आयात शुल्क लगाया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयातित अखबारी कागज का मूल्य लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो गया है, उस पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने से मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों, देशी भाषाओं के एवं छोटे समाचारपत्रों को अनावश्यक कठिनाई होने की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ). समाचार-पत्र उद्योग ने सीमा शुल्क के उपर्युक्त उद्ग्रहण के खिलाफ प्रतिवेदन किया है। सरकार अखबारी कागज के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर बारीकी से निगरानी रख रही है और जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होगी; और तब सरकार मौजूदा शुल्क लेवी का समीक्षा करेगी।

गजलीटांड दुर्घटना

526. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27.9.1995 को बी.सी.सी.एल. खान में हुई गजलीटांड दुर्घटना के कारणों की जांच करने हेतु किसी जांच न्यायालय का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). दिनांक 26/27.9.1995 को गेसलीटांड तथा भारत कोकिंग कोल लि. की अन्य खानों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित कारणों तथा परिस्थितियों की जांच किए जाने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एस.के.मुखर्जी की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का गठन किया गया था। न्यायिक जांच द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तत की जानी है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र

527. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र मजबूत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तंत्र के अधिकारियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र का सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी उपक्रमों में कार्यपालक निर्देशक (सतर्कता)/भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक के तुल्य दर्जा दिए जाने के अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में उन्हें उन सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग की शक्ति प्रदान की है, जो सतर्कता तंत्र के सक्षम कार्यकरण के लिए अनिवार्य हैं, बशर्ते कि वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सतर्कता एकक को आबंटित बजट के भीतर तथा वित्तीय अनुशासनों और अन्य कार्यकारी निदेशकों के उत्तरदायित्व के अनुरूप हों। वे ऐसी आवास सुविधाओं के भी हकदार होंगे, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य कार्यकारी निदेशकों को प्राप्त हैं।

कोयला भंडार

528. **श्री अन्ना साहिब एम.के.पाटिल :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा स्वीकृत कोयले के भंडार के आंकलन की प्रणाली दोषपूर्ण और भ्रामक है क्योंकि विभिन्न समितियों ने इस प्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात आई है कि कोल इंडिया लि. की अनुषंगी इकाइयों द्वारा भंडार के आकलन बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए थे तथा उनमें गड़बड़ी की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने भंडार की स्थिति में गड़बड़ी करने वालों की अनुषंगीवार क्या जिम्मेदारी निर्धारित की; और

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि., ईस्टर्न और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में भंडार के ठीक आंकलन के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा स्टाक का अनुमान लगाए जाने संबंधी अपनाई गई पद्धति दोषपूर्ण नहीं है। किन्तु प्रत्येक पद्धति में जैसाकि कुछ समितियों द्वारा सुझाव दिया गया है; और सुधार किए जाने के संबंध में सदैव कुछ गुंजाइश रहती है।

(ख) कुछ मुख्य रूप से पद्धति में सुधार किए जाने के बारे में सुझाव निम्न है- प्रत्येक कोलियरी तथा एजेंट के प्रबंधक के क्रियाकलापों को अलग किया जाना, वार्षिक मापन के संबंध में अतिरिक्त परीक्षण उपाय, अधिकतम एक महीने के उत्पादन के मामले में प्रत्येक कोलियरी में स्टाक को प्रतिबंधित किया जाना, कोलियरी क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करना, सड़क वे-ब्रिजों की स्थापना किया जाना।

(ग) और (घ). यह बात प्राधिकारियों के नोटिस में आई है कि कुछ सहायक कंपनियों की कुछ कोलियरियों में उत्पादन को अधिक मात्रा में सूचित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जोकि स्टाक को अधिक मात्रा में सूचित किए जाने के लिए जिम्मेदार है और इसके परिणामस्वरूप स्टाक में कमी हुई है। 56 मामलों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में, 51 में भारत कोकिंग कोल लि. में, 49 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में और 8 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में कार्रवाई शुरू की गई है।

(ङ) इस पद्धति में सुधार किए जाने हेतु किए गए उपायों को इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में इंगित किया गया है।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार

529. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को आम निवेशकों से उन कंपनियों द्वारा उनकी खून-पसीने से कमाए गए धन का दुर्विनियोजन करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने उपने प्रस्ताव प्रलेखों में अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में झूठी जानकारी देकर सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन एकत्र किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आम निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सेबी को निर्गमकर्ता कंपनियों के प्रस्ताव प्रलेख में भावी संभावनाओं के बारे में भ्रामक जानकारी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग). सेबी के दिशानिर्देशों में विशिष्ट मानदंडों को छोड़कर कंपनियों द्वारा भावी निर्गमों (प्रोजक्संस) का निषेध है। निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी ने पूंजी बाजार में उतरने वाली कंपनियों के लिए प्रवेश मानदंड कठोर बना दिए हैं ताकि केवल गुणवत्ता वाले निर्गम ही बाजार में प्रवेश कर सकें। मालेगम समिति की सिफारिशों पर सेबी ने निर्गमकर्त्ताओं के वित्तीय लेखों को और युक्तियुक्त तरीके से प्रकट करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भ्रामक विवरण या वस्तुपरक सूचना छुपाने के मामलों में सेबी पावती पत्र के प्रत्याहरण, निवेशकों को निर्गम से निकासी का विकल्प प्रदान करने या निर्गमकर्ता कंपनियों को अभिदान राशि की वापसी का निर्देश देने जैसी कार्रवाई शुरू करता है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

530. **श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग वित्तीय संकट का सामना कर रह है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.सी. द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

531. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.टी.सी.लि., कलकत्ता द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन जिसमें लाखों डालर की राशि अंतर्ग्रस्त थी संबंधी मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इस समूचे प्रकरण से कंपनी के संचालन में सरकारी वित्तीय संस्था की भूमिका का भंडाफोड़ हुआ है;

(ग) यदि हां, तो आई.टी.सी.लि. के बोर्ड में इन वित्तीय संस्थाओं के सेवानिवृत और सेवारत निर्देशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच का एक संयुक्त दल विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन में आई.टी.सी. ग्लोबल की भूमिका और धन बाहर भेजने संबंधी मामले की जांच करने के लिए सिंगापुर गया था; और

(ङ) इस दल के क्या निष्कर्ष हैं और यह मामला इस समय किस स्थिति में हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड कलकत्ता के विरुद्ध जांच की जा रही है। विधि द्वारा मान्य कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा बुनकरों के लिए योजनाएं

532. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही योजनाओं में हथकरघा बुनकरों को शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और 1996-97 के लिए राज्य-वार विशेषरूप से उड़ीसा के लिए प्रत्येक योजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). मई 1993 में भारत सरकार ने वर्तमान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत करघाहीन बुनकरों को करघों का प्रावधान करने, आवासहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों को मकान देने, बुनकरों की कार्यकौशलता उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण देने और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रमों की घोषणा की थी।

(ग) इसके लिए अलग से राशि का आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसी आशा है कि प्रस्तावित सहायता डीआरडीए स्तर पर ही कार्यक्रमों के वर्तमान आबंटन में से दी जाएगी।

जूता घोटाला में बैंकों की सांठगांठ के संबंध में जांच

533. **श्री राम सागर :**

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1996 के "दि इकानामिक्स टाइम्स" में "पोलिस प्रोब रिवीलस बैंक्स कोल्युडेड विद फगर्स इन शू स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या इन गड़बड़ियों की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जो, हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात वृद्धि

534. **श्री शिव राज सिंह चौहान :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे निर्यात व्यापार पर नयी आयात-निर्यात नीति का क्या प्रभाव पड़ा है तथा अप्रैल, 1996 से आज की तारीख तक व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों से कितने मूल्य का निर्यात हुआ है;

(ख) क्या समान मुद्रा वाले देशों के साथ निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) निर्यात-आयात नीति का प्रभाव, जैसा कि निर्यातों के स्तरों से परिलक्षित होता है, अनुकूल प्रतीत होता है। अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान भारतीय निर्यातों (डी.जी.सी.आई. एंड एस उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) का मूल्य 16.14 बिलि. अमरीकी डालर है जो अप्रैल-सितंबर, 1995 के दौरान हुए 14.68 बिलि. डालर के निर्यात की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) और (ग). विश्व में सभी प्रमुख क्षेत्रों को भारत के निर्यातों में पूर्वी यूरोप को छोड़कर, वृद्धि हुई हैं। डी.जी.सी.आई एंड एस से प्राप्त व्यापार आंकड़े भारतीय रूपए के रूप में दर्शाए गए हैं। तुलना संबंधी प्रयोजन के लिए डालर के रूप में वर्णित अप्रैल-अगस्त, 1996 के दौरान प्रमुख क्षेत्रों को भारत के निर्यात (वह नवीनतम अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध है। नीचे दिए गए है :

मूल्य मिलि. अमरीकी डालर में

क्षेत्र	1995-96 अप्रैल-अगस्त	1996-97 अप्रैल-अगस्त
पश्चिमी यूरोप	3677	3763
एशिया तथा ओशनिया	4753	5358
अमरीका	2524	2999
अफ्रीका	592	672
पूर्वी यूरोप	832	487

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार, उद्योग तथा अन्य संबंध संस्थाओं के परामर्श से निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

हजारीबाग बैंकों में धोखाधड़ी

535. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बंगलिंग्स डीटेक्टेड इन हजारीबाग बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या इस प्रकार के और मामलों का पता लगाने हेतु देश में वाणिज्यिक बैंकों का सर्वेक्षण किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. को कोयले की आपूर्ति

536. श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने बढ़ती जा रही बकाया राशि और परिणामस्वरूप नकदी की कमी के कारण उधार प्रणाली के अंतर्गत स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. को कोयले की आपूर्ति रोक देने का निर्णय लिया है और नकद खरीद प्रणाली शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात के प्रमुख एककों के विरुद्ध एकक-वार भुगतान के लिए कितनी राशि बकाया है;

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) से स्टील अथारिटी आफ इंडिया ("सेल")की इकाईयों को 15.10.1996 से कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु "कैश एंड कैरी" पद्धति शुरू की गई है। किन्तु को.इं.लि. की अन्य सहायक कंपनियां इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति पूर्व पद्धति के अंतर्गत जारी रखे हुए है।

(ख) 30.9.1996 की स्थिति के अनुसार इकाई-वार मुख्य इस्पात संयंत्रों की ओर कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

इस्पात संयंत्र	कुल देय बकाया राशि	इस्पात संयंत्रों द्वारा विवादित देय बकाया राशि
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	102.15	101.51
राऊरकेला इस्पात संयंत्र	77.33	71.53
भिलाई इस्पात संयंत्र	151.20	135.29
बोकारो इस्पात संयंत्र	46.18	57.42
'इस्को"	43.00	39.09
जोड़	419.86	404.84

(ग) इस्पात संयंत्र कई मामलों में कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों द्वारा भेजे गए बिलों से एक पक्षीय रूप में कई कारणों के आधार पर कटौती कर रहे हैं। कोयला कंपनियों के अनुसार ऐसे सभी विवादों को लदान स्थल पर अवश्य निपटा लिया जाना चाहिए जहां कि कोयले के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है।

(घ) को.इं.लि./सभी आपूर्ति कंपनियों तथा "सेल" के बीच वसूली सुधार तथा विवादों के निपटारे हेतु नियमित तथा समय-समय पर द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्य विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप में निपटाने के लिए स्वीकार्य दिशा-निर्देशों को तैयार किए जाने हेतु कारपोरेट स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं। इनका प्रत्येक संयंत्र के आधार पर नियमित रूप से अनुसरण किया जाता है।

पूर्व बैठकों में सर्वसम्मति से हुए निर्णयों पर "सेल" द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा इसके द्वारा कोयला बिलों से एक पक्षीय रूप में निरंतर कटौतियां की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप "सेल" की इकाईयों को भा.को.को.लि. से कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए "केश एंड केरी" पद्धति को 15.10.1996 की शुरूआत की प्रभावी किया गया था।

(ङ) इसके अलावा, कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति में तथा सेवाओं में सुधार किए जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

(1) वाशरी स्थल पर नमूना तथा विश्लेषण पद्धति का अद्यतन तथा आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

(2) सभी वाशरियों को उपयुक्त रूप में आधुनिक भार पद्धति मुहैया करवाई जा रही हैं, जिससे कोयले के भार संबंधी विवाद कम हो जाएंगे।

(3) इस्पात संयंत्र को धुले कायेले की गुणवत्ता के प्रेषण और सुधार किए जाने के लिए विद्यमान वाशरियों को आधुनिकीकृत किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

(4) धुले कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु 2 नई वाशरियां स्थापित की जा रही हैं।

(5) इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विवादों को निपटाने हेतु इस्पात संयंत्रों तथा कोयले की आपूर्ति करने वाली कोयला कपंनियों के बीच नियमित रूप में बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा जहां आवश्यक होता है उन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध को समाप्त करना

537. **श्री मोहन रावले :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर अमरीका तथा अन्य देश द्वारा सभी आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंध समाप्त किए जाने के संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करने के संबंध में दबाव है;

(ख) क्या इस प्रतिबंध को समाप्त करने से भारत द्वारा आयात पर नियंत्रण रखने की शक्ति समाप्त हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद 11 में अपेक्षित है कि विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा शुल्क, कर तथा अन्य प्रभारों को छोड़ कर कोई भी निषेध अथवा प्रतिबन्ध, चाहे वे कोटा के जरिए, आयात या निर्यात लाइसेंस के जरिए या अन्य उपायों के जरिए लागू किए गए हों, नहीं लगाए जाएंगे और न ही अन्य उपाय किए जाएंगे। तथापि, भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति को देखते हुए अनुच्छेद XII के अंतर्गत 1948 से तथा अनुच्छेद XVIII के अंतर्गत 1950 से आयात प्रतिबंध लगाए हुए हैं।

दिसंबर, 1995 में भारत के साथ हुए पिछले विचार-विमर्शों के दौरान भुगतान संतुलन प्रतिबंधों संबंधी विश्व व्यापार संगठन समिति के अनेक सदस्यों ने कहा कि भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक है और भारत के सामने अनुच्छेद XXIII में निर्धारित विदेशी मुद्रा भण्डारों में किसी गम्भीर कमी का फिलहाल कोई संकट नहीं है और इसलिए भारत द्वारा भुगतान संतुलन की वजह से प्रतिबंध लगाने का निरंतर सहारा लेने को तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। कई सदस्यों ने भारत से चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक ठोस समय-सारणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

भारत के साथ सम्पूर्ण विचार-विमर्श जनवरी 1997 में होगा। भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों में यह विहित है कि किसी भी देश को स्थिति में सुधार के साथ-साथ प्रतिबंधों में शिथिलता लानी होगी और परिस्थितियों के तर्कसंगत नहीं रहने पर इन उपायों को समाप्त करना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक सदस्य देश को चाहिए कि वह भगतान संतुलन के प्रयोजन से किए गए आयात संबंधी प्रतिबंधात्मक उपायों को समाप्त करने की समय सूची की यथाशीघ्र सार्वजनिक घोषणा करें। यदि सार्वजनिक घोषणा करना सम्भव न हो तो सदस्य देश द्वारा ऐसा न करने के कारणों का औचित्य बताना होगा। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भुगतान संतुलन प्रतिबंधों संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति के सदस्य देश भारत से यह अनुरोध कर सकते हैं कि वह जनवरी, 1997 में होने वाले विचार-विमर्श में आयात प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए एक समय-सूची की घोषणा करे।

[हिन्दी]

जिला उद्योग केन्द्रों को राजसहायता

538. **श्री ललित उरांव :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए जिला उद्योग केन्द्र चलाने हेतु राज्य-वार कितनी राजसहायता निधि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को यह आबंटन बढ़ाने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों/राज्य सरकारों के प्रमुखों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुरूप वर्ष 1993-94 में जिला उद्योग केंद्र योजना राज्यों को हस्तांतरित कर दी गयी थी, जिससे पहले यह एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना थी। योजना केग हस्तांरतण से पूर्व अपनायी जाने वाली पद्धति के अनुसार ही आठवीं योजना के लिए निधियां 1991-92 के स्तर के हिसाब से हस्तांतरित की जानी थी। 1993-94 से निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही हैं। जिला उद्योग केंद्रों सहित सभी हस्तांतरित केंद्र प्रायाजित योजनाओं हेतु 1996-97 के दौरान राज्यों के लिए 225 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजनावार अलग से प्रावधान नहीं किये जाते। इन योजनाओं पर किये गये व्यय के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी रिपोर्टों के आधार पर ही राशियां जारी की जाती हैं। 1996-97 के दौरान अभी तक, कोई निधि जारी नहीं की गयी है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिला उद्योग केंद्र आदि जैसी योजना-विशिष्ट निधियां भी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग). जिला उद्योग केंद्र योजना के तहत आबंटन बढ़ाने हेतु जिला उद्योग केंद्रों के प्रमुखों/राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट अभ्यावदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

निर्यात प्रतिबद्धता

539. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अब तक कोई निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इकाई-वार तथा स्थितिवार तथा निर्यात प्रतिबद्धताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है तथा निर्यात से उनकी आय क्या है;

(घ) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहे तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन निर्यातोन्मुखी इकाइयों के प्रदर्शन पर नजर रखने तथा उन्हें अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र का निजीकरण

540. **श्री तारीक अनवर :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोयला क्षेत्र के निजीकरण के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). एकीकृत कोयला नीति पर एक समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था, जोकि दिनांक 27 जुलाई, 1995 को श्री के.एस.आर.चारी, भूतपूर्व सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में किया गया था, जोकि सरकार द्वारा 9वीं तथा 10वीं योजना अवधि के दौरान अंगीकृत किए जाने हेतु एकीकृत कोयला नीति से संबंधित मामलों पर विचार किए जाने हेतु गठित की गई थी। चारी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दिनांक 13.5.96 को प्रस्तुत कर दी थी। चारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि सभी नए कोयले के ब्लाकों को, जिसमें भूमिगत खानों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.5 मि.ट. की तथा ओपनकास्ट खानों के लिए 2.0 मि.ट. की हो, उनकी प्रतियोगात्मक निविदाओं के आधार पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को पेशकश की जाए। चारी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस तरह से चयन किए गए निविदाकर्ताओं अथवा कोयला खानों का विकास करने वालों को प्रशासकीय कीमतों के मामले में बिना किसी संदर्भ के उपभोक्ताओं से किसी तरह की कीमतों को प्रभारित करने की स्वतंत्रता दी जाए। विद्यमान कानूनी ढांचे के अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनियों को विद्युत के उत्पादन, लौह तथा इस्पात और सीमेंट के उत्पादन के मामले में ग्रहीत उपभोग किए जाने हेतु आबंटित किए गए कोयले के ब्लाकों को खुले बाजार में कोयले की बिक्री किए जाने की अनुमति नहीं है।

यह निर्णय लिया गया है कि चारी समिति की उपरोक्त सिफारिशों पर कानूनी संबंधी प्रभावकारिता की समीक्षा की जाए, जोकि खान मंत्रालय और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके की जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश योजना

541. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के बजट घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार कितनी-राशि प्राप्त की जाएगी; और

(ग) उसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में विनिवेश के पहले दो दौरों के लिए विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) को चुना गया है। तीसरा दौर विनिवेश आयोग से सूचना प्राप्त होने के बाद शुरू किए जाने की संभावना है।

(ख) विनिवेश से वसूली की सीमा भारत और विदेश दोनों में बाजार अनुक्रिया पर निर्भर करेगी।

(ग)(1) **अंतर्राष्ट्रीय और देशीय खंडों के लिए विदेश संचार निगम लि. और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के मामलों का प्रबन्ध करने हेतु सार्वभौमिक समन्वयकों तथा अग्रणी प्रंबधकों के रूप में मर्चेंट बैंकरों का चयन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।**

(2) बिक्री और रूपात्मकता संबंधी सलाह के लिए विनिवेश आयोग के पास 40 कंपनियों के नाम भेजे गए हैं।

सी.आई.एल. में आयातित मशीनरी

542. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. तथा इसके सहायक एककों द्वारा आयातित बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हैं अथवा उनका कम उपयोग किया जा रहा है/निर्धारित क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मशीनों/उनके आयातित पुर्जों का सहायक एकक-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके उपयोग की स्थिति क्या है;

(ग) उन बड़ी मशीनों का जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है अथवा उनका उपयोग कम किया जा रहा है, का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मशीनों की संस्थापित क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

रूस के आयातकों द्वारा दुरूपयोग के कारण दुर्लभ मुद्रा की हानि

543. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1996 के "स्टेट्समैन" में "इंडिया लूजिंग 400 मिलियन डालर टू रशिया अंडर डैट रिपेमेन्ट स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस के आयातकों द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ को बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए योजना के कथित दुरूपयोग के कारण सरकार को प्रतिवर्ष दुर्लभ मुद्रा के रूप में अनेकों मिलियन डालर की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1993 में भारत और रूस के बीच हुए अंतः सरकारी प्रबन्धों के तहत, भारत द्वारा रूस से लिए गए रुपया ऋण का इस्तेमाल पूर्ण रूप से भारत से रूस को सामानों तथा सेवाओं के निर्यात के लिए किया जाना है। झूठे अवतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके निर्यात के परेषितमाल तीसरे देश के गन्तव्य स्थानों को ले जाने, कारगो को खुले सागर में ले जाने आदि जैसे कुछ आरोप प्रकाश में आए हैं। इससे 1993 में भारत और रूस के बीच स्वीकृत हुए अंतर-सरकारी प्रबन्धों तथा संबंधित सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं का उल्लंघन होगा तथा यह दुर्लभ मुद्रा बाजारों में हमारे निर्यातों पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

(घ) सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रति गंभीर रूख अपनाती है तथा वह ऋण वापसी-अदायगी माध्यम के तहत रूस के लिए अभिप्रेत निर्यात संबंधी परेषितमाल को किसी तीसरे देश में गैर-कानूनी रूप से ले जाने पर नियंत्रण लगाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता के अतिरिक्त इस प्रकार के व्यपवर्तन को निम्नलिखित विचाराधीन अतिरिक्त उपायों के जरिए रोके जाने का प्रस्ताव है :—

(1) रूस में सीमा-शुल्क बद्ध भांडागारों के माध्यम से परेषितमाल की बिक्री के जरिए निर्यात।

(2) दोनों देशों के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात परेषितमाल की अधिक अच्छी मानीटरिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए रूसी सरकार के साथ द्विपक्षीय सीमा-शुल्क सहयोग करार का निष्पादन।

(3) निर्यात परेषितमाल के लिए अवतरण के संतोषजनक सबूत उपलब्ध कराने के लिए रूसी पक्ष से आग्रह।

व्यय प्रबन्धन और सुधार आयोग

544. श्री के.पी. सिंह देव :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गैर-योजनागत व्यय में पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक व्यय प्रबन्धन और सुधार आयोग का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ङ) क्या आयोग ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार के 1993-94 से आगे का आयोजना-भिन्न व्यय और उसके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96
			संशोधित अनुमान
कुल आयोजना-भिन्न व्यय	**98191**	**13361**	**134320**
जिसमें से			
ब्याज भुगतान	36741	44060	52000
रक्षा	21845	23245	26879
आर्थिक सहायता	12864	12982	13726
पुलिस और आंतरिक सुरक्षा	2682	2665	3143
पेंशन	3005	3643	4295
कर संग्रहण	818	920	1096
निवल लघु बचत संग्रहणों के एवज में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण	5000	9649	10112
राज्यों को दिए गए ऋणों का बट्टे खाते डालना	-	-	1010
एफ.सी.अवार्ड के अन्तर्गत राज्यों को आयोजना-भिन्न अन्तरण	1817	1701	5266
बोनस शेयरों का निर्गम	-	529	1035
मतदाता पहचान पत्रों का जारी करना	-	225	225
अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	13419	13742	15533

(ग) से (च). जेसा कि बजट भाषण में पहले ही घोषित किया गया है, व्यय को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए व्यय प्रबन्धन और सुधार आयोग गठित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कोयला खानों की सुरक्षा

545. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी एकक के अंतर्गत कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक कोयला खान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोल इंडिया लि. के अनुषंगी एककों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) खानों से रेल द्वारा कोयले की दुलाई के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनुषंगी एककों में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) निरोधातम्क उपायों को कोयला खान विनियमन, 1957 में तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशानिर्देशों में विस्तृत रूप में दिया गया है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का तथा विभिन्न न्यायिक जांचों की सिफारिशें, सुरक्षा सम्मेलन आदि में की गई सिफारिशों को खान-प्रबंधन द्वारा अंगीकृत किया जाता है। रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग तथा रूफ सपोर्ट की स्टील सपोर्ट पद्धति की शुरूआत किए जाने और जलमग्न को रोकने हेतु एहतियात के रूप में विस्तृत जल प्रबंधन योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इन उपायों के बेहतर अनुपालन हेतु सरकार आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा के माध्यम से कोयला कंपनियों द्वारा स्व-विनियमन को निम्नलिखित प्रोत्साहित कर रही है- सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, विभिन्न स्थलों पर त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समीक्षा किया जाना, कामगारों को प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण दिया जाना, सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियान और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों को दिया जाना।

(ख) कोयला खनन में सुरक्षा के पहलू की महत्ता निहित है अतः सुरक्षा के कुछ पहलुओं पर किए गए व्यय को उत्पादन पर किए गए व्यय से बिल्कुल पृथक नहीं किया जा सकता है। किन्तु कोल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पूंजी तथा राजस्व दानों के अंतर्गत सुरक्षा उन्मुख बड़ी मदों पर खर्च की गई राशि को नीचे दर्शाया गया है:-

(आकड़े लाख रु. में)

वर्ष	पूंजी	राजस्व
1992-93	18,23	263,97
1993-94	21,47	282,82
1994-95	25,87	323,52

(ग) और (घ). कोयले के उत्खनन किए जाने से भूमिगत खानों में पड़े गढ्ढों को कुछ मामलों में रेत की भराई से भरा जाता है। भराई के प्रयोजन से को.इं.लि. की किसी खान के लिए रेल द्वारा रेत भराई संबंधी सामग्री को नहीं लाया जाता है। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान को.इं.लि. के खानों में रेत भराई पर खर्च की गई राशि को

नीचे दर्शायी गई हैं:-

	(लाख रु. में)
1994-95	107,25
1994-95	117,66
1995-96	123,86

[अनुवाद]

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

546. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान तथा 1996 में अब तक इन बैंकों के मुख्य लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या इन बैंकों में से कुछ बैंक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उड़ीसा राज्य में नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जिनके मुख्यालय पीपली, बोलनगीर, कटक, जेपोर, बारीपाड़ा, भवानीपटना, बालासोर, बेरहामपुर और धेनकनाल में स्थित हैं।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य उद्देश्य ये हैं :- बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता तक विशेष रूप से अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों में ले जाना, समाज के कमजारे वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचतें जुटाना और उनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए करना, पुनर्वित्त के माध्यम से केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिए पूरक माध्यम सृजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की लागत को कम करना।

31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 604.88 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की जमाराशियां जुटाई हैं और उनके बकाया ऋण और अग्रिम 390.8 करोड़ रुपए (अनन्तिम) थे। जहां 1994-95 और 1995-96 के दौरान जमाराशियों में क्रमशः 26.7 प्रतिशत एवं 28.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों में 19.2 प्रतिशत तथा 22.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संसाधनों की कमी का कोई भी मामला नाबार्ड की जानकारी में नहीं लाया गया है। तथापि, उड़ीसा में व्यापक पुनर्गठन हेतु चुने गए पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा अतिरिक्त इक्विटी प्रदान की गई है ताकि वे अपने तुलन-पत्र को परिमार्जित कर सकें।

[हिन्दी]

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए विश्व बैंक ऋण

547. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान विशेषरूप से गुजरात के जनजाति तथा ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित परियोजना के लिए कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक द्वारा प्राप्त पैसे से कितनी राशि का परियोजनावार आबंटन किए जाने की सूचना है; और

(ग) इन परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीपरवार खुले मुहाने की कोयला खदान परियोजना

548. **श्री तारीक अनवर :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की पीपरवार खुले मुहाने की कोयला खदान परियोजना जोकि 1989 में प्रारंभ की गई थी, एक महंगी परियोजना सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना के लिए अनुमानित कितना बजट आबंटित किया गया है; और

(घ) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पीपरवार ओपनकास्ट कोयला परियोजना को 6.5 मि.ट. प्रतिवर्ष कोयले का उत्पादन किए जाने हेतु 542.43 करोड़ रु. के पूंजीगत निवेश के साथ सितम्बर, 1989 में अनुमोदित किया गया था। मई,

1993 में लागत को अद्यतन किया गया तथा परियोजना को 838.27 करोड़ रु. की राशि के निवेश के साथ स्वीकृति दी गई। मार्च, 1996 तक परियोजना पर किया गया व्यय 961.35 करोड़ रु. की राशि का है। परियोजना को पूर्ण किए जाने हेतु कुछ और व्यय किए जाने की संभावना है। वर्ष 1995-96 में उत्पादन 6.85 मि.ट. था, जिसके कारण कुल 62.74 करोड़ रु. की राशि का अथवा प्रति टन कोयले पर 91.53 रु. की राशि का लाभ प्राप्त हुआ।

(ख) परियोजना लागत में निम्नलिखित कारणों से काफी वृद्धि हुई है :-

(1) विदेशी विनिमय दरों में अन्तराल।

(2) परियोजना लागत को स्थिर कीमतों के आधार पर आंकलित किया गया था जबकि वास्तविक लागत में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल है।

(3) आवास, कराधान तथा राजस्व व्यय के पूंजीकरण हेतु अतिरिक्त प्रावधान किया जाना।

(4) भूमि का भौतिक रूप में स्वामित्व प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना को कार्यान्वित किए जाने में हुआ विलंब।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 हेतु इस परियोजना का बजट आबंटन 38.60 करोड़ रु. की राशि का है तथा 31 मार्च, 1996 तक परियोजना पर 961.35 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

[हिन्दी]

रेशम कीट पालन के लिए राजसहायता

549. **श्री नामदेव दिवाथे :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेशम कीट पालन के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कॉफी के घरेलू स्टाक में कमी

550. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी के धरेलू स्टाक में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कॉफी के निर्यात को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना

551. **श्री विद्यासागर सोनकर :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी दूर करने के लिए सैदपुर (गाजीपुर) क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी नहीं। इस समय सैदपुर क्षेत्र के आस पास केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अदालती शुल्क लेबल

552. **श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अदालती शुल्क लेबलों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अदालती शुल्क लेबलों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि. की कोयला खानों को बंद करना

553. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बाहर स्थित ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि. की कुछ कोयला खानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कोयला खानवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय के फलस्वरूप कितने श्रमिक प्रभावित होंगे?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि. के किसी भी कार्यरत खान को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.34 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.34 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि हम प्रातः सभा पटल पर पत्र नहीं रख सके थे इसलिए गैर-सरकारी कार्य प्रारंभ करने से पहले, मैं सभा की अनुमति से ये कुछ औपचारिकताएं पूरी करूंगा।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.34 1/4 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली और एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : श्री मुरासोली मारान की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 631/96]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 632/96]

(ग) (एक) एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 633/96]

(घ) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 634/96]

(2) (एक) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 635/96]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और लघु उद्योग विभाग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौत ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 636/96]

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 637/96]

(तीन) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 638/96]

(चार) एंड्रयू यूल और कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 639/96]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 409(अ) और सा.का.नि. 40(अ) जो 10 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 110/95-सी.शु. और 111/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत निर्यात बाध्यता की समस्त अवधि में अतिरिक्त पुर्जों के आयात की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 411(अ) जो 10 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 149/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 477(अ) जो 16 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से भारत से निर्यातित 8-हाइड्रोएक्वनोलीन (8-एच.क्यू.) में विनिर्दिष्ट दर पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 640/96]

(2) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1996 जो 29 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 749(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 641/96]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512(अ) जो 5 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दण्डन, ताना बनाने, वेष्टन, आवलन या रीलन या इनमें से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं के अधीन और बिजली की सहायता से या उसके बिना बने सूती सूत या सेलूलेसिक कते सूत को छूट देने के बारे में है यदि उन्हें ऐसे सूती सूत या सेलूलेसिक कते सूत से बनाया जाता है जिस पर 1 से 22 मार्च, 1994 की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क पहले से संदत्त किया जा चुका है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 642/96]

(4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 643/96]

[अनुवाद]

अपराह्न 3.35 बजे

कार्य-मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : श्री श्रीकान्त जेना की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवदेन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.35 1/4 बजे

सभा का कार्य

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : श्री श्रीकांत जेना की ओर से मैं मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान लोक सभा में सरकारी कार्य के बारे मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य होंगे :-

(1) आज की कार्य-सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित पर विचार करना और पारित करना :-

(क) दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996।

(ख) राज्य सभा द्वारा यथा पारित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1995।

(ग) राज्य सभा द्वारा यथा पारित महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1995।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :-

1. पर्वतीय व पिछड़े क्षेत्रों में नशाबन्दी।

2. माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

1. अजमेर में स्वीकृत स्थान पर शीघ्र ही सरकार द्वारा हवाई अड्डा बनवा कर उसे देश के हवाई मार्ग से जोड़ कर पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

2. अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर पूर्व स्वीकृत उच्च शक्ति टी.वी. प्रसारण केन्द्र (एच.टी.पी.) स्थापित कर राजस्थान के मध्यवर्ती एवं सीमान्त क्षेत्र के लाखों टी.वी. दर्शकों को लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अगले सप्ताह के कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा तथा अनुरोध करूंगा कि उनमें निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये :—

1. झरिया और रानीगंज कोयला खानों तथा इन कस्बों के खदान के अन्य निचले इलाकों में आग लगी हुई है। नए क्षेत्रों के भी प्रभावित होने की संभावना है। वहां स्थिरता लाने के लिए तुरन्त उपचारी उपाय तथा अन्य एहतियाती सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

2. मार्च, 1996 से बांकुरा दामोदर नदी रेल सेक्शन में रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं और क्षेत्र में यातायात की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्र के करीब एक लाख से सभी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। बांकुरा दामोदर नदी रेल सेक्शन में रेल सेवा तत्काल शुरू की जानी चाहिए। साथ ही, सेक्शन का आमान परिवर्तन भी अविलम्ब किया जाना चाहिए।

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाय :-

1. पर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास से संबंधित मदें।

2. पश्चिम बंगाल के जर्जर अवस्था वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और सुधार के संबंधित मद।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.39 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : श्री एस.आर. बोम्मई की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 2(1) (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी

रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, इन परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार चुने हुए सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय या उक्त विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 2(1) (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, इन परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार चुने हुए सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय या उक्त विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.40 बजे

(दो) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के साथ पठित रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के साथ पठित रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.41 बजे

(तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.42 बजे

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा असम राज्य (स्वायत्तशासी जिलों को छोड़कर) के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में कोच-राजबंशी समुदाय को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधयेक के बारे में प्रवर समिति का प्रतिवदेन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा असम राज्य (स्वायत्तशासी जिलों को छोड़कर) के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में कोच-राजबंशी समुदाय को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधयेक के बारे में प्रवर समिति का

प्रतिवदेन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.42 1/2 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित

अध्यक्ष महोदय : सदन अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य - पुरःस्थापना के आए विधेयकों पर विचार करेगा।

(एक) गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत और राजकोट में स्थायी न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

> "कि सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.43 बजे

(दो) गौ-वध पर पाबंदी विधेयक*

श्री काशी राम राणा (सूरत) : महोदय, मैं गौ और गौं-वंश की हत्या पर पाबंदी लगाने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि गाय और इसकी नस्ल की हत्या को निषिद्ध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र और माननीय सदस्य श्री काशीराम राणा को एक ऐसा प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं जिसमें न केवल गोवध बल्कि गाय की सभी नस्लों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु इस सदन की अनुमति मांगी गई है।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 22.11.95 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 1/2 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुझे यह अवश्य बता देना चाहिए कि यह विधेयक इस सदन की विधायी परिधि से बड़ा है तथा इसका स्वरूप भी अत्यधिक असंवैधानिक है। मुझे अपने मित्र तथा माननीय सदस्य, श्री काशीराम राणा और इस सदन को भी यह अवश्य याद दिलाना चाहिए कि विधेयक की विषय वस्तु पूर्णरूपेण राज्यों के क्षेत्राधिकार में आती है। इस विधेयक से न केवल गायों पर बल्कि उनकी सभी नस्लों, सांडों, बैलों, और इसी तरह अन्य की हत्या पर भी पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गोवध नहीं होता है। प्रश्न का संबंध मुख्यतया सांडों, बैलों इत्यादि से है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जैसाकि हम सभी जानते हैं, संविधान में सातवीं अनुसूची है जिसमें तीन सूचियां दी गई हैं : सूची-I, सूची-II और सूची-III। प्रथम सूची के विषय केन्द्र अर्थात संसद के अंतर्गत आते हैं। सूची-तीन में समवर्ती विषय दिए गए है। यह मद, विधेयक की विषय वस्तु, सूची-I अर्थात् संघ सूची का नहीं लगता है और यह सची-III अर्थात् समवर्ती सूची में भी नहीं है।

विधेयक की विषय वस्तु दूसरी सूची के अनुरूप है जो राज्यों से संबंधित विषयों से संबंध रखती है। इसलिये, मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक की विषय वस्तु पर विचार करने के स्थान पर विभिन्न राज्यों के ऊपर यह विषय छोड़ दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 1 मई, 1954 को तत्कालीन एटार्नी जनरल, श्री एम.सी. सितलवाड सभा में उपस्थित हुए थे। सभा द्वारा उनको बुलाये जाने पर उन्होंने गौ और गोवंश की हत्या के विषय पर जानकारी दी थी और मार्गदर्शन किया था। उस वक्त अर्थात् 1 मई, 1954 को एटार्नी जनरल ने लोक सभा को सूचित किया था कि यह विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने स्पष्टरूपेण कहा था कि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे पास 1 मई, 1954 को एटार्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई राय उपलब्ध है।

मेरा विचार है कि राज्य भी ऐसे विधेयक लाने में संकोच करेंगे। किन्तु, यह एक अलग बात है। मैं विधेयक के गुण-दोष के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। इस स्तर पर हम विधेयक के गुण-दोष पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

दूसरे, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक पूर्णतया असंवैधानिक है क्योंकि नियम विस्तारपूर्वक बोलने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। पुरःस्थापन के समय विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर भी, मैं कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने निरंतर स्पष्ट किया है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

इस विषय में उच्चतम न्यायालय की राय में निरंतरता बनी हुई है। उदाहरण के लिये मोहम्मद हनीफ कुरेशी का मामला ही लें। मोहम्मद हनीफ कुरेशी बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 58, 23 अप्रैल, 1958 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि :

"भैंस, बैल और सांड की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। जबकि ये दूध देने की क्षमता, बछड़े पैदा करने की क्षमता और भार ढोने की क्षमता पार कर जाते हैं, जनहित में नहीं लगाया जा सकता है और यह तर्क संगत नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय 1958 में दिया था और उसी समय से यह निरंतर यही विचार व्यक्त करता रहा है।

हाल ही में, मध्य प्रदेश विधान सभा ने एक ऐसा ही विधेयक पारित किया था और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में भी वैसा ही निर्णय दिया था। इसलिये, इस समय मैं विधेयक के गुण-दोष में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य, श्री काशीराम राणा से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह विधेयक पूर्णतया असंवैधानिक है।

इसलिये, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। महोदय, अन्यथा मैं इसका विरोध करने के लिये बाध्य हो जाऊंगा और सभा से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को अनुमति न दी जाए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बुजुर्ग साथी श्रीमान, बनातवाला ने इस बिल के इंट्रोडक्शन स्टेज पर जो ऑबजैक्शन किया है, मैं इस स्टेज पर ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन जो दो मुद्दे उठाए हैं, उन पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा। वैसे तो दसवीं लोक सभा में भी मैंने इस प्रकार का बिल इंट्रोडयूस किया था। जैसा कि कहा गया कि यह बिल अनकांस्टीट्यूशनल है, मैं यह कहूंगा कि यह बिल कोई अनकांस्टीट्यूशनल नहीं है। जिस प्रकार की जजमैंट और कोर्ट की रूलिंग माननीय बनातवाला जी ने यहां पढ़ कर सुनाई, उनको मैंने ध्यान से सुना। वैसे भी संविधान में आर्टिकल 48 में इसके बारे में मैंशन किया हुआ है लेकिन यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है। जब सारे देश में इस पर चर्चा हो रही है तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में देश की महान संस्था लोक सभा में भी इस विषय पर विचार हो और इस बारे में कोई कानून बने। मुझे नहीं लगता कि यह बिल असंवैधानिक है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह एक संवैधानिक बिल है। आर्टिकल 48 में इसके बारे में बताया गया है। हमारी भी इस बारे में ड्युटी बनती है। जब हम लोक सभा जैसी पवित्र संस्था में बैठे हैं तो यहां बैठकर राष्ट्रीय समस्या पर विचार करें और इस बारे में कोई कानून बनाएं।

मान्यवार, ऐसे कई कानून बने हैं जिन को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऐसे कई कानूनों पर इस सदन में चर्चा भी हुई है और उन्हें पास भी किया गया है। मेरी आपसे यही विनती है कि यह राष्ट्रीय समस्या होने के नाते करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा मामला है। आज देश के करोड़ों लोग यह चाहते हैं कि गौ और गौवंश का वध बंद होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि वैसे तो यह बिल इंट्रोडक्शन स्टेज पर है और हम चर्चा के समय कई मुद्दे रख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर राष्ट्रीय डिबेट हो। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मैंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है और चाहता हूं कि इसको एडमिट किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मोहतरम दोस्त काशीराम राणा जी ने जिस जज्बे से यह बिल पेश किया है, उस जज्बे की कद्र करते हुए जाहिर है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक आदमी ने इसे अपोज कर दिया और जो इसे मूव करना चाहता था उन्होंने अपनी बात कह दी। अगर आपको एलाऊ करूंगा तो दूसरों को भी एलाऊ करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अगर आप उनको बोलने की अनुमति देंगे, तो हमको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैं न अपोज कर रहा हूं और न प्रपोज कर रहा हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस वक्त किसी को भी बोलने की अनुमति प्रदान न की जाए। सिर्फ प्रस्ताव पेश करने वाले को ही अनुमति दी जाए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब पेश करने वाले सदस्य के अलावा कोई भी अन्य सदस्य नहीं बोल सकता है। इसलिये, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। ऐसे में इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी।

[अनुवाद]

नियम 72 में कहा गया है :

"लोकसभा में यह प्रथा स्थापित हो चुकी है कि अध्यक्ष ऐसे किसी व्यवस्था प्रश्न पर अपना विनिर्णय नहीं देता

जिसमें यह प्रश्न उठाया गया हो कि विधेयक संविधान की दृष्टि से सभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या नहीं। सभा विधेयक की वैधता के विशेष प्रश्न पर भी निर्णय नहीं ले सकती है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : कौन निर्णय लेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को निर्णय लेना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 246 की व्याख्या में कहा गया है :

"अंततः न्यायालय ही विनिर्णय लेंगे कि कौनसा विधान विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अथवा नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभी के विचार सुन लिये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गौ और गो-वंश वध पर पाबंदी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.56 बजे

(तीन) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 दिनांक 22.11.96 में प्रकाशित।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.56 $^1/_2$ बजे

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा गठित करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के संदर्भ में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा गठित करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के संदर्भ में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.57 बजे

(पांच) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (निवारक उपाय) विधेयक*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण को फैलने से रोकने के उपाय करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण को फैलने से रोकने के उपाय करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 22.11.96 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.57 ½ बजे

(छः) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 11 और 23 में संशोधन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में आगे और संशोधन करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.58 बजे

(सात) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2, आदि में संशोधन)

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 22.11.96 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.59 बजे

(आठ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (भोपाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 4.00 बजे

(नौ) बालक श्रम (प्रतिषेध एवं कल्याण) विधेयक*

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक श्रम प्रतिषेध तथा उनकी शिक्षा, पुर्नवास एवं कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि बालक श्रम प्रतिषेध तथा उनकी शिक्षा, पुनर्वास एवं कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 22.11.96 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

अपराह्न 4.0 $^1/_2$ बजे

(दस) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (रायपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रायपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रायपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 4.01 बजे

(ग्यारह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 22.11.96 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.02 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक –जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 2 अगस्त, 1996 को डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे। प्रो. रासा सिंह रावत बोल रहे थे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुब्बरामी रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य शिक्षा विधेयक पर चर्चा चल रही है। अभी बोम्मई साहब भी पधारे हैं। इस बिल के बारे में हम प्रारंभ में भी सुन चुके हैं कि शिक्षा के बारे में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

> "निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंग कहां ये मालूम नहीं।
> इन राहों में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं।"

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : उर्दू का शेर क्यों बोलते हैं? हिन्दी का बोलें।

प्रो. रासा सिंह रावत : हिन्दी और उर्दू का भेद आपके मन में है। हम लोगों के मन में ऐसा भेद नहीं है। उर्दू भी भारत की भाषा है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 1952 से लेकर आज तक जितने आयोग बैठे हैं, चाहे मुदलियार आयोग हो, कोठारी आयोग हो या ईश्वर भाई पटेल समिति बनी हो, यां उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1906 से आई हो या 1992 में राममूर्ति पुनरीक्षा समिति बनी हो, इन सब ने जो संस्तुतियां कीं, जो अभिशंसाएं कीं, उनको लागू करने के लिए सरकार में जो दृढ़-संकल्प शक्ति और दृढ़-इच्छा शक्ति या जो वित्तीय संसाधन आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए होने चाहिए थे, उनका सर्वथा अभाव दिखा और यही कारण है कि आज स्वाधीनता के 50 वर्षों के पश्चात् जब हम स्वाधीनता की स्वर्ण-जयंती मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इससे बढ़कर विडंबना क्या हो सकती है कि हमने संविधान में यह तय किया था कि दस वर्षों के अंदर अर्थात् 1960 तक शिक्षा का सार्वजनीकरण करेंगे, छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान कराई जाएगी लेकिन 1960 भी चला गया, 1970 भी चला गया और आज 1996 में सब प्रयासों के बावजूद भी मोटे रूप से मैं कहूं तो 40 प्रतिशत संख्या आज भी ऐसी है जो साक्षरता से वंचित है। इसमें भी अगर बालक और बालिकाओं में विषमता की ओर ध्यान दिया जाए तो बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति और दयनीय है और निरक्षरता की दृष्टि से दुनिया के सब देशों में हमारे देश का स्थान बहुत ऊंचा है जिसको देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

जिस देश के अंदर वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उपनिषदों का विकास हुआ और जिस देश के अंदर सबसे पहले ज्ञान की ज्योति फैली और सारे संसार के लोगों को जिस देश के पुरखों, ऋषियों, मुनियों ने ज्ञान प्रदान किया और जिस देश के बारे में यह कहा जाता है –

"एदद्देशप्रस्तूतस्य एकाशाद् अग्रजन्मनः
स्वंस्वंचरित्ररदैव शिक्षैरन पृथिव्यां सर्वमानवाः"

इस देश में पैदा होने वाले महापुरूषों, ऋषियों के चरणों में बैठकर सारे संसार के लोग चाहे वह चरित्र की शिक्षा हो या अन्यत्र प्रकार की शिक्षा हो, प्राप्त किया करते थे, लेकिन आज देश के अंदर शिक्षा की दुर्दशा दिखाई दे रही है, चाहे वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही क्यों न हो और आज इस बिल के अंदर जो प्रावधान किया गया है 14 साल के स्थान पर 17-18 साल की अवधि को माना गया है और प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर 12 कक्षा तक शिक्षा देना अनिवार्य बताया गया है तो इस बिल के अंदर जो प्रारंभिक स्थिति है हम उसको भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं। आगे का लक्ष्य तो अच्छा है, आदर्श की दृष्टि से अच्छा है कि हम हायर सैकेंडरी 10+2 तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से सभी को प्रदान करने की सुविधा प्रदान करें। सरकार अधिकाधिक विद्यालय, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, खोलें और जिनके माता-पिता की आय एक महीने में एक हजार रुपये से कम हो ऐसे लोगों के बच्चों को सब प्रकार की सामग्री विद्यालयों से प्रदान की जाए। उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए यूनीफार्म गणवेश वगैरह विद्यालयों से प्रदान की जाए, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएं और जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उनको दंडित करने का इसमें प्रावधान है। दूसरे लोग जो बच्चों से बेगार लेते हैं, रोकना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, उनको भी रोकने का और दंडित करने का इस बिल में प्रावधान किया गया है। आदर्श की दृष्टि से यह बिल बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब आपने तो तय किया है कि दो हजार तक सभी के लिए शिक्षा, दो हजार तक सभी को साक्षर बना दिया जायेगा, कम से कम अब तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह जो साझा मोर्चा की सरकार है, इसमें कौन सी चीज साझा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और वह दूसरे मामलों के अंदर इतनी उलझी हुई है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले के अंदर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। साक्षरता के अभियान राज्यों को अंदर चलाये तो जा रहे हैं, लेकिन जो साक्षरता की आड़ में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर एक प्रकार का फ्रॉड चल रहा है, उसको जांचने की आवश्यकता है तथा बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हम 10+2 का स्तर तब प्राप्त करेंगे जब दो हजार तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से प्राप्त करने की सुविधा सबको मिल जाए, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लैक-बोर्ड की योजना लागू की गई लेकिन उसकी क्रियान्विति किस प्रकार से हुई। क्या प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक के स्थान पर दो शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्तर पर कर दी गई है, क्या गांवों के अंदर जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे, क्या विद्यालय भवन अनिवार्य रूप से प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई, क्या कमरों की संख्या का विस्तार किया गया, क्या वहां पर बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था आपने की है? उसके बारे में जिसकी 80 प्रतिशत हाजिरी हो, ताकि नामांकन बना रहे, भागने की प्रवृत्ति कम हो जाए तो क्या उस मिड-डे मील के नाम पर प्रतिमाह हर बच्चे के हिसाब से गेहूं जो दे दते हैं, क्या वह गेहूं बाजार से जाता है या उस बच्चे को पौष्टिकता प्रदान करने के लिए उसके मां-बाप काम में लेते हैं। क्यों नहीं विद्यालय स्तर के ऊपर ही पौष्टिक भोजन, मिड-डे मील उसको प्राप्त हो सके और वहीं पर बनाने की व्यवस्था हो ताकि उन बच्चों को कम से कम जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको पौष्टिक खुराक या संतुलित आहार की जो पूर्ति है वह हो सके। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? क्या आपरेशन ब्लैक बोर्ड की समीक्षा की गई, राज्यों को जो राशि आपने दी उस राशि का पूरा उपयोग हुआ या नहीं यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा। एक और बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा जहां समाज के अंदर परिवर्तन लाने, चेतना लाने, उत्कृष्ट समाज का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वहीं शिक्षा का गाजर-मूली की तरह खरीदने वाली चीज बना दिया जाए तो वह समाज के लिए एक प्रकार से वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाती है। आज हमारा समाज वैसे ही जातियों में बंटा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा के अंदर आपने जो भेद पैदा कर दिया, आज गांवों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, गांवों में स्कूलों की, विद्यालयों की जो स्थिति है, गांवों के स्कूलों में स्टाफ की जो स्थिति है, गांवों में खेलने के मैदान की जो स्थिति है, दूसरी तरफ शहरों के अंदर, सम्पन्न लोगों के लिए जो विद्यालय हैं, उनके आलीशान बड़े-बड़े भवन हैं, वहां स्टाफ की जैसी व्यवस्था की गई है, खेल के मैदानों की जो स्थिति है, वहीं शहरों में झुग्गी झोंपड़ी और गंदी बस्तियों में जो विद्यालयों की स्थिति है, यह शिक्षा में जो भेदभाव पैदा हो गया है, एक तरफ जिसके पास पैसा है, वह शिक्षा को खरीदने लग गया है। आज पब्लिक स्कूलों के बाहर लम्बी-लम्बी कतारें लगती हैं, भारी शुल्क देने में लोग समर्थ हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से ऊंची शिक्षा, महंगी शिक्षा प्राप्त करा लेते हैं और एक प्रकार से रोजगार की गांरटी भी प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त बालक कैसे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा ही बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण और संतुलित विकास करती है। बालक के व्यक्तित्व के समग्र एवं संतुलित विकास का नाम ही शिक्षा है, वह कैसे संभव हो सकती है और ऐसे बालक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों से प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में कैसे कम्पीट कर सकते हैं, कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आज जो भेदभाव है, उसे दूर करने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने थोड़ी-बहुत शिक्षा देने का काम तो किया लेकिन शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं दी। कोरी शिक्षा देने का प्रयास तो किया लेकिन संस्कारयुक्त शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की स्थिति पैदा हो गई, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, सरकार में रहते हुए शिक्षा की व्यवस्था और प्रबंधन करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। उनके प्रबंध में, पाठ्यक्रम निर्धारण में कुछ कमियां रहीं जिसके कारण शिक्षा तो दी गई, लेकिन दीक्षा प्रदान नहीं की गई।

मैं कहना चाहता हूं कि -

जैसा खाएंगे अन्न, वैसा बनेगा मन,
जैसा पीएंगे पानी, वैसी बोलेंगे वाणी।
जैसी मिलेगी शिक्षा, वैसी प्राप्त होगी दीक्षा,
जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेंगे सृष्टि।
जैसा होगा विचार, वैसे बनेगा आचार,
जैसी होगी करनी, वैसी पार उतरनी।
जितना जानेंगे धर्म, उतना श्रेष्ठ होगा कर्म।

लेकिन धर्म निरपेक्षता के नाम पर, नैतिक शिक्षा को भुला दिया गया। भारतीय आदर्शों और भारतीय संस्कृति को, महान व्यक्तियों को पाठ्यक्रम में जो स्थान मिलना चाहिए था, वह स्थान उन्हें नहीं मिला। आजादी के सेनानियों के चित्र एवं वृत्त पुस्तकों के अंदर रहने चाहिए, लेकिन उन्हें वह स्थान नहीं मिला। तुष्टीकरण के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, हम इधर-उधर की बातें करते रहे जिसके परिणामस्वरूप हमारे नौजवान असंतोष और अराजकता के शिकार हो गए तथा उनमें जो चरित्र निर्माण होना चाहिए था, देश भक्ति का भाव जगना चाहिए था, राष्ट्रीयता का भाव पैदा होना चाहिए था, देश की माटी से प्यार होना चाहिए था, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या सीनियर सैकेंडरी स्तर पर हो, वह नहीं हो पाया। टीनेज अवस्था में जो संस्कार बन जाते हैं, वे जीवन की नींव बन जाते हैं। फिर स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में जाने के जब हम परिवर्तन लाने को सोचते हैं, उसी का परिणाम है कि आज नकल की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि केवल डिग्रियां देना, प्रमाणपत्र देना ही शिक्षा का साधन बन गया है। इसलिए येन-केन प्रकारेण प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त किया जाए, डिग्री कैसे ली जाए, उसे प्राप्त करने के शॉर्टकट मैथड अपनाए जाते हैं। पहले जिस तरह के शिक्षक थे, आज के शिक्षकों में ट्यूशन की प्रवृत्ति या नकल टिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे कुछ राज यों में बंद करने का प्रयास किया गया था लेकिन उसके बाद वहां जो सरकारें आई, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून ठीक नहीं है। इस स्थिति का परिणाम यह सामने आया कि शिक्षा में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से जो परिवर्तन और चेतना आनी चाहिए, शिक्षा के द्वारा उत्कृष्ट समाज के निर्माण की हमने कल्पना की थी, उस सबका सर्वथा अभाव रहा। हम समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते थे, अंधविश्वास दूर करना चाहते थे, सामाजिक कुरीतियां दूर करना चाहते थे, वे हमारी सारी भावनाएं अधूरी की अधूरी रह गई। चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। शिक्षा देश के हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। भले ही यह नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हो। इसका संविधान के अंदर भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंदर देश में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है। पहले हमें इसे प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद 10+2 तक की शिक्षा के लिए सरकार को सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान करानी चाहिए।

देश के व्यापक विकास के लिए ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। इससे देश का भविष्य उज्ज्वल बनेगा। भारत गांवों में निवास करता है इसलिए पहले ग्रामीण छात्रों को शिक्षा-दीक्षा के माध्यम से थोड़ा सुदृढ़ किया जाए तो गांवों में भी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का उद्देश्य हासिल किया जा सकता है।

आज जो शिक्षा के अंदर भेदभाव पब्लिक स्कूलों के नाम पर हो रहा है, उससे समाज में एक खाई पैदा की जा रही है। सबसे ऊंची जाति पब्लिक स्कूलों की है, फिर विभिन्न नामों से चलने वाले निजी विद्यालयों का नम्बर आता है, उसके बाद केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों का नम्बर आता है और फिर नगर निगम और नगर पालिकाओं के स्कूलों का नम्बर आता है। आज हरेक मां-बाप यही सोचते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे। इन स्कूलों में मोटी-मोटी रकमें लेकर बच्चे भर्ती किए जाते हैं, इसमें असफल रहने के बाद वे अंत में नगर निगम के स्कूल में अपने बच्चे भर्ती किए जाते हैं, इसमें असफल रहने के बाद वे अंत में नगर निगम के स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराते हैं। जबकि सरकार इन स्कूलों पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, फिर भी इन स्कूलों के प्रति समाज में यह भावना पैदा होती है, तो यह सरकार के लिए शोभाजनक बात नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की समूची व्यवस्था की जानी चाहिए। 'डाइट' तो आपने हर जिले में खोल दिए। इन 'डाइट' के माध्यम से संस्कारी शिक्षकों का निर्माण हो रहा है या नहीं, मिशनरी भावना के शिक्षकों का निर्माण हो रहा है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है या नहीं।

हमारी टीम ओलम्पिक में हिस्सा लेने पिछले दिनों अटलांटा गई थी, केवल एक कांस्य पदक लेकर लौटी। क्या यह हमारी शिक्षा के लिए अच्छी बात है, शोभाजनक बात है! अगर प्रारंभ से खेल-कूद की प्रतिभाओं को प्राथमिक स्तर पर छांटा जाता, अवसर दिया जाता, सेकंडरी स्तर पर और परिपक्व किया जाता और अलग व्यवस्था करके उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो वे छात्र आगे चलकर कालेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते थे। इसलिए जो कुकरमुत्ते की तरह गली-मोहल्लों में अंग्रेजी माध्यम के नाम पर स्कूल खुल रहे

हैं, उनमें देखना चाहिए कि क्या वहां सारी सुविधाएं विद्यमान हैं या नहीं। राजकीय विद्यालयों के स्तर को बढ़ाया जाए। निजी क्षेत्र में जो संचालित होने वाले विद्यालय हैं, जो शोषण करने वाले हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर करोड़ों का शुल्क लूटने वाले हैं, वे व्यावसायिक दुकानें बन गई हैं, उनमें शिक्षा का व्यवसायकिरण हो गया है। उसको रोकने की तरफ ध्यान दिया जाए। स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि शिक्षा आगे चलकर रोजगार का साधन भी बन सके। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में स्वावलम्बन की भावना पैदा करने का और समाज में चेतना पैदा करने का साधन भी बन सके।

विद्यालय त्याग की जो प्रवृत्ति छात्रों के अंदर बढ़ रही है, उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहले राष्ट्रीय सकल उत्पाद का जहां केवल 3.7 प्रतिशत व्यय शिक्षा पर होता था, लेकिन अब मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद और काफी विचार-विमर्श के बाद केन्द्र सरकार ने उसको बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का निश्चय किया है। इससे निश्चितरूप से हमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में सहायता मिलेगी, वहीं सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिककरण का जो लक्ष्य है, वह अवश्य प्राप्त हो सकेगा। भारत साक्षर बनेगा, संस्कारित बनेगा और शिक्षित बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) **:** मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। मैं 'उद्देश्यों और कारणों' में कथित उद्देश्यों का भी समर्थन करता हूं। महोदय, आपने यह भी देखा होगा कि एक ऐसा ही विधेयक मैं भी आज विचारार्थ पेश करने जा रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के संबंध में भी आपकी अपनी राय होगी।

[हिन्दी]

अपनी बात इसी तरह में कह लीजिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : इन दोनों विधेयकों के बीच एक और विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री चित्त बसु : यदि उस पर विचार किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः मेरी प्रार्थना हैं कि चूंकि दोनों विधेयकों की विषयवस्तु और सिद्धांत एक ही हैं। मात्र दण्ड-विधान में तथा कुछ ब्यौरों में अंतर है। अतः दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाए। मुझे नहीं पता कि नियम इसमें बाधक हैं या नहीं। यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है तो मुझे अपने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए। मैं दोनों विधेयकों पर एक साथ बोल सकता हूं और दोनों विधेयकों पर एक साथ ही चर्चा कराई जाए।

माननीय मंत्री जी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक जैसे विधेयक एक साथ...

श्री चित्त बसु : यह एक जैसे नहीं हैं-

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद। मैं आज ही अपने विचार प्रकट करना चाहता था...**(व्यवधान)** मैं इतना ही कहूंगा कि मैं मुद्दे से बाहर नहीं बोलूंगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा सब तक पहुंचाने के लिए कानूनी उपबंध लागू करना है। मैंने अपने विधेयक में यह भी कहा है कि यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा यदि यह प्रक्रिया प्रथम चरण में ही रूक जाए और दूसरे (माध्यमिक स्तर) चरण तक न पहुंचे। अतः मेरा मानना है कि इसे माध्यमिक स्तर तक पहुंचाना है, मैं अभी इसका कारण नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे विचार से इस विषय में मेरे अपने विधेयक और दूसरे विधयेक में कुछ मतभेद हैं।

जहां तक मैं समझता हूं सरकार विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने के उद्देश्य की विरोधी नहीं है। हमारे देश की संविधान सभा ने देश का संविधान बनाते समय संविधान की धारा 45(1) में यह उल्लेख किया था कि संविधान के लागू होने के दस साल के अंदर देश में 4 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस उपबंध के अनुसार तो यह उद्देश्य 1960 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था। कितने दशक बीत गए। अब हम 1996 में हैं और आज तक हम संवैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाये कि 4 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सब बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएं।

इस बात की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई है कि इस संवैधानिक निदेश दिए 46 वर्ष बीत गए हैं किंतु इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अतः यह आवश्यकता एक तरफ सरकार के लिए और दूसरी तरफ माता-पिता के लिए पैदा हुई है। अब इसकी आवश्यकता समाज की ओर से भी उठ रखी जानी चाहिए। यह सामाजिक न्याय की धारा का अनिवार्य अंग है। सरकार, माता-पिता और समाज सबका अपना अपना एक निश्चित उत्तरदायित्व होना चाहिए। अतः समय का आह्वान यही है कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि माता-पिता नागरिक और सरकार, सबका एक निश्चित उत्तरदायित्व हो। इसी विचार ने मुझे यह विधेयक पेश करने के लिए प्रेरित किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, इक्कीसवीं सदी के शुरू होने से पहले चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने पर विचार किया गया था। इस नीति के

अनुसार कतिपय रणनीतियां बनाई गई थीं। वे निम्नलिखित हैं :—

(एक) व्यापक प्रसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों और लड़कियों सहित बच्चों को व्यापक रूप से शामिल करने की व्यवस्था करने के लिए रणीनीतियां बनाई गई थी;

(दो) एक किलोमीटर की पैदल दूरी की परिधि के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था;

(तीन) बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा;

(चार) कामकाजी बच्चों और लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो स्कूलों में औपचारिक रूप से नहीं पढ़ सकते हैं; और

(पांच) उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय के विद्यमान अनुपात में सुधार लाकर इसे 1:4 से 1:2 करना

ये सामान्य रणनीतियां हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के भाग के रूप में बनाई गई थीं। एक रणनीति बीच में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाना था जो कक्षा 1 और कक्षा 5 तथा कक्षा 5 से कक्षा 8 तक विद्यमान 46 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक लाना था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राथमिक स्कूलों के मामले में, बीच में स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक है और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रणनीति बनाई गई है उसके अंतर्गत इसे 46 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक लाना था और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में 60 से घटाकर 40 प्रतिशत तक लाना था, क्योंकि बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। रणनीति केवल इसमें कमी लाने की थी।

जहां तक लक्ष्य की प्राप्ति का संबंध है, यह लक्ष्य प्राप्ति से बहुत कम था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पढ़ाई का निम्नतम स्तर लगभग सभी बच्चों के लिए अर्थात् कक्षा 8 तक करना था और इस अवधारणा की शुरूआत उच्च प्राथमिक स्तर तक करना था। उससे आगे, समाज, सरकार और अन्य संस्थाओं का उत्तरदायित्व होता है। मेरे विचार से यह हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

महोदय, मैं जानता हूं कि यह संयुक्त मोर्चा सरकार सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अपनी जिम्मेदारियों के बारे में काफी जागरूक है। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण मद है।

महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री के अवलोकनार्थ, मैं उनका ध्यान न्यूनतम साझा कार्यक्रम की ओर भी दिलाना चाहता हूं। कृपया मुझे इस उद्धृत करने की अनुमति दें क्योंकि इस संबंध में, जहां तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का संबंध है, मैं अपनी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करना चाहता हूं। शिक्षा संबंधी अध्याय में यह कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जायेगा। इसकी प्राप्ति सन् 2000 ईसवी तक की जायेगी। इस धनराशि का पचास प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। युवकों को रोजगार योग्य और स्वरोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण की शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त धन-राशि निर्धारित की जायेगी। 10 करोड़ व्यस्क लोगों को शामिल करने का राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लक्ष्य 1998-99 के लक्ष्य वर्ष तक प्राप्त किया जायेगा। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा। संयुक्त मोर्चा भी राष्ट्र को वर्ष 2005 तक पूर्ण रूप से साक्षर बनाने के प्रति वचनबद्ध है। उन राज्यों में विशेष प्रयास किये जायेंगे जहां अशिक्षा बहुत अधिक है और जो शिक्षा से बहुत अधिक वंचित हैं साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन में कमियों और खामियों का पता लगाया जायेगा और उन्हें दूर किया जायेगा। प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों में नियमित हाजिरी और विद्यार्थियों को बनाये रखने के लिए सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की जायेगी। शिक्षा के प्रसार में वृद्धि के लिए जो प्रत्येक कदम उठाया जाएगा, उसका विशेष ध्यान लड़की की शिक्षा पर होगा।"

महोदय, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं दोनों मंत्रियों से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने चुनावी वायदे निभायें और विश्वसनीयता बनाये रखें क्योंकि आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी बात राजनीतिक दलों और सरकार की विश्वसनीयता का न होना है। संयुक्त मोर्चा के घटक के रूप में, मेरा अनुरोध है कि हम इस चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्प हैं और मेरे विचार के बावजूद इसके कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम की सरकार के रूप में जो स्वीकार किया है उसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी लेने के बजाय सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए बाईबिल, कुरान या उसी तरह की कुछ चीज है जो वास्तव में हमारे देश में सरकार द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं।

महोदय, मुझे यह घोषणा करने में गर्व हो रहा है और मेरे विचार से मंत्री महोदय कहेंगे कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। मेरी सरकार की सूचना या सरकारी कागजात तक कोई पहुंच नहीं है, इसलिए जहां तक मैं जानता हूं कि उक्त बैठक में एक आम सहमति हुई थी। यह आम सहमति यह थी कि शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में माना जाए। राज्य मंत्री, जो यहां पर उपस्थित हैं, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई हैं जिन्हें इसकी सम्भाव्यता के बारे में पता लगाना है अर्थात् इस आम सहमति के आर्थिक निहितार्थ और

अन्य ब्यौरे क्या हो सकते हैं। मेरे विचार से, समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन दे दिया या प्रस्तुत कर दिया होगा और यदि माननीय मंत्री महोदय चाहें...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : इसे कुछ समय बाद प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री चित्त बसु : इस प्रतिवदेन को सार्वजनिक किया जाये और यह इस सभा की सम्पत्ति होगी क्योंकि यह सरकार का सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महादेय, मैं आपका ध्यान, मोहिनी मोहन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तब तक मूल अधिकार नहीं बन सकता है जब तक कि शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार नहीं बनाया जाता है। महोदय, मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक वचनबद्धता और वर्तमान सरकार द्वारा वचनबद्धता को स्वीकार करना और कुल मिलाकर इसे न्यायिक उद्घोषणा ने और सुदृढ़ता प्रदान की है कि शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाये।

अब, हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के एक पक्षकार हैं। हमारा देश, भारत उक्त घोषणा का एक पक्षकार है जिसमें घोषणा की गई है :

> "लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार है।"

भारत ने इस प्रसिद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इस घोषणा का अनादर कैसे कर सकता हूं? यह सभा कैसे इस मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अनादर कर सकता है? इसलिए, हमें इस घोषणा को लागू करना ही है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी भी सरकार को जो इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है, मानने का रास्ता देने की अनुमति नहीं दूंगा।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह मेरा मामला नहीं है। उन्होंने जो किया है वह प्रशंसनीय है लेकिन वह पूरा नहीं है। मैंने खुद सरकार से साहित्य को प्रकाशित करवाया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के बारे में कहा गया है। मैं केवल उस भाग को पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

> "प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 1950-51 में 2,09,671 से बढ़कर 1992-93 में 5,72,541 हो गई। हालांकि स्कूलों की संख्या में वृद्धि बहुत अच्छी हुई है फिर भी आधारभूत सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1989-90) के अनुसार 1,44,272 विद्यालय जिन्हें सर्वेक्षण करने के लिए चुना गया था, उनमें कच्चे भवनों वाले स्कूलों की संख्या 72,777 है, घास-फूस के छप्पर वाले विद्यालयों की संख्या 29,644 तम्बुओं में चल रहे विद्यालयों की संख्या 2,546 और खुले स्थानों में चलाये जा रहे विद्यालयों की संख्या 39,305 है। विस्तार के बावजूद, केवल 51.36 प्रतिशत बस्तियों में बस्ती के अंदर प्राथमिक विद्यालय था और 84.45 प्रतिशत के पास 1 कि.मी. के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय था।"

इसलिए, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, मैंने ये आंकड़े सरकार को केवल इस बारे में आश्वस्त करने के लिए दिये हैं कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, वस्तुतः, शिक्षा का विस्तार हुआ है, सुविधाओं का विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं। यही बताने के लिए मैंने इन आंकड़ों का उल्लेख किया है।

अधिक समय न लेते हुए मैं केवल वही पढ़ता हूं, जो एक अतिमहत्वपूर्ण शिक्षाविद्, जो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री भी हैं, ने लिखा है।

उन्होंने लिखा है :

> "हमारे पास विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत है जिसमें उच्च शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत है और शिक्षा के इस स्तर पर लड़कियों के दाखिले का प्रतिशत और भी निराशाजनक है। भारत में शिक्षा के तृतीय चरण या उच्चतर चरण में दाखिले का प्रतिशत विश्व के कुल दाखिले का 6.6 है।" न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा की दशा भी चिन्ताजनक है। कोई यही कह रहा था। कई व्यक्ति अब यह कहते हैं कि हमने उच्च शिक्षा के लिए काफी कुछ किया है। इसलिए, हमें अपना ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित करना चाहिए। हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारे युवाओं का केवल एक निश्चित अंश, बहुत न्यूनतम अंश ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। यदि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होती है तो भी उनके लिए कोई सामाजिक अवसरंचना नहीं है।

महोदय, और अधिक स्थिति स्पष्ट करने वाले भी तथ्य है :

> "विश्व की 6-11 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल जनसंख्या का 22 प्रतिशत केवल भारत में है। विश्व के कुल निरक्षरों में से एक तिहायी निरक्षर भारत में है। हमारे देश में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है; और उसमें से 6.2 करोड़ भारत में किसी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला नहीं ले पाते। विश्व में शिक्षा पर समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का औसत 4.8 प्रतिशत व्यय किया जाता है और विश्व के विकासशील देश शिक्षा पर अपने समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का 3.9 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसा विश्व का सर्वाधिक

पिछड़ा देश शिक्षा के लिए अपने समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 3.5 प्रतिशत ही आबंटित कर रहा है। जहां तक कुल सरकारी व्यय का संबंध है, भारत बहुत पीछे है। विकासशील देशों द्वारा सरकारी व्यय का 14.2 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है जबकि भारत में इस मद पर खर्च केवल 11.2 प्रतिशत है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि.... बंगलादेश शिक्षा पर अपने बजट का 14 प्रतिशत खर्च करता है।" और हमारी सरकार उससे भी कहीं कम खर्च करती है। मैं उन आंकड़ों का प्रयोग नहीं कर रहा जो हम व्यय करते हैं। जो बंगलादेश कर सकता है, वह हम नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान कर सकता है, वह हम नहीं कर सकते। मेरे पास यह दिखाने के लिए अन्य चार्ट भी है, कि जहां तक शिक्षा का संबंध है जितना खर्च बंगला देश कर सकता है, वह हम नहीं कर सकते; जितना खर्च पाकिस्तान कर सकता है, वह हम नहीं कर सकते; जो अन्य विकासशील देश तथा अविकसित देश कर सकते हैं, वह हम नहीं कर सकते। यह एक बहुत दुःखद टिप्पणी है। मैं बहुत दुखी हूं। मैं इससे खुश नहीं हूं। शिक्षा की जो स्थिति है वह बहुत दुखद है।

महोदय, मैं अब अपना भाषण समाप्त करूंगा। बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्तमान बजटीय आबंटन लगभग 493 करोड़ रुपये है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल राज्य अपने बजट में इसके लिए क्या प्रावधान करता है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, पश्चिम बंगाल 695 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, ये राज्य सरकारें सारे वर्ष के लिए केवल 225 करोड़ रुपये व्यय करती है। ऐसा देश भर में है और सभी राज्यों में है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा पर 995 करोड़ रुपये व्यय करता है। 18 से 23 आयु वर्ग के संबंध में एशियायी देशों में दाखिला सामान्यतया 17 प्रतिशत है और भारत में यह 6 प्रतिशत है।

मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मामले में मैं प्रो. गाल ब्रेथ का कथन उद्धृत किए बिना नहीं रह सकता। वह न कार्ल मार्क्स है, न कालिदास है, और न ही लेनिन है, लेकिन हमें इस नये मसीहा की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी कनक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरे से वह भाग खो गया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका औद्योनिकृत देश है। अमेरीका एक महान शक्ति है। वह महान शक्ति इसलिए नहीं है कि इसके पास काफी पूंजी है अपितु वह महान व्यक्तियों और बेहतर संसाधनों के कारण महान है।

महोदय, मेरे पास इसका प्रमाण है। इसलिए, यह केवल पूंजी का प्रश्न नहीं है, यह बाहरी सहायता का प्रश्न नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक का प्रश्न नहीं है, यह बेहतर मानव संसाधन, मानव पूंजी का प्रश्न है। जब तक इस मानव पूंजी का उचित रूप से उपयोग और दोहन नहीं किया जाता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और देश भयंकर डावांडोल की स्थिति में फंस जायेगा। चूंकि सभी सदस्य मेरा भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इन बातों ने मुझे सरकार और इस सभा से यह अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि शिक्षा के प्रसार, सार्वभौमिकीकरण, निःशुल्क शिक्षा और कुछ दण्ड के लिए सांविधिक बाध्यता होनी चाहिए।

मैं सरकार के लिए दण्ड निर्धारित नहीं कर सकता। लेकिन महोदय, यदि यह मौलिक अधिकार बनाया जाता है, तो फिर हम सरकार के लिए दण्ड का क्षेत्र खुला रखता है। अतः मेरा कहना है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए। इस सार्वभौमिकीकरण को केवल प्राथमिक स्तर पर नहीं रोका जाना चाहिए। इसका माध्यमिक स्तर तक विस्तार किया जाना चाहिए और माध्यमिक स्तर के पश्चात्, उच्च शिक्षा के क्षेत्र का भी और विस्तार किया जाना है ताकि मानव पूंजी को और बढ़ाया जा सके और देश की प्रगति और सम्पन्नता सामाजिक न्याय के साथ सुनिश्चित किया जा सके, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। केवल विकास हो और कोई सामाजिक न्याय नहीं मिले, यह अमरीकी मार्ग, विश्व बैंक का मार्ग है। हमें लोगों का विकास करना है, समाज का विकास करना है, नए मानव मूल्यों और एक उद्देश्य का विकास करना है जिससे एक नए समाज का निर्माण हो।

महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मैं डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी के विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। यदि मुझे अपने विधेयक पर बोलने का अवसर मिला, तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक जिस पर सभा में आज चर्चा की जा रही है, की भावना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं विधेयक की भावना क्यों कहा? इसका कारण यह है कि विधेयक में देश भर में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, हमारे संविधान में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह ठीक प्रदान करना नहीं है, बल्कि देश भर में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है।

जैसा कि आपको जानकारी है, संविधान के अध्याय तीन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अध्याय चार में राज्य के नीत निर्देशन सिद्धांतों के उल्लेख है। उस अध्याय में, अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है :-

"राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और यदि हम उससे 10 वर्ष की अवधि की गणना करें तो 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए था। अब 1996 चल रहा है और आज तक हम उस लक्ष्य के कहीं निकट भी नहीं पहुंचे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि देश ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इस दिशा में काफी प्रयास किए गये हैं और काफी प्रगति हुई है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य को देखते हुए हम आज निराशा महसूस करते हैं।

जब हमें इस राष्ट्रीय वचनबद्धता को अभी पूरा करना है, जब हमें अभी इस उद्देश्य को पूरा करना है ऐसे समय में यह विधेयक अब सभा के समक्ष है जो उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसके पीछे छिपी भावना बहुत ही अच्छी है। कोई भी व्यक्ति इस विधेयक का स्वागत कर सकता है। इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें सच्चाई को मानना होगा, हमें व्यावहारिक होना होगा।

अपराह्न 4.53 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

बल्कि मैं कहूंगा कि 1950 में उस समय समस्या की विशालता और उसके आयाम का समुचित जायजा नहीं लिया गया था जब प्रारूप संविधान के विभिन्न उपबंधों पर विचार करने के लिए संसद के केन्द्रीय कक्ष में संविधान सभा की बैठक चल रही थी। उस दृष्टि से, हमें एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस उद्देश्य अर्थात् 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

हमारा प्रयास नितांत प्रशसंनीय है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब संविधान को स्वीकार किया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्या था? उस समय नियोजन प्रक्रिया जब आरंभ की गई थी तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सहित प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2,22,000 थी। 1994-95 से अब यह बढ़कर सात लाख चालीस हजार हो गई है। अतः वृद्धि दर 300 प्रतिशत से भी अधिक है।

महोदय 1950-51 में हमारे पास अध्यापकों की जो संख्या थी - पुनः यह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है...

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए। तीन घंटे का समय आवंटित किया गया था और अब यह समाप्त हो रहा है।

[हिन्दी]

एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ठीक है, पैसा तो सरकार देती नहीं है, समय तो दे दे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उस समय 5 लाख 74 हजार शिक्षक थे जो कि अब 28 लाख 26 हजार हो गये हैं तो इसमें लगभग 4 हजार लोगों की बढ़ोत्तरी हुई है और इंस्टीट्यूशंस में बताया कि यह तीन सौ परसेंट से ज्यादा है जब कि हमारी आबादी उस समय के हिसाब से दुगुनी हो गई हैं। 1950 में हमारी आबादी करीब 45-47 करोड़ थी अब 90 करोड़ से ज्यादा हो गई है और इस शताब्दी के अंत तक सौ करोड़ होने वाली है। तो यह जो प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट के हिसाब से स्टूडेंट की पापुलेशन 1950-51 में थी यह अब मिलियन्स में होगी। जो 41-42 मिलियन थी और अब यह 148 मिलियन पर पहुंच गई है।

[अनुवाद]

महोदय, हमारे सामने जो स्थिति है, वह भयावह है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे इस उम्र के 148 मिलियन छात्रों के अतिरिक्त 28 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विद्यालयों में दाखिला दिए जाने की आवश्यकता है। आज, समूचे विश्व में प्राईमरी स्कूल की शिक्षा प्रदान करने के संबंध में हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश है। ईसवी सन् 2000 तक मैं नहीं जानता कि उसके लिए हमारी प्रशंसा होनी चाहिए अथवा नहीं - विश्व में हमारा प्रथम स्थान होगा। आज चीन पहले स्थान पर है और उसके बाद हमारा स्थान है। भारत में इस उम्र वर्ग के बच्चों की संख्या चीन की 230 मिलियन संख्या के मुकाबले 232 मिलियन होगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक भयावह स्थिति है। मैंने कहा कि हमारे छात्रों की मौजूदा संख्या - जो स्कूलों में हैं और जो स्कूल से बाहर हैं, दोनों-को शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में, हमने इस कार्य को 10 वर्षों की अवधि अर्थात् 1960 तक पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया था। उसके बाद साठ के दशक के मध्य तक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्, श्री डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था।

अपराह्न 5.00 बजे

स्थिति की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 1975-76 तक यह कार्य अथवा इस सांविधानिक बाध्यता को पूरा कर लिया जाना है। उसे भी आप नहीं पूरा कर सके। उसके बाद राजीव गांधी के समय में 1986 में एक नई शिक्षा नीति आयी और पुनः स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने अथवा उस पर विचार करने के उपरांत उन्होंने सोचा कि हमें 1995-96 तक इसे जारी रखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इस निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। वह अवधि समाप्त होने के पूर्ण, 1992 में, पुनर्मूल्यांकन दल ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इक्कीसवीं

शताब्दी शुरू होने के पूर्व अथवा बीसवीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष के आयु वर्ग के हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का लाभ इस देश में मिले।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 6,000 करोड़ रु. की धनराशि शिक्षा के लिए आवंटित की थी। शिक्षा विभाग को सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 6,000 करोड़ रु. दिए गए थे जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 18,000 करोड; रु. कर दिया गया क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था। यदि हम वास्तव में इस कार्य और विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा निर्धारित किये गये और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वित्तीय आवश्यकता कितनी होगी? 90,000 करोड़ रु. की धनराशि का निर्धारण अथवा आवंटन इस शिक्षा विभाग को करना होगा। अवश्य ही, यह घोषणा की गई है कि सकल घरेलू उत्पाद के इस मौजूदा तीन प्रतिशत के आवंटन को बढ़ाकर आने वाली योजनावधि में छः प्रतिशत कर दिया जायेगा लेकिन उससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी।

जैसाकि आपने कहा, महोदय, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें इस पर गर्व है। लेकिन इसके साथ ही, हमारा सिर उस समय शर्म से नीचे झुक जाता है जब यह पता चलता है कि विश्व में हमारा देश निरक्षरता के मामले में भी सबसे बड़ा है। हमारा देश न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा निरक्षरता भी यही हैं। समूचे विश्व के समस्त निरक्षर लोगों का साठ प्रतिशत नौ देशों में रहता है जिनमें भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और इसके आसपास के देश शामिल हैं। यह हमारा रिकार्ड है।

जैसा कि मैंने कहा, हमने स्कूलों की संख्या में कई गुना वृद्धि कर दी है और छात्रों की संख्या के मामले में भी कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन महोदय, जैसाकि इस पर ठीक ही प्रकाश डाला गया था, इन नीति निदेशक सिद्धांतों को भी मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अध्याय तीन के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

इस तमाम प्रयासों के बावजूद इस उद्देश्य को क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका है? हमारी प्रगति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं। इसके क्या कारण हैं? इसका एक कारण संसाधनों का अभाव है - सरकार के पास भी और बच्चों के मातापिता के पास भी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का बढ़ता हुआ प्रतिशत क्या है?

उड़ीसा जैसे राज्य में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह राष्ट्रीय आंकड़ा है। क्या आप ऐसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मां बाप से उम्मीद करते हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार और इच्छुक होंगे? उनके लिए तो उनके छोटे-छोटे बच्चे भी, जो आठ या दस वर्ष के हैं, आय के साधन हैं। हमें इसके बारे में बहुत ही व्यावहारिक होना होगा। अभिभावकों में धीरे-धीरे कुछ जागरूकता आ रही है कि बिना शिक्षा के उनके बच्चे अपने जीवन में फल-फूल नहीं सकते। वे इसे समझते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी उनके बड़े-बड़े परिवार हैं। हालांकि हमने छोटे परिवार के मानदण्डों का प्रचार-प्रसार किया है। फिर भी, इसे अभी लोगों तक पहुंचना है। उन्हें बड़े-बड़े परिवारों का खर्चा चलाना होता है। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए दो जून की रोटी जुटाने हेतु घोर निर्धनता में जीवनयापन कर रहे हैं। यह परिवार के मां बाप के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य होता है और इस पृष्ठ भूमि में हम ऐसे परिवारों के प्रत्येक बच्चे से स्कूल जाने की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार के बच्चे द्वारा स्कूल जाने से होने वाली आय की हानि की क्षतिपूर्ति समुचित रूप से करनी होगी। इसके लिए कोई भत्ता दिया जा सकता है अथवा कोई रोजगार गारण्टी योजना शुरू की जा सकती है। हमें ऐसे बच्चों के लिए आवासीय स्कूल शुरू करने होंगे। गरीब मां बाप के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन देने होंगे। निश्चय ही, अब यह बात सबको पता है कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने के बाद स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। अभिभावकों ने इसमें अच्छी रुचि दिखायी है।...**(व्यवधान)**

कुछ भी हो, ये व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। इसके लिए और अधिक धन देना होगा। दस वर्ष पहले शुरू किया गया 'ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन' से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचा है। स्कूलों को भवन प्रदान किए गए हैं। उपकरण खरीदे गए हैं। कई चीजें की गई हैं। लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनका न कोई ढांचा है न कोई इमारत। हमें कुछ नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए जैसे मुक्त स्कूल, मुक्त संस्थान और मुक्त शिक्षा। हमें यह देखना है कि शिक्षा के लिए और अधिक धन का आवंटन हो तथा इस विचार को भी लोकप्रिय बनाया जाय। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आपके सहित, मुझसे पहले के विद्वान वक्ताओं ने कुछ आंकड़ों को दर्शाया है। परन्तु हमारा उद्देश्य दोहरा है अर्थात हर एक बच्चे को शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लाना ही नहीं, अपितु शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रति प्रयास करना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल संख्यात्मक विकास ही नहीं अपितु गुणात्मक विकास भी होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से विचार करने पर कम से कम मुझे तो अफसोस हुआ है क्योंकि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है? शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। मैं नहीं जानता कि शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों से जिस सत्यनिष्ठा की अपेक्षा की जाती है, वो उनमें है भी की नहीं। पढ़ाना मात्र व्यवसाय नहीं है। यह एक अभियान भी है।

अब शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से एक व्यवसाय बनता जा रहा है। एक आम नौकरी की तरह सत्यनिष्ठा की भावना के लिए यह काम किया जा रहा है। और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच कोई संबंध जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। यह अच्छी बात है कि प्राथमिक शिक्षा की बागडोर अध्यापिकाओं के हाथ में है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जा रहा है जहां उनके आवास का कोई प्रबंध नहीं है। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते समय हमने अध्यापिकाओं को बसों की प्रतीक्षा करते हुए

पाया है। फिर, उस राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क से उनको दो या तीन किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। तब, उनके पास बच्चों/विद्यार्थियों के पढ़ाई के बारे में सोचने का समय कहां होता है। अतः मेरा यह विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि कोई उनसे पूछता है कि वे विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं और पढ़ाई की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं तो उनका कहना है कि न तो क्वार्टरों का कोई प्रबंध है और न ही आवास उपलब्ध है और किराये के मकान भी नहीं मिलते हैं। हमको ऐसा उत्तर मिलता है। परन्तु सब जानते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम प्रगति कर रहे हैं।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। यदि हम सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहां पर हमें किस प्रकार का उपचार मिलता है? वहां उपलब्ध उपचार का स्तर क्या है? सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता इतनी कम है कि निर्धन लोग भी अपने गहने अथवा जो कुछ भी है उसे गिरवी रखकर प्राइवेट नर्सिंग होम्स जाना पसंद करने लगे हैं। कई स्थानों पर लोग यही कहते हैं कि "पहले मुझे अपनी जान बचाने दीजिए।"

एक बात है। शिक्षा के सबंध में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि भिन्न प्रकार के स्कूल खुल रहे हैं। निश्चय ही, बेरोजगारी के इन दिनों में, उच्च शिक्षा प्राप्त युवक और युवतियां इस तरह के स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना चाहते हैं क्योंकि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का उचित स्तर नहीं होता है। अतः यह भी एक समस्या है। हमें इस तरह की समस्या से स्वयं ही निपटना है। हमें केवल उनकी संख्या को ही नहीं बढ़ाना है बल्कि उसके स्तर को भी बनाए रखना है।

अगस्त के महीने में राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा शिक्षा सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें "प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कैसे बनाया जाए" इस संबंध में वित्तीय; प्रशासनिक नीतिगत तथा अन्य मुद्दों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। दो बातें हैं। शिक्षित लोगों को रोजगार का पूरा अधिकार है। अतः हमें इस बात पर विचार करना होगा कि रोजगार को मौलिक अधिकार कैसे बनाया जाए। उसमें शिक्षा का यह क्षेत्र भी शामिल है। समय बीत रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि शिक्षा विहीन अन्य देशों ने बहुत नुकसान उठाया है। शिक्षा विकास का आधार है। हमें उसे इस दृष्टिकोण से भी देखना है। यह विकास तथा मानव संसाधन विकास का मूलाधार है। हम यह कार्य कर रहे हैं। यदि हम मानव संसाधन पक्ष का, मानव का और इस पहलू का विकास नहीं किया जाता है तो निश्चय ही अन्य प्रकार के विकास से इच्छित परिणाम हमें नहीं मिलेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैंने कहा था कि इस विधेयक की भावना अच्छी है। मैं इसके पश्चात् आपकी बात सुनना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मुद्दा यह है कि आप इस विधेयक की भावना का समर्थन करते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जैसा कि मैंने कहा है, इस विधेयक को अच्छी भावना से लाया गया है। यदि हम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक, यहां तक चौदह वर्ष की उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कर पायेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। हमारे संविधान के अध्याय-3 में इस आशय की बात पहले से कही गई है और इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। यह हमारा लक्ष्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल, 1950 में, संविधान में जो कुछ प्रावधान किया गया है हमें सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी और गंभीरता से सभी प्रयास करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हुए, अपनी बात प्रारंभ करता हूं।

महोदय, मुझ से पूर्ववक्ताओं ने शिक्षा जगत में बड़े विस्तार रूप से आंकड़ेबद्ध सारे आंकड़े रखे हैं और माननीय मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं। मैं विडम्बना के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आजादी के पचास साल गुजरने के बाद भी आज हम राग अलाप रहे हैं, जो राग हम अब से बीस साल पहले इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में अलाप रहे थे। इस शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहे और उस लड़ाई का औचित्य मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। यह देश तीन भागों में बंटा हुआ है - इंडिया, हिन्दुस्तान और भारत। आज 654 प्रतिशत भारत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है। मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। तथ्यों में नहीं जाना चाहता हूं। व्यर्थ में समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझ से पूर्ववक्ताओं ने जो तथ्य रखे हैं, यदि उन पर ही सरकार और खास तौर से मंत्री महोदय विचार करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि 65 प्रतिशत भारत आज ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, जहां एक लाख 96 हजार ग्राम सभायें हैं। इन ग्राम सभाओं में यदि आप प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखें, जो एक छोटी सी बात है, जो आज तक हम 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मौलिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा के बारे में गीत गाते आ रहे हैं। हम वही कर रहे हैं, जिस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत ने दोगुली नीति अपना कर किया। अब इस देश के भाग्य विधाताओं ने 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ वही किया, जो ब्रिटिश हुकूमत ने किया। अगर उनको सही शिक्षा मिली होती तो आज किसान का बेटा और मजदूर का बेटा आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षायों में बैठ सकता। ब्रिटिश साम्राज्य से हमें जो धरोहर मिली, आज उन्हीं के बेटे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. परीक्षाओं में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा में दोगुली नीति अपनाई गई है। आज पिछड़ी जाति के लोग, जो पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए आज तक शिक्षा की अनिवार्यता नहीं हो पाई है। आप उच्च शिक्षा या

इंजीनियरिंग शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, आप केवल प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बहुत ही दुर्दशा है। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फिरोजबाद में स्थित शिकोहाबाद में नवोदय विद्यालय भारत सरकार योजना के तहत आता है। उस विद्यालय के पास में एक स्थान पर पशुओं का वध किया जाता है। इस वजह से वहां संक्रमण रोग फैल रहे हैं। डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को तीन बार पत्र लिख चुका हूं और मैं इस बात को बड़ी विडम्बना के साथ कहना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल पिछले 14 सालों से वहीं पर हैं और अनियमिततायें बढ़ रही हैं। महिला शिक्षकों के बारे में भी मैं उनसे तीन बार मिल चुका हूं। एक संसद सदस्य 20 लाख लोगों को रिप्रजेंट करता है। आज आप जिस जगह पर बैठे हैं, कल हम भी बैठ सकते हैं। आज हम प्रतिपक्ष में हैं, कल आप भी यहां थे, लेकिन संसद सदस्य, संसद सदस्य रहता है और उसकी भावना का ख्याल रखा जाना चाहिए।...**(व्यवधान)** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की नीति शिक्षा के बारे में बनानी चाहिए थी, वह नीति आज तक नहीं बनाई गई है।

इसलिये मेरा कहना है कि यह जो पांच लाख स्कूलों की बात कही गई है वह सिर्फ कागजों पर ही है। इसके आंकड़े सिर्फ कागजों में ही हैं। सरकार को वास्तव में यह देखना चाहिए कि किस जगह पर कितने स्कूल चल रहे हैं। मैं जब लेबर कंसलटेटिव कमेटी में था तब भी यहां एक बिल पर प्रस्ताव किया था। उस समय हमारे लेबर मिनिस्टर थे जो आज हमारे स्पीकर हैं। यह प्रस्ताव किया गया था और इसको सर्वसम्मति से पास किया गया था, लेबर के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए प्रत्येक जनपद में उच्चस्तरीय प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी लेकिन इसे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा नहीं किया। अभी तक किसी भी जिला हैड क्वार्टर पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं की गई।

सभापति महोदय, शिक्षा ज्ञान का मंदिर है। अगर वास्तविक रूप में ठीक से शिक्षा किसी व्यक्ति को मिले तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति हो या कितना भी धनवान हो तो वह सारे देश में कहीं भी जाकर अपनी बात को कह सकता है, लेकिन सबको ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, अन्य वक्ताओं ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद से जो राग आज तक अलापा जा रहा है इसे सर्वसम्मति से प्रतिपक्ष को बुलाकर और सभी नेताओं को बुलाकर हल किया जाए और एक शिक्षा नीति बनाई जाए। 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का संविधान में जो प्रावधान है, उसको जिस प्रकार से इस विधेयक की भावना में दर्शाया गया है इस बिल को सर्वसम्मति से इस हाउस के अंदर पास किया जाए। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : सभापति महोदय, डॉ. रेड्डी के द्वारा जो विधेयक लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे पहले के वक्ताओं ने, जिसमें आप स्वयं भी शामिल हैं, कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। हमारे संविधान में जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिखे गए हैं उसके अनुरूप जो व्यवस्था अब तक होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। आज देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है उसके बारे में आप लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाला। अभी पाणिग्रही जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि काफी विकास हुआ है। खास करके जो ड्राप आउट्स है उनमें कमी आ रही है। उन्होंने एक योजना की विशेष तौर पर चर्चा की है - वह है मिड-डे मील्ज स्कीम। इसके पहले जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उसने इसको लागू किया था। पाणिग्रही जी का मानना है कि इससे स्थिति में बड़ा फर्क आया है। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन सबको शिक्षा न मिलने के पीछे कई कारण हैं। इसमें मोटे तौर पर दो-तीन बातें है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो गरीबी है, जिसके चलते लोग अपने बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। दूसरा, शिक्षा के साधनों का अभाव है। गांवों में स्कूल नहीं हैं और जो स्कूल हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है। इसके बावजूद जो बच्चे स्कूल जा पाते हैं वे अपना अध्ययन गरीबी और निर्धनता के कारण जारी नहीं रख पाते हैं। यह जो मिड-डे मील्ज स्कीम चलाई है इसकी क्या स्थिति है। पाणिग्रही जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र का अच्छा अनुभव होगा। अभी पिछले दिनों मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इससे बड़ा कोई और फ्रोड हो ही नहीं सकता है जो मिड-डे मील्ज स्कीम के नाम में चल रहा है।

महोदय, अखबारों में तस्वीर छपी, पूर्व प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव जी बच्चों के साथ बैठ कर स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। वह उनका सेवन कर रहे हैं। जब मैं अपने क्षेत्र में गया था तो वहां मुझे पता चला कि कोई मिड-डे मील्ज स्कीम नहीं है।

हर बच्चे के नाम पर तय कर दिया जाता है कि इतना अनाज प्रतिदिन के हिसाब से इनको मिलेगा और वह भी तीन किलो, चार किलो, पांच किलो महीने का पड़ता है। कभी तीन महीने का, कभी चार महीने का, कभी छः महीने का इकट्ठा मिलता है और वह भी स्कूल में नहीं मिलता है बल्कि पूरे ब्लॉक के लिए चार-पांच जगह निर्धारित हैं जहां से बच्चों को अनाज लेने के लिए जाना पड़ता है। बच्चों को कभी दस किलो, कभी पंद्रह किलो, कभी बीस किलो, अनाज लेने के लिए अपने गांव से आठ-दस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हमारे यहां तो पका-पकाया खाना देते हैं।

श्री नीतीश कुमार : हमारे यहां बिहार में तो यही स्थिति है। इसका मतलब क्या है? इकट्ठा अनाज तीन महीने, चार महीने, छः महीने बाद दे देते हैं। एक नन्हा बच्चा स्कूल से आठ किलोमीटर दूर से क्या बीस-पच्चीस किलो अनाज की गठरी उठा पाएगा। क्या यही मिड-डे मील स्कीम है, क्या यही नरसिम्हा राव की पूरी तस्वीर हमने

देखी थी। अनाज एफ.सी.आई. के गोदाम से ब्लॉक में आता है, ब्लॉक से टीचर लोगों को उठाकर ले जाना है लेकिन स्कूल में ले जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट को पैसा नहीं मिलता है। अब एक ब्लॉक का मतलब हुआ लगभग 70 हजार से लेकर सवा लाख तक की आबादी। अब उस ब्लॉक में चार जगह निर्धारित होगी और बच्चे वहां से कच्चा अनाज ले जाएंगे। क्या यही मिड-डे मील स्कीम है और क्या इसी से सरकार ड्रॉप-आउट रोकना चाहती है। बोम्मई साहब तो काबिल आदमी हैं, लम्बे काल तक जनता दल के अध्यक्ष रहे। ये हमारे अध्यक्ष थे हम तो महासचिव थे। इनमें काबलियत है, क्षमता है कि ऐसी स्थिति में भी इस स्कीम को चला पाने की तो वैसी ही सरकार आपकी है। 13 पार्टी की सरकार और इनमें से एक गायब हो गया, मर्जर हो गया तो अब 12 रह गये और ऊपर से एक का समर्थन। ऐसी स्थिति में जो आपकी सरकार चल रही है इसमें आप जैसा कुशल आदमी कुछ कारीगरी दिखाए और इस स्कीम को सचमुच में मिड-डे मील स्कीम में बदलें जिससे बच्चों को स्कूल में भोजन मिले।

बहुत पहले एक दूध की स्कीम चलती थी। उसमें कुछ मास्टर लोगों की चांदी हो गयी। जो दूध का चूर्ण था, पाउडर था, वह बच्चों को नहीं मिलकर बीच बाजार में रह जाता था। ऐसी स्कीमें तब चलती है जब किसी इलाके में प्राकृतिक सम्पदा विपदा आती है। वैसी स्थिति में कुछ मास्टर लोगों की चांदी हो जाती है। एक शिक्षक जिससे बच्चे प्रेरणा ग्रहण करते हैं तो उनके चाल-व्यवहार को भी वे सीखते हैं। इससे अधिक बदनाम हुए। दूध वाली स्कीम में भी बदनाम हुए और बाद में भोजन की स्कीम में भी बदनाम हुए। हमें लगा कि रास्ते में ही अनाज खत्म हो जाता होगा लेकिन अब जो बांट-बंटवारे के बाद बच्चों को लाना पड़ता है आप उसे बंद कीजिए और मिड-डे मील का आप स्कूल के अंदर ही इंतजाम कीजिए। आप ऐसा इंतजाम कीजिए जिससे बच्चों को भोजन स्कूल में ही मिल जाए और भोजन से मेरा मतलब खाने लायक भोजन से है। हमारे नीति निर्धारकों को चाहिए और खासतौर से शिक्षा सचिव को सोचना चाहिए कि अगर वे अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे तो क्या ऐसा भोजना खाने देंगे, लेकिन यहां के बच्चों को चाहेंगे कि ऐसा मिले। उसका क्या कारण है? दो प्रकार के आपके स्कूल हैं। एक पब्लिक सैक्टर में है और दूसरा प्राइवेट सैक्टर में है। इन दो प्रकार के स्कूलों की प्रणाली शुरू से चली आ रही है। हम जब विद्यार्थी थे तब नारा लगाते थे कि "राष्ट्रपति की या अछूत की संतान, सबकी शिक्षा एक समान"। लोग नारा लगाते-लगाते सरकार में चले आए लेकिन परिस्थिति नहीं बदली।

परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी इस प्रकार की शिक्षा चल रही है। हमारे साथ नारा लगाने वाले लोग जब सरकार में चले जाते हैं तो रिसोर्सिज की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको पढ़ाने से क्यों रोकें। हम भी किसी को पढ़ने से रोकने के हिमायती नहीं हैं लेकिन जब तक म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के स्कूलों में बड़े अफसरों और मंत्रियों के बाल-बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक उन स्कूलों की स्थिति में बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए चाहे कितना भी सक्षम कोई क्यों न हो - चाहे टाटा-बिड़ला की औलाद हो, चाहे दूसरे उद्योगपतियों की औलाद हो, चाहे बड़े सरकारी अधिकारियों की औलाद हो, चाहे पब्लिक सैक्टर के बड़े अधिकारियों की औलाद हो या मंत्रियों, नेताओं की औलाद हो, इनके बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आप पटना चलिए। पटना में ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यार्थी कम और शिक्षक ज्यादा हैं। कहीं-कहीं विद्यार्थियों की संख्या शिक्षकों से ज्यादा हो सकती है लेकिन म्यनिसिपैलिटी और कारपोरेशन के स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहां शिक्षक हैं क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा मिल गया है।

रमेन्द्र कुमार जी और इनकी पार्टी के लोग शिक्षक आंदोलन के साथ जुड़े रहे। इससे शिक्षा का सरकारीकरण हुआ। ऐसा करके अच्छा हुआ और शिक्षकों को तनख्वाह मिली लेकिन शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं आया। अपने घर से जानिए पराए घर का हाल। हम अपने राज्य के बारे में जानते हैं। जब अधिकारियों से पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि बजट का 80-90 परसैंट रुपया शिक्षकों की तनख्वाह में चला जाता है। स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं होता।

अभी पाणिग्रही जी कह रहे थे कि लेडी टीचर्स के रहने के लिए मकान बनाना चाहिए। मैं समझता हूं पहले बनाने के लिए पैसा खोजिए। आप हमारे यहां चलिए। वहां स्कूल बिल्डिंग नहीं है। किसी पेड़ के नीचे या ऐसे मकान में बच्चे पढ़ते दिखायी देंगे जो कभी भी गिर सकती है और उसको लेकर देश भर में न्यूज बन सकती है। इस सदन का कोई सदस्य मर जाता है तो उसके निधन पर जैसा शोक प्रस्ताव आता है वैसा ही शोक प्रस्ताव यहां भी आ जाएगा कि एक स्कूल की बिल्डिंग के गिर जाने से बिहार के फलां गांव में 200 बच्चे मर गए।

बोम्मई साहब पटना जाते ही नहीं है। वह आजकल बिहार जाना पसंद ही नहीं करते। आप अचानक चलिए और वहां की स्थिति को देखिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप ऐसा कह कर बोम्मई साहब की नौकरी ले लेंगे।

श्री नीतीश कुमार : बोम्मई साहब वहां जाने से घबराते हैं जिस तरह से बोम्मई साहब को हटाया गया, आप उसको याद रखें, वह अलग बात है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक समय वह इसे भूल जाएंगे।...**(व्यवधान)** रमेन्द्र बाबू, राजनीति हर जगह है। हम यहां किस लिए बैठे हैं। आज किस चीज में राजनीति नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) **:** आप बोम्मई साहब की तरफ रहेंगे या लालू जी की तरफ रहेंगे।

श्री नीतीश कुमार : यह हमारा मामला नहीं है। यह आपका मामला है। हम चाहते हैं कि बोम्मई साहब कुछ हिम्मत करें और वहां के स्कूलों की स्थिति देखें। आप चाहे जितनी योजनाएं चला लें, उनका

जब तक जमीन पर कार्यान्वयन नहीं होगा तब तक उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा।

इस विधेयक के विचार से और इसकी भावना से कोई असहमति नहीं हो सकती लेकिन सवाल यह है कि जो स्थिति है उस पर आप गौर करें और गौर करके क्या हो सकता है, इसके बारे में फैसला लें।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : जहां तक मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वित करने का संबंध है, भारत सरकार अनाज और परिवहन भाड़ा देती है। अनाज को ब्लाकों से नहीं, अपितु सार्वजनिक वितरण केन्द्रों से उठाकार राशन की उन दुकानों तक पहुंचाना होता है जहां से राशनकार्ड धारक अनाज प्राप्त करते हैं और उसके बाद परिवहन शुल्क दिया जाता है। जहां तक तैयार भोजन का संबंध है, धन खर्च करना होता है...

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : प्राथमिक पाठशालाएं जंगलों और पहाड़ी इलाकों में हैं तथा राशन की दुकानें भी बहुत दूर हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ अपवाद हैं। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं उससे भी इंकार नहीं कर रहा हूं जो श्री नीतीश कुमार ने कहा है।

कुछ राज्यों में, पका हुआ भोजन दिया जाता है और इसके लिए भुगतान किया जाता है। कुछ इस तरह के अन्य प्रबंध भी हैं। कुछ अन्य राज्यों में, स्वैच्छिक संगठन हैं जो इस काम के लिए आगे आये हैं। वे भोजन तैयार करते हैं और इसे समय पर छात्रों को वितरित करते हैं। कुछ राज्यों में, ग्राम पंचायतें जो काफी सक्षम हैं, वे आगे आई हैं और इस काम में अपना योगदान दे रही हैं।

इस तरह से कुछ राज्यों में तैयार भोजन दिया जा रहा है। इस तरह के 14 राज्य हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य भी शामिल हैं। मैं आपको 14 राज्यों के नाम बता सकता हूं जो इस तरह से अपना काम कर रहे हैं। वे राज्य के राजस्व कोष से अतिरिक्त धनराशि खर्च कर रहे हैं। इस तरह से यह योजना चल रही है।

अब, समिति एक सुझाव पर विचार कर रही है। सुझाव यह है कि हमें पूरे देश में तैयार भोजन वितरित करना चाहिए, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए, 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा और शेष 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि स्कूल परिसर में ही प्रत्येक विद्यार्थी को तैयार भोजन दिया जा सके। यह मामला विचाराधीन है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ राज्य हैं जिनमें कम से कम अनाज तो उठाया जाता है। कुछ राज्यों में तो अनाज तक भी नहीं उठाया जाता है। तीन या छः महीनों तक अनाज वहां पड़ा रहता है और इन राज्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया हुआ धन खर्च नहीं किया जाता है। ऐसे कई स्थान हैं और ऐसे कई जिले हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस योजना में कोई कमियां नहीं हैं, कमियां हैं और स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : यह संतोष की बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लेकिन आप अपने क्षेत्र में जाईये तो मालूम होगा। मंत्री जी ने जानकारी दी है कि जब सरकार की नीति है कि पी.डी.एस. तक जायेगा और एफ.सी.आई. के गोदाम से लिफ्ट करके ब्लाक तक नहीं जायेगा लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा है और मैंने यहां पर यह सवाल उठाया तो ये बता रहे हैं कि पी.डी.एस. तक जाना है। इस प्रकार से अनर्थ होगा। उसको भेजने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और पी.डी.एस तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसलिये यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बिहार में यह पी.डी.एस. तक नहीं पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश की जानकारी मुझे नहीं है। आज इस स्थिति में आप ऐजुकेशन कैसे देंगे? आप बात करते हैं हाई और सैकेंडरी लैवल की। यहां तो प्राईमरी स्कूल की हालत खस्ता है। शिक्षकों की नियुक्तियां होती नहीं, शिक्षक देहातों में जाते नहीं। शहरों में जगह नहीं हैं और फिर यह तो बिहार की समस्या है। वहां पर शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण हो रहा है। यह केवल एक राज्य के साथ नहीं, ऐसा हर राज्य में हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती स्थानीय स्तर पर की जाये ताकि उनको दूर न जाना पड़े। इस ढंग से पालिसी पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका बड़े पैमान पर स्थानांतरण होने से वे पढ़ा नहीं पाते है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिये।

सभापति जी, जहां तक हाई स्कूल या मिडिल स्कूल की बात है, पहले इसके लिये कमेटी होती थी, लोग मैनेजमेंट करते थे लेकिन अब सरकार ने स्कूलों का अधिग्रहण कर लिया है तो सरकार पर जवाबदेही बढ़ गयी है। यदि स्कूल बिल्डिंग में चूना लगना है तो बिल्डिंग की मरम्मत करानी है तो सरकार को पैसा देना होता है और यदि नहीं देती है तो वह बिल्डिंग कुछ समय में ध्वस्त हो जाती है। ऐसे ही पुराने स्कूलों की स्थिति है। नये स्कूल नहीं खुल रहे है। पहले कुछ प्राईवेट स्कूल खुलते थे, उसकी स्थापना के लिये सरकार की परमिशन मिल जाती तो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे लेकिन शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता था और उस स्कूल से माध्यमिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी सैट अप किये जाते थे।

अब स्थिति यह है कि स्थापना अनुमति देना बंद कर दिया गया है। मतलब यह कि स्कूल मत खोलो और सरकार भी स्कूल नहीं

खोलेगी। कैसे शिक्षा का विस्तार होगा, कैसे माध्यमिक स्तर तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे? प्राथमिक शिक्षा के बाद कोई माध्यमिक स्तर तक पढ़ना चाहेगा तो उसे कैसे पढ़ाएंगे?

दूसरी समस्या वित्त की है। एक तरफ शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के स्कूल हैं जहां पढ़ाई होती है लेकिन कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे यहां बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति चलती है। यहीं दिल्ली की सड़कों पर आकर वहां के शिक्षकों ने नंग. धड़ंग प्रदर्शन किया था। मैंने इसी सदन में सवाल उठाया था तो आसन से अध्यक्ष ने निर्देश दिया था कि बिहार सरकार इस ओर देखे।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : बिहार सरकार ने उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी हैं। ये शिक्षक बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी नहीं है। बिहार सरकार का यही निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बिहार सरकार का स्टैण्ड चाहे कुछ भी हो, ऐसे स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। जो कालेज मान्यता प्राप्त हैं, उन कालेजों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे दी और यह कहकर कि पैसे से सरकार मदद नहीं करेगी, उसी को वित्त रहित शिक्षा नीति कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के राज में भी एक से एक प्रयोग हुआ है। वहां भी एक से एक मुख्य मंत्री होते थे। उन्होंने एक वित्त रहित शिक्षा नीति चला दी। उनका नाम लेंगे तो आपको ऐतराज होगा, लेकिन डा. जगन्नाथ मिश्र के समय में ऐसा हुआ और वह वित्त रहित शिक्षा नीति ऐसी चली है कि अब वहां पूरी तरह शिक्षा खत्म हो रही है। नतीजा यह है कि लोगों पर न्यूनतम मजदूरी कानून भी लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री रमेन्द्र कुमार : यहां क्या बिहार के बारे में डिसकस हो रहा है?

श्री नीतीश कुमार : आप इनको बता दीजिए कि शिक्षा कनकरंट लिस्ट में है। जहां चर्चा होगी तो स्टेट भी आएगा और लोग अपनी स्टेट के ऐक्सपीरिएंस से बोलेंगे।

सभापति महोदय : आप उनकी बात मत सुनिए।

श्री नीतीश कुमार : इनको ऐतराज हो रहा है। इन्होंने रैली और प्रदर्शन निकाला और सरकार को चेतावनी दी, हालांकि इनका कैडर चाह रहा था कि निन्दा करें मगर यह मुलायम चेतावनी पर रह गए। इससे इनके वर्कर्स खुश नहीं हैं। इनको पता नहीं क्या ऐतराज है? जब वित्त रहित शिक्षा नीति का मामला आता है तो न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होने की बात इस देश में होती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो स्कूल और कालेजों में पढ़ाते हैं, वहां काम करते हैं, उन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। आपने कह दिया कि ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, फिर पैसा कहां से आएगा? इस प्रकार से कई प्रकार की शिक्षा चल रही है। जब तक शिक्षा की व्यवस्था में एकरूपता नहीं लाई जाएगी, तब तक सुधार नहीं होगा। एक प्रकार की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए और हर हालत में इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह नहीं चलेगा कि डी.पी.एस. भी चल रहा है। यह नहीं चलेगा कि पब्लिक स्कूल के नाम पर जो निजी संस्थाएं हैं, वह स्कूल चला रही हैं और डोनेशन का बहुत सा पैसा लेकर जो अमीर घरों के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए एक से बढ़कर एक सुविधा दे रही हैं। उनके खोलने के लिए मैदान होता है, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा है और दूसरी ओर बच्चों के बैठने के लिए बैंच नहीं है, पढ़ाने के लिए ब्लैकबोर्ड नहीं हैं, चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए यह मजबूर होते हैं। जब तक यह स्थिति रहेगी, तब तक हमारा जो लक्ष्य है कि हम सबको एक समान शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, ये बातें हम कह देते हैं लेकिन वह पूरी नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी तो सब चीजों का इंतजाम होगा। इच्छा शक्ति का अभाव सरकार में रहा है और यहां पर भारत का पतन और इंडिया का निर्माण होता रहा है। भारत के स्कूलों की यह दशा है और दूसरी तरफ इंडिया के स्कूल फल-फूल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

यह आवश्यक है कि इस देश के अंदर एक तरह की शिक्षा दी जाए और सख्ती से और कड़ाई से कुछ किया जाए। बोम्मई साहब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है।

श्री एस.आर. बोम्मई : यह हमारे समय में नहीं हुआ।

श्री नीतीश कुमार : आपके समय में नहीं हुआ है। यह सब कौस्मैटिक ऐक्सर्साइज पाणिग्रही जी के समय में होती रही है। यह राजीव जी को पसंद था। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया, लेकिन मानव संसाधन का विकास कहां हो रहा है? उनका तो विनाश हो रहा है।

लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे हैं आज अशिक्षित हो रहे हैं और जब नीचे के लैवल पर शिक्षा नहीं मिलेगी तो अभी जो आपने उदाहरण दिया कि हम चीन से आबादी में आगे बढ़ जायेंगे तो अब यह कैसे अपनी जनगणना को नियंत्रित करेंगे। क्या कीजिए, कोई भी योजना आप शुरू करें, बढ़ती हुई आबादी उसके लाभ को समाप्त कर देती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हर स्तर पर शिक्षा हो, लोक शिक्षण हो और आज जो देश में एडल्ट एजुकेशन चल रहा है, सभापति महोदय ने कहा कि बंद कीजिए तो मैं कंक्लूड करता हूं। आपका भी अनुभव होगा। अब यह जिस प्रकार की जितनी शिक्षा आप चला रहे हैं नॉन फार्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एलीमेंटरी एजुकेशन, सब पैसा एक जगह लगाइये। अब जो 25-30 वर्ष के बाद

भी नहीं पढ़ पाये तो वह उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ पायेगी। अगर पैसा बचे तो एडल्ट एजुकेशन भी चलानी चाहिए, पहले नॉन फार्मल एजुकेशन चलानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा है उसको दुरूस्त कीजिए और एक तरह की शिक्षा दीजिए और जो आपकी योजनाएं हैं वह जमीन पर उतरें और अंत में मैं कहकर समाप्त करता हूं। कई प्रकार के राज्य हैं जो इस देश में विकास के टापू बनते चले जा रहे हैं। अगर आप तुलना करेंगे बिहार की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की इनकी तुलना आप महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा से तो यह अन्याय होगा। क्योंकि कुछ इलाके हैं जो विकसित होते चले गये हैं। उनकी पर कैपिटा इंकम बहुत बढ़ गई। अब आप कोई भी स्कीम हर राज्य के लिए एक समान अगर लागू करना चाहेंगे तो उसका क्रियान्वयन जमीन पर नहीं हो सकता है। इसलिए विशेष परिस्थिति में कुछ राज्यों को आप आइडेंटीफाई कीजिए खासकर जो बीमारू स्टेट्स हैं जिनका आप नाम लेते हैं तो ऐसे राज्यों को पहले आइडेंटीफाई आपने किया है तो उन राज्यों में इस प्रकार की जो भी स्कीम आप चलाते हैं उसमें शत-प्रतिशत केन्द्र भी अनुदान दें और हालांकि राज्यों के अपने अधिकार हैं और हम राज्यों के अधिकार को खत्म करने के हिमायती नहीं है। लेकिन चूंकि पैसा आपका जायेगा इसलिए कहीं वह पैसा घोटाले में न चला जाए ऐसी कोई मॉनीटरिंग मैकेनिज्म भी ऊपर के स्तर पर होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं सूचना देना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। यह हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आते हैं। वहां साक्षरता की दर विशेष रूप से महिलाओं में केवल 15 से 20 प्रतिशत है अथवा उससे भी कम है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यही मेरा निवेदन है कि जो आपके डाकूमेंट्स हैं, बीमारू कहकर जिनकी चर्चा होती है, जिन चारों राज्यों का आपने नाम लिया, उनमें सबसे ज्यादा बीमार बिहार है और जो फीमेल एजुकेशन की बात कही यह बिहार का ही श्रेय है कि आपकी पूरी सरकार में एक ही महिला मंत्री है जो बिहार से आती हैं और कहीं की आपको नहीं मिलेगी। एजुकेशन हो या न हो वहां राजनीति तो चलती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि इन राज्यों के लिए आप विशेष योजना चलायें। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) **:** माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर रेड्डी का जो अनिवार्य शिक्षा को प्राइवेट बिल है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं के विचार लगभग एक जैसे थे और सभी वक्ताओं ने एक ही बात पर जोर दिया कि दोहरी शिक्षा पद्धति समाप्त होनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। शिक्षा की जो समस्या है वह हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। यह देश मां सरस्वती का देश है, सबसे ज्यादा दुनिया में यदि सरस्वती मां की पूजा होती है तो हिन्दुस्तान में होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया के सबसे ज्यादा निरक्षर हैं तो हमारे देश में हैं। आज जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वह दोहरी शिक्षा पद्धति आज की सरकार को देन नहीं है, प्राचीन समय से, सदियों से इस देश में दोहरी शिक्षा पद्धति चलती आ रही है। हम रामायण काल को लें या महाभारत काल को लें इस समय तो दोहरी शिक्षा पद्धति है इसमें गरीब का बच्चा भी, शूद्र का बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन उस समय जो शिक्षा थी वह सिर्फ राजा-महाराजाओं के घरों तक ही सीमित थी।

उसी संस्कृति और व्यवस्था का परिणाम है कि हमारे देश की दो-तिहाई जनता निरक्षर बनी रही और आज भी निरक्षर है। जब हम महाभारत काल पर दृष्टि दौड़ाते हैं, उस समय गुरूकुल हुआ करते थे। उन गुरूकुल आश्रमों में जब किसी शूद्र का बच्चा विद्या ग्रहण करने के लिए जाता था, तो हम देखते हैं कि एकलव्य का वहां अपमान कर दिया जाता है। अपमानित होकर, जब वह जंगल में गुरू द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर विद्या ग्रहण करता है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था उस शूद्र को शिक्षा से वंचित करने के लिए, गुरू दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेती है और उसे शिक्षा से वंचित कर देती है। ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ।

इसी तरह जब कर्ण गुरूकुल में, गुरू द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचे तो उनके लिए गुरूकुल के दरवाजे बंद कर दिए गए, उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वेदों और मनु-स्मृति में भी कहा गया कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में महिलाएं निरक्षर हैं, सिर्फ 15 परसेंट साक्षर है और यह हकीकत है। इस देश में सरकारें भले ही बदलती रहीं लेकिन गरीबों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का षडयंत्र बराबर चलता रहा।

आज हमारे देश में जो दोहरी शिक्षा पद्धति है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत है कि गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा जाए और अमीरों को शिक्षा दी जाए। आज भी अमीरों के बच्चों के लिए अनेकों विद्यालय हैं लेकिन गरीब बच्चों के लिए प्राइमरा स्तर पर यदि विद्यालय में टाट-पट्टी है तो उसका अच्छा भवन नहीं है, अगर भवन हैं तो उसमें मास्टर नहीं है, अगर मास्टर हैं तो ब्लैक बोर्ड नहीं है और अगर ये सारी चीजें हैं तो उसमें विद्यार्थी नहीं होते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि जब सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी है वहीं इस समस्या की जड़ पर हमें जाना होगा। दलित का लड़का जब सुबह जागता है तो सबसे पहले उसके सामने समस्या यह होती है कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसे विद्यालय की चिन्ता नहीं होती हैं बल्कि उसे अपने पेट की याद आती है कि मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। सुबह उठते ही, उसके बूढ़े माता-पिता उसे काम पर भेज देते हैं ताकि वह किसी के घर में जाकर बर्तन धोए या दूसरा काम करे। कोई

नौजवान बच्चा सड़कों पर जाकर मूंगफली बेचता है, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, आपको अनेकों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। कुछ बच्चे होटलों में बर्तन साफ करते हैं। जब वह पैसा कमाकर लाता हैं, तभी उसके घर में चूल्हा जलता है, उसे और उसके बूढ़े माता-पिता को भोजन प्राप्त होता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस समस्या की जड़ में जाकर निदान खोजें।

हमारे देश में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर है। जब तक देश में बाल-मजदूरी को हम समाप्त नहीं करेंगे, जब तक यह अनिवार्य नहीं कर देते कि 14 साल तक कोई लड़का फैक्टरी में जाकर काम नहीं करेगा, किसी होटल में काम नहीं करेगा, मजदूरी का काम नहीं करेगा. ..**(व्यवधान)** कानून तो बहुत बने हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है।

आज आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर चले जाईए, अनेकों बच्चे आपको वहां बूट पालिश करते मिल जाएंगे। होटलों और रैस्तरां में अनेकों बच्चे प्लेंटें धोते मिल जाएंगे लेकिन हमारी नजर उनकी तरफ क्यों नहीं जाती, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। जब हम ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो क्या हमें वहां छोटे-छोटे बच्चे मूंगफली और अखबार बेचते नजर नहीं आते हैं। जब हम सड़कों पर निकलते हैं, किसी चौराहे पर ट्रैफिक के कारण हमारी गाड़ी रूक जाती है तो क्या हमें वहां छोटे-छोटे बच्चे अखबार बेचते हुए नजर नहीं आते। कभी गौर करते हैं? हमारा अखबार 50 पैसे में खरीद लो। क्या मिलता है? दिन भर में 10 रुपए, तो आज यह समस्या है। केवल शिक्षा को अनिवार्य करने से यह समस्या हल नहीं होगी। चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए भी सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जो छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इनके लिए रहने, स्कूल में खाने, कपड़े, उनकी पुस्तकों आदि की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, तभी अनिवार्य शिक्षा का कोई मतलब निकलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया था और वह एक घंटे का समय भी समाप्त हो गया है। क्या सभा समय और बढ़ाना चाहती है क्योंकि अनेक सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : यदि इस चर्चा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जा सकता हो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा क्योंकि मुझे 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित होना है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप मेरी बात नहीं समझे हैं। मैं विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने के बारे में पूछ रहा हूं न कि सभा की बैठक का समय बढ़ाने के बारे में कह रहा हूं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं इस बात को सभा पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, एक घंटे के लिए इस विषय पर बोलने के लिए समय और बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : सदन की अनुमति से इस विषय पर बोलने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, आज शिक्षा की जो स्थिति है उसके अनुसार मेरे अपने संसदीय क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखण्ड है, वहां पर 30 हजार की आबादी पर एक जूनियर हाईस्कूल है। लगभग 500 ग्राम पंचायतों में प्राइमरी स्कूलों के भवन नहीं हैं। आज भी हमारे जिलों में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। आज जो शिक्षा की स्थिति है उसके अनुसार सबसे कम साक्षर लोग उत्तर प्रदेश में हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र में 26 प्रतिशत हैं और यही कारण है कि वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है।

सभापति महोदय, प्रति दिन वहां से गरीब, किसान और मजदूर काम की तलाश में कुतुब एक्सप्रैस से दिल्ली आते हैं। उनके साथ उनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और जब कोई बिल्डिंग या सड़क बन रही होती है, तो वे लोग वहां काम करते हैं। जब ऐसी किसी जगह से मैं निकलता हू तो मेरे क्षेत्र के छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियां मुझे जरूर मिल जाते हैं।

सभापति महोदय : समय हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं समाप्त कर रहा हूं जो शिक्षा की स्थिति है वह हमारे देश में ठीक नहीं है। जो अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा है और इसके लिए जो बजट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आज आप एक 70 साल के बूढ़े आदमी को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस पर धन खर्च कर रहे हैं और वह भी केवल कागजों पर। मैंने स्वयं ऐसे कई शिक्षा केन्द्रों का मुआयना जिलाधीश को लेकर किया है और किसी भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर सुचारू रूप से काम होते हुए नहीं देखा है। जिस दिन मुआयना करने जाते हैं उस दिन मुहल्ले के बूढ़े आदमियों को एकत्रित करके उन्हें किताबें और स्लेट देकर बैठा देते हैं और उनसे कह देते हैं कि यदि तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि हम रोज यहां पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो इस पर रुपया खर्च हो रहा है वह कागजों पर खर्च हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको बन्द किया जाए।

अपराह्न 6.00 बजे

मेरा सुझाव है कि इसको बंद किया जाए। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि देश में जो दस लाख पढ़े लिखे स्नातक बेरोजगार हैं, उनको इस साक्षरता अभियान में लगाएं। यदि उनको एक हजार रुपये प्रति माह भी देंगे तो एक साल में मुश्किल से 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जबकि आप इससे ज्यादा पैसा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, करीब 2000 करोड़ रुपये सालाना इस पर खर्च कर रहे हैं। इन लोगों को रोजगार मिलेगा और वे पांच वर्ष के अंदर देश को शिक्षित बना देंगे।

दूसरी बात मैं माननीय बोम्मई जी से और कहना चाहता हूं। आज नवोदय विद्यालयों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जिस मंशा से सरकार ने इनकी स्थापना की थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। इन विद्यालयों के पास न तो भवन हैं और अगर कहीं भवन हैं तो स्टाफ

नहीं है। कई विद्यालय झोपड़ी में चल रहे हैं। हमारे यहां महुवा जिला है, वहां नवोदय विद्यालय के पास आज तक भवन नहीं हैं, वह स्कूल झोंपड़ी में चल रहा है। सरकार योजना बना लेती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता। संयुक्त मोर्चा की सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम है, उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में बदलने की बात आपने कही है, एक संकल्प लिया है। लेकिन आज तक उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मोर्चा की सरकार ने बहुत से अच्छे कार्यक्रम दिए हैं, लेकिन उनमें से एक पर भी अमल नहीं हो पा रहा है।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के विषय पर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। उसके एक माह पश्चात् सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई है। सभी राज्यों के शैक्षणिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है। देश में इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई है। मेरे मित्र श्री सैकिया उस समिति के अध्यक्ष हैं। उस समिति में लगभग 11 राज्य मंत्री हैं। समिति ने अब तक तीन बैठकें की हैं। वे 15 दिन के भीतर इस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिसके पश्चात् मैं प्रस्ताव पेश करूंगा। इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बदल गया है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कम से कम दोहरी शिक्षा पद्धति समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस प्रयास करना चाहिए। गरीब का बेटा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है वह चपरासी बनता है, लेकिन कांवेंट स्कूल में पढ़ने वाला अमीर का बेटा कलेक्टर बनता है। उसकी शिक्षा पर प्रतिमाह पांच हजार रुपये खर्च होते हैं, जबकि गरीब के बेटे की शिक्षा पर मात्र पचास पैसे प्रतिमाह खर्च होते हैं। अब आप उससे क्या आशा करेंगे कि वह कलेक्टर या एस.पी. बने। सरकार को कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि चाहे नेता का बेटा हो, अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इन गरीबों में काबलियत की कमी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर गरीब की झोंपड़ी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर दिखा दिया और वे इस देश के संविधान के निर्माता बने। तो सरकार जो वादा करे, उस पर गौर करे और उसे निभाए। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में एक प्राइमरी स्कूल का भवन ढह गया। चार बच्चे दबकर मर गए। कागजों में लिखा है कि भवन बना है।

लेकिन भवन बनकर तैयार नहीं हुआ था। स्कूल एक कच्चे मकान में चल रहा था, बरसात हुई और कच्चा मकान ढह गया, चार बच्चे मर गए और करीब 50 से ऊपर बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। उसके बावजूद भी हमने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लिखा और लिखने के बावजूद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सांसद मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ इतना ही जवाब आता है कि "आपका पत्र प्राप्त हुआ, कार्यवाही की जा रही है।" लेकिन दो-दो-तीन महीने व्यतीत हो गए हैं, कार्रवाई का जवाब नहीं मिल पाया, यह शोचनीय विषय है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि मेरे क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है, इस संबध में आपका इतना ही जवाब मिला कि "इस पर कार्यवाही की जा रही है।" लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक मुझे इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एस.आर. बोम्मई : हर रोज मिलते हैं, तब तो आपने नहीं पूछा।

श्री गंगा चरण राजपूत : नहीं, नहीं, मिलते जरूर हैं, यह अधिकारियों का मामला है।

आज सरकार को कम से कम शिक्षा के बारे में गंभीर होना चाहिए क्योंकि चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : राजपूत जी, जरा घड़ी की ओर देखिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब चर्चिल ने शिक्षा के बजट में कटौती की तो इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यदि हमारा देश अशिक्षित रहेगा तो सदियों के लिए गुलाम हो जाएगा। यदि हम लड़ाई हारते हैं और हमारा देश गुलाम होता है तो कुछ समय के लिए ही होगा, इसलिए हमको भी शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे देश के लोग साक्षर होंगे, देश के लोग शिक्षित होंगे, उनमें वैज्ञानिक शिक्षा होगी तो जो आज हमारे देश में जाति भेद, सांप्रदायिकता पनप रही है तथा जो हमारे देश में भाषा और क्षेत्र के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम 10 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च किया जाए, यह मेरी आपसे मांग है। मेरी यह भी मांग है कि वे कमजोर वर्ग जो सदियों से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो आज भी अपमान की जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों की तरह जी रहे हैं क्योंकि कहा गया है :

"बिना पढ़ा नर पशु कहावे"।

अर्थात् जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ पशुओं जैसा ही व्यवहार हो रहा है। जो अछूत वर्ग के लोग हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उन तक वे सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती जो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए तथा खास तौर से महिलाओं के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जब तक वे पढ़ना चाहें, उनका

सारा शैक्षिक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए और केवल शिक्षा पर नहीं बल्कि उनके रहन-सहन, उनके खाने-पीने तथा उनकी पुस्तकों इत्यादि पर जो भी खर्च आता है, वह सब सरकार को वहन करना चाहिए तभी हम इस देश को सम्पूर्ण साक्षर बना सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं तथा हम अपने देश को सामाजिक कुरीतियों से बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996/5 अग्रहायण 1918(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।